रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)73

REGISTERED NO. D.(D.)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 20] नई दिल्ली, शनिवार, मई 19, 1979/वैशाख 29, 1901

No. 20] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 19, 1979/VAISAKHA 29, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 1979

का० आ० 1574.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए तमिल नाडु विधानसभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 204-अरूपुकोट्टाई सभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री एन० सीनीवासन रोयापालायाम (पो०), तालुक तिरुमंगलम, जिला मदुरई (तमिल नाडु) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री एन० सीनीवासन को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० त०ना०वि०स०/204/77(23)]

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 2nd April, 1979

S.O. 1574.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri N. Seenivasan, Royapalayam (P.O.), Tirumangalam Taluk, Madurai District, (Tamil Nadu), a contesting candidate for general election to the Tamil Nadu Legislative assembly held in June, 1977 from 204-Aruppukottai assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses in the manner required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri N. Seenivasan to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of State for a period of three years from the date of this order.

[No. TN-LA/204/77/(23)]

SECRETARIAT LIBRARY GOVT

आदेश

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 1979

का०आ० 1575.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 248-कोंच निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री गोपाल प्रसाद, ग्राम - अजमतगंज, पोस्ट - परैया, जिला - गया (बिहार), लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री गोपाल प्रसाद को संसद् के किसी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० बिहार-वि० स०/248/77(6)]

New Delhi, the 6th April, 1979

ORDER

S.O. 1525.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Gopal Prasad, Village Ajmatganj, P.O. Paraiya, District Gaya, Bihar, a contesting candidate for general election to the Bihar Legislative Assembly held in June, 1977 from 248-Konch constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Gopal Prasad to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/248/77(6)]

आदेश

का०आ० 1576.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 248-कोंच निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री नवल किशोर सिंह, ग्राम एवं पोस्ट-टनकुपा भाया कोंच, जिला—गया (बिहार), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री नवल किशोर सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० बिहार- वि० स०/248/77/(7)]

ORDER

S.O. 1576.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Nawal Kishore Singh, Village and P.O. Tankupa, Via Konch, District Gaya, Bihar, a contesting candidate for general election to the Bihar Legislative Assembly held in June, 1977 from 248-Konch constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Nawal Kishore Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

By Order,

[No. BR-LA/248/77(7)]

आदेश

का०आ० 1577.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 248-कोंच निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार मु० रेयाजउद्दीन, ग्राम, कोंच, पोस्ट-कोंच, जिला-गया (बिहार), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त मु० रेयाज उद्दीन को संसद के किसी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० बिहार-वि० स०/248/77(8)]

ORDER

S.O. 1577.—Whereas the Election Commission is satisfied that Md. Rayazuddin, Village and Post Konch, District Gaya, Bihar, a contesting candidate for general election to the Bihar Legislative Assembly held in June, 1977 from 24-Konch constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Md. Rayazuddin to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/248/77(8)]

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1979

का०आ० 1578.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 248-कोंच निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री नन्द कुमार सिंह, ग्राम-मुढेरा पोस्ट-मुढेरा, थाना कोंच, जिला-गया (बिहार) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री नन्द कुमार सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० बिहार-वि० स०/248/77(9)/]

New Delhi, the 7th April, 1979

S.O. 1578.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Nandkumar Singh, Village and Post Murera, P.S. Konch, District Gaya, Bihar a contesting candidate for general election to the Bihar Legislative Assembly held in June, 1977 from 248-Konch constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all/as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Nandkumar Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/248/77(9)]

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 1979

का०आ० 1579.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 51-बरेली कैन्ट निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री छोटे लाल, मोहल्ला सेमलखेड़ा, बरेली, जिला बरेली (उत्तर प्रदेश) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10—क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री छोटे लाल को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ०प्र०-वि० स०/51/77(1)]

New Delhi, the 26th April, 1979

S.O. 1579.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Chhotey Lal, Mohalla-Samal Khada, Bareilly, District Bareilly, Uttar Pradesh, a contesting candidate for general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in June, 1977 from 51-Bareilly cantonment constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rule made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Chhotey Lal to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/51/77(1)]

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 1979

का०आ० 1580.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 327-ललितपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री शिखर चन्द्र जैन, सरायपुरा, ललितपुर (उत्तर प्रदेश) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10—क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री शिखर चन्द्र जैन को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/327/77(3)]

New Delhi, the 27th April, 1979

S.O. 1580.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Shikar Chand Jain, Saraipur, Lalitpur, Uttar Pradesh, a contesting candidate for general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in June, 1977 from 327-Lalitpur constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rule made thereunder ;

And whereas, the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Shikar Chand Jain to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/327/77/(3)]

का०आ० 1581.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 332—कोन्च (अ०जा०) निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री पुन्नू राम, गांधी नगर, कोन्च, जिला जालौन (उत्तर प्रदेश) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उस के पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10—क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री पुन्नू राम को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/332/77(2)]

S.O. 1581.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Punu Ram, Gandhi Nagar, Konch, District Jalaun, Uttar Pradesh, a contesting candidate for general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in June, 1977 from 332-Lonch (SC) constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Punu Ram to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/332/77(2)]

का०आ० 1582.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए तमिलनाडु विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 6—पुरासावाल्कम, निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री जयराम आया बाबू, 19, पाएहक्कल वीरास्वामी स्ट्रीट, अयानावरम, मद्रास-23 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10—क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री जयराम आया बाबू को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० त०ना०-वि०स०/6/77(32)]

S.O. 1582.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Jayaram Aya Babu, 19, Packakkal Veeraswamy Street Ayanavaram, Madras-23, a contesting candidate for general election to the Tamil Nadu legislative assembly held in June, 1977 from 6-Burasawalkam assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses in the manner required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Jayaram Aya Babu to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. TN-LA/6/77/(32)]

का०आ० 1583.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए तमिलनाडु विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 17—तिरुवोट्टियुर, निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री पी० जान सं० 158, कैनाल स्ट्रीट, वेंकटेसपुरम न्यू कालोनी, ब्राइटन्स रोड, मद्रास-12 (तमिलनाडु) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, उक्त उम्मीदवार द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10—क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री पी० जान को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य के विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० त०ना०-वि०स०/17/77(33)]

S.O. 1583.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri P. John, No. 158, Canal Street, Venkatesapuram New Colony, Brightons Road, Madras-12 (Tamil Nadu), a contesting candidate for general election to the Tamil Nadu Legislative Assembly held in June, 1977 from 17-Tiruvottiyur constituency, has failed to lodge an account of his election expenses in the manner required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas, after considering the representations made by the said candidate, the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri P. John to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of State for a period of three years from the date of this order.

[No. TN-LA/17/77(33)]

का०आ० 1584.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए तमिलनाडु विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 17-तिरुवोटियूर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री पी० चिन्नास्वामी, 28-ए, बिजनाइकोइल स्ट्रीट, इरानवुर, मद्रास-57 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, उक्त उम्मीदवार द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात्, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री पी० चिन्नास्वामी को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० त०ना०-वि०स०/17/77(34)]

वी० नागसुब्रमण्यम, सचिव

S. O. 1584.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri P. Chinnaswamy, 28-A, Bijanaikoil Street, Eranavur, Madras-57, a contesting candidate for general election to the Tamil Nadu Legislative Assembly held in June, 1977 from 17-Tiruvottiyur constituency, has failed to lodge an account of his election expenses in the manner required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, after considering the representation made by the said candidate, the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri P. Chinnaswamy to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of State for a period of three years from the date of this order.

[No. TN-LA/17/77/(34)]

V. NAGASUBRAMANIAN. Secy.

शुद्धि-पत्र

का०आ० 1585.—भारत के राजपत्र असाधारण भाग II—खण्ड 3 उप-खण्ड (ii), सं० 166 में तारीख 18 अप्रैल, 1979 पृष्ठ 403 पर प्रकाशित का०आ० 210(अ) के रूप में भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं० 282/1/ म०प्र०/79 में :—

(1) लाईन सं० 7 में, "विस्तार के कारण में" शब्दों के स्थान पर "विस्तार के वर्णन में";

(2) लाईन सं० 13 में, "(1) 73—चरहट के स्थान पर, "(1) 73-चुरहट";

(3) लाईन सं० 18 में, "गोपबनास" के स्थान पर, "गोपदबनास";

(4) मद 3 के सामने "75—गोपदानास" के स्थान पर, "75-गोपद-बनास"; और "सथा" के स्थान पर "तथा";

(5) मद 4 के सामने "76—धौनी (अ०ज०आ०)" के स्थान पर, "76-धोहनी (अ०ज०आ०)", के और गोपबनास तहसील · · · ·" के स्थान पर, "गोपदबनास तहसील · · · · ·", पढ़ा जाएगा ।

[सं० 282/1/एम०पी०/79/2777]

के० गणेशन, उप सचिव

S. O. 1585.—In the English version of the Election Commission's Notification No. 282/1/MP/79, dated 7th April, 1979, published in the Extraordinary issued of the Gazette of India, Part II—Section 3(ii) dated 18th April, 1979 as S. O. 210(E)—

(i) At page 404 against item (3) in the last line after the words "Majhauli RIC", the word "in" shall be inserted; and

(ii) at the end of the Notification, the words and comma "By order", shall be inserted.

[No 282/1/MP/79/2777]

K. GANESAN, Under Secy. (Legal))

गृह मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 4 मई, 1979

का०आ० 1586.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उप धारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना नियमित मामला संख्या 6/73-सी०आई०यू० (क) तथा 7/73-सी०आई०यू० (क) से उत्पन्न तथा उड़ीसा उच्च न्यायालय में लम्बित डा० एच० के० मेहताब द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षा याचिका संख्या 1978 की 207 तथा 1978 की 208 और श्री एम०के० रहमान द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षा याचिका संख्या 1978 की 242 का संचालन करने के लिए श्री जी०एस० बोहीदार, अधिवक्ता को विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करती है।

[सं० 225/57/78-ए०वी०डी० (II)-(ii)]

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel and Administrative Reforms

New Delhi, the 4th May, 1979

S.O. 1586.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri G.S. Bohidar, Advocate, Orissa High Court as a special Public Prosecutor for the purposes of conducting Criminal Revision petitions Nos. 207 of 1978 and 208 of 1978 filed by Dr. H.K. Mehtab, and criminal revision petition No. 242 of 1978 filed by Shri M.K. Rehman, and arising out of Delhi Special Police Establishment Regular Case Nos. 6/73-CIU-(A) and 7/73-CIU (A) and pending in the High Court of Orissa.

[No. 225/57/78-AVDII-(ii)]

नई दिल्ली, 5 मई, 1979

का०आ० 1587.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना नियमित मामला संख्या 6/73-सी०आई०यू०(क) तथा 7/73-सी०आई०यू०(क) से उत्पन्न तथा उड़ीसा उच्च न्यायालय में लम्बित डा०एच०के० मेहताब द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षा याचिका संख्या 1978 की 207 तथा 1978 की 208 और श्री एम०के० रहमान द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षा याचिका संख्या 1978 की 242 का संचालन करने के लिए श्री शंकर दास बनर्जी, बार-एट-ला, कलकत्ता को विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करती है।

[सं० 225/57/78-ए०वी०डी० (II)-(i)]

टी० के० सुब्रमणियन, अवर सचिव

New Delhi, the 5th May, 1979

S.O. 1587.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri Shankar Das Banerji, Bar-at-Law, Calcutta, as special Public Prosecutor for the purpose of conducting Criminal revision petitions Nos. 207 of 1978 and 208 of 1978 filed by Dr. H. K. Mehtab, and criminal revision No. 242 of 1978 filed by Shri M. K. Rehnam and arising out of Delhi Special Police Establishment Regular Case Nos. 6/73 CIU(A) and 7/73-CIUA) and pending in the High Court of Orissa.

[No. 225/57/78-AVD-II(i)]

T. K. SUBRAMANIAN, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 1979

आय-कर

का०आ० 1588.—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खण्ड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "श्री मनाकुला विनयागर देवस्थानम् पांडिचेरी" को निर्धारण वर्ष 1978-79 के लिए और से उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है ।

[सं० 2731/फा०सं० 197/95/78-आ०क०(ए1)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 20th February, 1979

INCOME-TAX

S.O. 1588.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Goverment hereby notifies 'Sri Manakula Vinayagar Devasthanam, Pondicherry' for the purpose of the said section for and from the assessment year(s) 1978-79.

[No. 2731/F. No. 197/95/78-IT(AI)]

नई दिल्ली, 28 मार्च, 1979

आय-कर

का०आ० 1589.—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खण्ड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 'तख्त सचखंड श्री हुजूर एबचलनगर साहिब नान्देड' को निर्धारण वर्ष 1971-72 के लिए और से उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है ।

[सं० 2756/फा०सं० 197/64/78-आ०क०(ए1)]

New Delhi, the 28th March, 1979

INCOME-TAX

S.O. 1589.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies 'Takhat Sachkhand Sri Hazur Abchalnagar Sahib Nanded' for the purpose of the said section for and from the assessment year 1971-72.

[No. 2756/F. No. 197/64/78-IT(AI)]

नई दिल्ली, 9 अप्रैल 1979

आय-कर

का०आ० 1590.—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खण्ड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "कैथोलिक चर्च, धानडुका" को निर्धारण वर्ष 1977-78 के लिए और से उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है ।

[सं० 2764/फा०सं० 197/161/78-आ०क०(ए1)]

जे० पी० शर्मा, निदेशक

New Delhi, the 9th April, 1979

INCOME TAX

S.O. 1590.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Goverment hereby notifies 'Catholic Church, Dhanduka' for the purpose of the said section for and from the assessment years 1977-78.

[No. 2764/F. No. 197/161/78-IT(AI)]

J. P. SHARMA, Director

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 2 मई, 1979

का० आ० 1591.—भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 (1964 का 18) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (ग) तथा खंड (क) के उपखंड (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा उक्त उपखंड के प्रयोजनों के लिए, अरुणाचल प्रदेश इन्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड को अधिसूचित करती है ।

[संख्या 13-38/78-आई०एफ०-II]

बी० सी० पटनायक, निदेशक

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 2nd May, 1979

S. O. 1591.—In pursuance of sub-clause (i) of clause (a), and clause (c) of sub-section (I) of section 9 of the Industrial Development Bank of India Act, 1964 (18 of 1964), the Central Government hereby notifies the Arunachal Pradesh Industrial Development and Financial Corporation Limited for the purposes of the said sub-clause and clause.

[F. No. 13-38/78-IF.II]

B. C. PATNAIK, Director

केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क समाहर्तालय

भुवनेश्वर, 2 मई, 1979

उत्पादन-शुल्क

का०आ० 1592.—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अधिकारियों को जो सहायक समाहर्ता के पद से नीचे के नहीं हैं । समाहर्ता को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 1944 नियम 93 उपनियम (b) (iii) में प्रदत्त का प्राधिकार देता हूं ।

[अधिसूचना सं० 1/79-सी०सं० IV-16-4-सीई-79/14833-बी]

एच० भुमखोथांग, समाहर्ता

Collectorate of Central Excise & Customs

Bhubaneswar, the 2nd May, 1979

CENTRAL EXCISE

S. O. 1592.—In exercies of the powers conferred on me by Rule 5 of the Central Excise Rules, 1944, I hereby authorise the Central Excise officers not below the rank of an Assistant Collector of Central Excise to exercise the powers of Collector under sub-rule (b) (iii) of Rule 93 of the Central Excise Rules, 1944.

H. VUMKHATHANG, Collector

[NOTIFICATION NO. 1/79 C. No. IV-16-4-CE-79/14833-B]

वाणिज्य नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 19 मई, 1979

का०आ० 1593—केन्द्रीय सरकार की राय है कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है और निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विद्युत उपकरण तथा उपसाधन निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन होंगे;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रयोजन के नीचे विनिर्दिष्ट प्रस्ताव बनाए हैं और उन्हें निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उप-नियम (2) की अपेक्षानुसार निर्यात निरीक्षण परिषद को भेज दिया है ;

अतः, अब, उक्त उप-नियम के अनुसरण में, तथा भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० 2304 तारीख 16 जुलाई, 1977 का अधिक्रमण करते हुए केन्द्रीय सरकार उससे संभाव्यतः प्रभावित होने वाले लोगों की जानकारी के लिए उक्त प्रस्तावों को प्रकाशित करती है।

2. सूचना दी जाती है कि यदि कोई व्यक्ति उक्त प्रस्तावों के बारे में कोई आपत्ति या सुझाव भेजना चाहता है तो वह उन्हें इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर निर्यात निरीक्षण परिषद 14/1-बी, एजरा स्ट्रीट, कलकत्ता-1 को भेज सकता है।

प्रस्ताव

1. यह अधिसूचित करना कि विद्युत उपस्कर तथा उपसाधन निर्यात से पूर्व निरीक्षण के अधीन होंगे;

2. इस आदेश के उपाबंध 1 में दिए गए विद्युत उपकरणों तथा उपसाधनों के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1978 के प्रारूप के अनुसार क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के ऐसे टाईप के रूप में विनिर्दिष्ट करना जो ऐसे उपकरणों तथा उन साधनों को, निर्यात से पूर्व ; लागू होगा,

(3) (क) सुसंगत भारतीय मानक विनिर्देशों या कोई अन्य राष्ट्रीय मानक विनिर्देशों को;

(ख) अंतर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीक आयोग की सिफारिशों या मानकों को, मान्यता प्राप्त संस्थाओं के मानकों अथवा किसी भी देश के मंत्रालय, सरकारी विभाग या उन उपक्रमों द्वारा अनुमोदित विनिर्देशों को;

(ग) उन विनिर्देशों को जो खंड (क) तथा (ख) के अंतर्गत नहीं आते हैं किन्तु निर्यात कर्ता द्वारा घोषित ऐसे मानकों की परीक्षा एवं अनुमोदन के प्रयोजन के लिए निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों के पैनल द्वारा अनुमोदित हैं, विद्युत के उपकरणों तथा उपसाधनों के लिए सांविधिक विनिर्देशों को मानक विनिर्देशों के रूप में मान्यता देना।

(4) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान ऐसे विद्युत उपकरणों तथा उपसाधनों के निर्यात को तब तक प्रतिषिद्ध करना जब तक कि उसके साथ (निर्यात क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित या मान्यताप्राप्त अभिकरणों में से किसी किसी के द्वारा जारी किया गया इस आशय का प्रमाण-पत्र न हो कि विद्युत उपकरणों तथा उपसाधनों का परेषण क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण से संबंधित शर्तों को पूरा करता है तथा वह निर्यात योग्य है या उस पर उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्य का चिन्ह मुद्रा लगा हुआ है ;

2. इस आदेश की कोई भी बात भावी क्रेताओं को भू मार्ग, वायु मार्ग या जल मार्ग द्वारा बिजली के उपकरणों तथा उप-साधनों के उन नमूनों के निर्यात को लागू नहीं होगी जिनका पीत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य एक सौ पच्चीस (125) रुपए से अधिक नहीं है।

3. इस आदेश में "विद्युत उपकरणों तथा उपसाधनों" से नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट उत्पादों में से कोई भी उत्पाद अभिप्रेत है।

उपाबंध 1

निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 के अधीन बनाए जाने वाले प्रस्तावित नियमों का प्रारूप)

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ : (1) इन नियमों का नाम विद्युत उपकरणों तथा उपसाधनों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1978 है।

(2) ये प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं:—इन नियमों, में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "अधिनियम" से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है;

(ख) "अभिकरण" से, अधिनियम की धारा 7 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बम्बई, कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली तथा मद्रास में स्थापित अभिकरणों में से कोई अभिकरण या मान्यताप्राप्त कोई अन्य संगठन अभिप्रेत है ;

(ग) "विद्युत उपकरणों तथा उपसाधनों" से इन नियमों से अनुबद्ध अनुसूची में दिए गए उत्पादों में से कोई उत्पाद अभिप्रेत है।

3. निरीक्षण का आधार तथा प्रक्रिया :—(1) निरीक्षण यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जाएगा कि निर्यात के लिए आशयित विद्युत उपकरण तथा उपसाधन परिशिष्ट II या परिशिष्ट III में विनिर्दिष्ट नियंत्रण स्तर का प्रयोग करके उत्पादित किए गए हैं या उनकी क्वालिटी, अधिनियम की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्य विनिर्देशों के अनुरूप है।

(2) विद्युत उपकरणों तथा उपसाधनों के निरीक्षण के लिए निम्नलिखित योजनाओं में से कोई योजना अपनाई जाएगी, अर्थात:—

(क) स्वयं प्रमाणीकरण :—

(1) कोई भी विनिर्माण एककः, जो परिशिष्ट II में सूचीबद्ध मानदण्डों को पूरा करता है निर्यात निरीक्षण परिषद अमन चैम्बर्स (पांचवीं मंजिल), 113, महर्षि कर्वे रोड, बम्बई, 400004 के क्षेत्रीय कार्यालय को आवेदन देगा।

(2) परिषद द्वारा नियुक्त पैनलों में से कोई पैनल ऐसे एककः में जाएगा तथा यह निर्धारित करेगा कि क्या वहां प्रभावशाली क्वालिटी निश्चित पद्धति संतोषजनक रूप में चल रही है या नहीं।

(3) उन एककों को, जो पैनल द्वारा अनुमोदित हैं, उन्हें उनके निर्यात परेषणों की निर्यात योग्यता का प्रमाण पत्र जारी करने योग्य बनाने के लिए, अधिनियम की धारा 7 के अधीन मान्यता दी जाएगी।

(4) ऐसी मान्यता एक वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगी तथा उसके पश्चात प्रभावी क्वालिटी सुनिश्चित पद्धति के जारी रहने के आधार पर पुनः स्वीकृत की जाएगी ;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार की राय है कि किसी भी विनिर्माण एकक को दी गई कोई भी मान्यता जन हित में वापिस ले ली जानी चाहिए तो केन्द्रीय सरकार उस एकक को एक उपयुक्त अवसर देने के पश्चात अधिनियम की धारा 7 के अधीन ऐसी मान्यता वापिस ले सकती है।

(ख) प्रक्रियागत क्वालिटी नियंत्रण (1) को भी विनिर्माण-एकक जिसके पास उपाबंध III के अनुसार प्रक्रियागत क्वालिटी नियंत्रण की पर्याप्त व्यवस्था है, नीचे दिए गए, परिषद के निकटतम कार्यालय में आवेदन करेगा :—

निर्यात निरीक्षण परिषद
14/1-बी, एजरा स्ट्रीट,
कलकत्ता-700001

क्षेत्रीय कार्यालय:—

1. निर्यात निरीक्षण परिषद
अमन चैम्बर्स, पांचवीं मंजिल,
113, महर्षि कर्वे रोड,
बम्बई-400004.
2. निर्यात निरीक्षण परिषद
मनोहर बिल्डिंग,
महात्मा गांधी रोड,
एर्नाकुलम,
कोचीन-682001
3. निर्यात निरीक्षण, परिषद
म्युनिसिपल मार्केट बिल्डिंग,
3, सरस्वती मार्ग,
करोल बाग, नई दिल्ली-110005

(4) निर्यात निरीक्षण तब विनिर्माण एकक को जाने का प्रबन्ध करेगा तथा यह निर्धारित करेगा कि प्रक्रियागत क्वालिटी नियंत्रण पद्धति संतोषजनक रूप से कार्य कर रही है या नहीं।

(ग) परेषण के अनुसार निरीक्षण :

कोई भी विनिर्माण एकक जो स्तम्भ ('क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है, निरीक्षण के लिए निर्यात परेषणों, किसी भी अधिकरण को, यह सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से देगा कि उसके द्वारा विनिर्माता उत्पाद अधिनियम की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्य विनिर्देशों के अनुरूप है या नहीं। ऐसे विनिर्माण एक नैमिक तथा स्वीकृत परीक्षणों के संबंध में आवश्यक परीक्षण सुविधाओं का प्रबन्ध करेंगे । उनसे प्रकार टाइप परीक्षणों के लिए आवश्यक-परीक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की भी अपेक्षा की जाएगी ।

(3) निम्नलिखित प्रक्रिया विद्युत उपकरणों तथा उपसाधनों के निरीक्षण तथा प्रमाणन के लिए अपनाई जाएगी, अर्थात :—

(क) उप नियम (2) के स्तम्भ (क) के अधीन स्वयं प्रमाणीकरण योजना के अंतर्गत मान्य कोई विनिर्माण एकक, उसके द्वारा विनिर्मित निर्यात परेषणों की निर्यात योग्यता का प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

(ख) (1) विद्युत उपकरणों तथा उपसाधनों के निर्यात करने का इच्छुक कोई निर्यात कर्ता (स्वयं प्रमाणीकरण योजना के अधीन मान्य विनिर्माण एककों से भिन्न) अपने ऐसा करने के आशय की सूचना लिखित रूप में देगा तथा ऐसी सूचना के साथ ऐसे संबंधित निर्यात संविदा में दी गई सभी तकनीकी विशेषताओं का विवरण देते हुए विनिर्देशों का घोषणा पत्र किसी भी अधिकरण को देगा जिससे कि वह उप-नियम (1) के स्तम्भ (ख) तथा (ग) के अनुसार निरीक्षण कर सके।

(2) वह उसी समय ऐसी सूचना की एक प्रति निरीक्षण के लिए अधिकरण के निकटतम परिषद कार्यालय को देगा ।

(ग) उप नियम (2) के खंड (ख) के अधीन अनुमोदित एककों द्वारा विनिर्मित उत्पादों के निर्यात के लिए निर्यात कर्ता ऐसी सूचनाओं के साथ एक घोषणा यह भी करेगा कि निर्यार्थ के लिए आशयित विद्युत उपकरण तथा उपसाधनों का विनिर्माण उपाबन्ध III में अधिकथित क्वालिटी नियंत्रणों का प्रयोग करके किया गया है तथा परेषण, इस प्रयोजन के लिए मान्य विनिर्देशों की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

(घ) खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन प्रत्येक सूचना तथा घोषणा, विनिर्माता के परिसर से परेषण के भेजे जाने से कम से कम दो सप्ताह पहले, अधिकरण तथा परिषद के कार्यालय में अवश्य पहुंच जानी चाहिए।

(ङ) निर्यातकर्ता अधिकरण को परेषण पर लगाए जाने वाले पहचान चिन्ह भी देगा।

(च) खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन सूचना तथा घोषणा प्राप्त होने पर, अधिकरण : (i) उप नियम (2) के खंड (ख) के अधीन अनुमोदित एककों द्वारा विनिर्माता वस्तुओं का निर्यात करने वाले निर्यातकर्ता की दशा में, अपना यह समाधान कर लेने पर कि विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान, एकक ने उपाबन्ध III के अंतर्गत दिए गए पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रणों का प्रयोग किया है तथा इस संबंध में परिषद द्वारा जारी किए गए निदेशों, यदि कोई हों, का अनुसरण किया है तो वह तीन दिन के भीतर यह घोषणा करते हुए प्रमाणपत्र जारी करेगा कि विद्युत उपकरणों तथा उपसाधनों का परेषण निर्यात योग्य है। किन्तु अधिकरण कालिक नरीक्षणों द्वारा यह सुनिश्चित करेगा कि विनिर्माण परिसरों पर पर्याप्त नियंत्रण का प्रयोग किया जाता है, तथा

(2) उप नियम (2) के खंड (ग) के अधीन आने वाले एककों द्वारा विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात करने वाले निर्यातकर्ता की दशा में, विद्युत उपकरणों तथा उपसाधनों का निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के विचार से करेगा कि उत्पाद इस प्रयोजन के लिए मान्य विनिर्देशों के अनुरूप है।

छ(1) निरीक्षण की समाप्ति के पश्चात अधिकरण तुरन्त परेषण के पैकेजों को इस ढंग से पैक करेगा कि यह सुनिश्चित हो जाए कि सीलबंद पैकेजों में हस्तक्षेप न किया जा सके।

(2) परेषण अस्वीकृत हो जाने की दशा में, यदि निर्यातकर्ता चाहे तो, अधिकरण परेषण को मुद्राबंद नहीं करेगा।

(3) किन्तु ऐसे मामलों में, निर्यात कर्ता अस्वीकृत के विरुद्ध अपील करने का हकदार नहीं होगा।

(ज) यदि अधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि विद्युत उपकरणों तथा उपसाधनों का परेषण इन नियमों के अधीन अपेक्षाओं के अनुरूप है तो वह निरीक्षण की समाप्ति से सात दिन के भीतर निर्यात कर्ता को यह घोषणा करते हुए प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि परेषण निर्यात योग्य है;

परन्तु जहां अभिकरण का इस प्रकार समाधान नहीं हो पाता, वहां वह उक्त सात दिन की अवधि के भीतर इसके लिए कारणों की सूचना देते हुए, अस्वीकृति पत्र जारी करेगा।

(म) अभिकरण जब भी और जहां अपेक्षा करे निर्यातकर्ता, निरीक्षण तथा परीक्षण के लिए परेषण में से विद्युत उपकरणों तथा उपसाधनों के निशुल्क नमूने देगा। किन्तु ऐसे नमूने कार्य हो जाने के पश्चात अभिकरण द्वारा लौटा दिए जायेंगे।

4. मान्य चिन्ह चिपकाना तथा उसकी प्रक्रिया : भारतीय मानक संस्थान (प्रमाणीकरण चिन्ह) अधिनियम, 1952 (1952 का 36) भारतीय मानक संस्थान (प्रमाणीकरण चिन्ह) नियम 1955 तथा भारतीय मानक संस्थान (प्रमाणीकरण चिन्ह) विनियम 1955 के उपबंध विद्युत उपकरणों तथा उपसाधनों पर निर्यात से पूर्व मुद्रा लगाने या मान्य चिन्ह चिपकाने की प्रक्रिया के संबंध में यथा संभव लागू होंगे तथा इस प्रकार चिन्हित विद्युत उपकरण तथा उपसाधन नियम 3 के अन्तर्गत किसी भी निरीक्षण के अधीन नहीं होंगे।

5 निरीक्षण स्थान : इन नियमों के अधीन निरीक्षण विनिर्माण के या अन्य परिसरों पर किया जाएगा जहां परीक्षण तथा निरीक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध है।

6 निरीक्षण शुल्क : निर्यातकर्ता अभिकरण को निरीक्षण फीस निम्नलिखित रूप में देगा :—

(क) स्वयं प्रमाणीकरण योजना के अधीन एककों के लिए:—

5 लाख रुपए प्रतिवर्ष से कम के निर्यात के लिए—1,000 रु० प्रतिवर्ष

5 से 25 लाख रुपए प्रति वर्ष तक के लिए निर्यात के लिए —2,500 रुपए प्रतिवर्ष।

20 से 50 लाख रुपए प्रति वर्ष तक के निर्यात के लिए —5,000 रुपए प्रतिवर्ष।

50 से 100 लाख रुपए प्रति वर्ष तक के निर्यात के लिए —10,000 रुपए प्रतिवर्ष।

100 लाख रुपए प्रतिवर्ष से अधिक के निर्यात के लिए—20,000 रुपए प्रतिवर्ष।

(ख) प्रक्रियागत क्वालिटी नियंत्रण योजना के अधीन एककों के लिए :—

प्रत्येक परेषण के लिए पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के प्रत्येक सौ रुपए के लिए बीस पैसे की दर से, किन्तु एक सौ रुपए से कम नहीं।

(ग) परेषण के अनुसार निरीक्षण योजना के अधीन एककों के लिए :

प्रत्येक परेषण के लिए, पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के प्रत्येक एक सौ रुपए के लिए पचास पैसे की दर से, किन्तु एक सौ रुपए से कम नहीं।

अपील. (1) नियम 3 के अधीन अभिकरण द्वारा प्रमाणपत्र देने के इन्कार से व्यथित कोई व्यक्ति उसके द्वारा ऐसे इंकार की सूचना प्राप्त होने से दस दिन के भीतर केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए कम से कम तीन व्यक्तियों के विशेषज्ञों के पैनल को, अपील कर सकेगा।

(2) पैनल के विशेषज्ञों की कुल सदस्यता का दो तिहाई अशासकीय सदस्य होंगे।

(3) पैनल की गणपूर्ति तीन से होगी।

(4) अपील प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर निपटा दी जाएगी।

अनुबंध II

(नियम 3 देखिए)

स्वयं प्रमाणीकरण के मानदण्ड

(i) एकक के पास सभी संक्रियाओं के लिए प्रभावी तथा व्यापक क्वालिटी नियंत्रण व्यवस्था होनी चाहिए।

(ii) उक्त स्तर पर क्वालिटी नियंत्रण व्यवस्था का प्रधान ज्येष्ठ स्तर का कोई सक्षम तकनीकी व्यक्ति होना चाहिए तथा उसे उस अधिकारी को रिपोर्ट न देनी हो जो उत्पादन का प्रभारी है।

(iii) एकक के पास न केवल उसके उत्पाद के लिए अपितु क्रय की गई समस्त कच्ची सामग्री तथा संघटकों के लिए, विस्तृत कम्पनी मानक होने चाहिए। ऐसे कम्पनी मानक संबंधित भारतीय मानक विनिर्देशों की क्वालिटी से निम्न स्तर के नहीं होने चाहिए।

(iv) एकक के पास नैमिक तथा स्वीकृति परीक्षणों, साथ ही, यथासंभव टाइप परीक्षणों के लिए भी, अपनी सुविधाएं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त एकक के पास, उसके द्वारा प्रयुक्त मेजों पर, प्रभावशाली मौसम संबंधी नियंत्रण रखने के लिए आवश्यक उपस्कर होने चाहिए।

(v) एकक के पास, मानक विनिर्देशों के अनुसार उसके उत्पादन की अनुरूपता को सुनिश्चित करने के लिए, परीक्षण तथा निरीक्षण के लिए स्पष्टतः अधिकथित कोई योजना होनी चाहिए, जिस में उन गुणधर्मों का जिनका परीक्षण किया जाना हो तथा ऐसे परीक्षण की बारम्बारता का उल्लेख होना चाहिए। परीक्षण की योजना का अस्तित्व ही पर्याप्त नहीं है, अपितु एकक को अपनी दक्षता के बारे में स्वतन्त्र पैनल का समाधान करना होगा।

(vi) निर्यात किया जाने वाला माल, तथा स्वयं प्रमाणीकरण के अधीन प्रमाणित किया जाने वाला माल, सम्बद्ध भारतीय मानक या अन्य कोई मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होना चाहिए।

(vii) एकक के पास भारत की और विदेशी मंडियों में कम से कम तीन वर्ष की अवधि का, निरन्तर उपभोक्ता संतुष्टि अभिलेख होना चाहिए। डिजाइन, विनिर्माण तथा पैकिंग की शिकायतें कम से कम होनी चाहिए और ऐसी शिकायत की दशा में एकक को सुधार के लिए प्रभावी तथा सकारात्मक उपाय करने चाहिए और उपभोक्ताओं की संतुष्टि सुनिश्चित करनी चाहिए।

(viii) सहायक एककों द्वारा प्रत्येक निर्यात की दशा में जो भारत में ओ० इ० विनिर्माताओं को भी माल भेजते हैं, उसके पास इस बाबत कोई अभिलेख होना चाहिए कि उसने कम से कम तीन वर्ष की अवधि तक उन्हें क्वालिटी माल का प्रदाय किया है।

(ix) ऊपर दिए गए मापों के अतिरिक्त यूनिटों को उल्लिखित उत्पाद प्रक्रिया नियंत्रण से अपेक्षा होगी।

उपबंध III

(नियम 3 देखिए)

प्रक्रियागत क्वालिटी नियंत्रण

निर्यात के लिए आशयित विद्युत उपकरणों तथा उपसाधनों की क्वालिटी विनिर्माता द्वारा विनिर्माण के विभिन्न स्तरों पर निम्नलिखित नियंत्रणों का प्रयोग करके सुनिश्चित की जाएगी।

1. क्रय की गई सामग्री तथा घटक नियंत्रण :

(क) विनिर्माता प्रयुक्त किये जाने वाले घटकों या सामग्री की विशेषताओं तथा सहायताओं सहित विस्तृत विमाओं को समाविष्ट करते हुए, क्रय विनिर्देश अधिकथित करेगा।

(ख) स्वीकृत परेषणों के साथ या तो क्रय विनिर्देशों की अपेक्षा की पुष्टि करते हुए उत्पादक का परीक्षण प्रमाणपत्र होगा अथवा ऐसे परीक्षण प्रमाण-पत्र के अभाव में, क्रय विनिर्देशों से इसकी अनुरूपता की जाँच करने के लिए प्रत्येक परेषण में से नमूनों की नियमित जाँच की जाएगी । उत्पादनकर्ता परीक्षण-प्रमाणपत्र की शुद्धता सत्यापित करने के लिए पाँच परेषणों में से कम से कम एक की जाँच की जाएगी ।

(ग) आने वाले परेषणों का निरीक्षण तथा परीक्षण, सांख्यिकी नमूना योजना के अनुसार क्रय विनिर्देशों से अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा ।

(घ) निरीक्षण तथा परीक्षण किए जाने के पश्चात् स्वीकृत — अस्वीकृत माल या घटकों के पृथक्करण के लिए तथा अस्वीकृत माल या घटकों के निपटान के लिए व्यवस्थित पद्धतियां अपनाई जाएंगी ।

(ङ) उपरोक्त नियंत्रण के संबंध में पर्याप्त अभिलेख व्यवस्थित रूप से रखा जाएगा ।

2. प्रक्रिया नियंत्रण :

(क) विनिर्माता, विनिर्माण की विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए यथोचित प्रक्रिया विनिर्देश अधिकथित करेगा ।

(ख) प्रक्रिया विनिर्देश में अधिकथित प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए उपस्कर या उपकरणों की पर्याप्त सुविधाएं होंगी ।

(ग) विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान प्रयुक्त नियंत्रण के सत्यापन की संभावनाओं को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त अभिलेख रखा जाएगा ।

3. उत्पाद नियंत्रण :

(क) मानक विनिर्देशों के अनुसार उत्पाद का परीक्षण करने के लिए विनिर्माता के पास या तो अपनी परीक्षण सुविधाएं होंगी या उसकी पहुंच वहां तक होगी जहां ऐसी सुविधाएं विद्यमान हैं । इसके लिए पर्याप्त अभिलेख रखा जाएगा ।

(ख) परीक्षण के लिए नमूना (जहां कहीं भी अपेक्षित हो) अभिलिखित अन्वेषण पर आधारित होगा ।

(ग) अधिकथित निरीक्षण जाँच सूची के अनुसार प्रत्येक समुच्चय की जाँच जाएगी ।

4. मौसम संबंधी नियंत्रण :

उत्पादन तथा निरीक्षण में प्रयुक्त गेजों तथा उपकरणों को कालिक जाँच या अंशशोधन किया जाएगा तथा अभिलेख, वृत्त-कार्ड के रूप में रखे जाएंगे ।

5. परिरक्षण नियंत्रण :

(क) विनिर्माता, उत्पाद को मौसमी परिस्थितियों के प्रतिकूल प्रभाव से सुरक्षित रखने के लिए यथोचित विनिर्देश अधिकथित किए जाएंगे ।

(ख) भण्डारकरण एवं अभिवहन, दोनों के दौरान, उत्पाद को सुरक्षित रखा जाएगा ।

6. पैकिंग नियंत्रण :

उपर्युक्त उत्पाद की पैकिंग के लिए विनिर्देश अधिकथित किया जाएगा ।

अनुसूची

(विद्युत उपकरण तथा उप-साधन)

1. हॉट प्लेट
2. केतली
3. स्टोव तथा पका औषन
4. पानी गर्म करने के लिए हीटर (भण्डारकरण, निमज्जन तथा तत्काल प्रकार के)
5. टोस्टर
6. कमरा गर्म करने का यंत्र (विकरण तथा गर्म हवा फेंकने वाला)
7. पानी गर्म करने का यंत्र
8. सास पेन
9. खाद्य मिश्रक (द्रव मिश्रक, मिश्रक तथा ग्राइन्डर)
10. अंगमर्दक
11. केश सुखाने का यंत्र
12. काफी परकोलेटर
13. इस्त्री
14. कपड़े धोने की मशीनें
15. शेवर
16. सुबाह्य लैंप स्टैंड तथा ब्रैकिट
17. थोस्टता नियामक
18. हीटिंग ऐलिमेंट तथा हीटिंग पैड
19. उपकरणों के लिए ताप स्थायी
20. प्लग तथा सॉकेट
21. संयोजक तथा एडेप्टर
22. सभी प्रकार के स्विच
23. फयूज तथा फयूज यूनिट
24. सरकिट ब्रेकर
25. स्टार्टर
26. रिले
27. टर्मिनल ब्लाक
28. विलमक
29. मेलक
30. संधारित्र
31. प्रतिरोधक

[सं० 6(37)/76-नि०नि० तथा नि०उ०]

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION

(Department of Commerce)

ORDER

New Delhi, the 19th May, 1979

S.O. 1593.—Whereas the Central Government is of opinion that it is necessary and expedient so to do for the development of the export trade of India and that in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) electrical appliances and Accessories shall be subject to quality control and inspection prior to export ;

And whereas the Central Government has formulated the proposals specified below for the said purpose and has forwarded the same to the Export Inspection Council as required by Sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964 ;

Now, therefore, in pursuance of the said sub-rule and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 2304 dated the 16th July, 1977 the Central Government hereby publishes the said proposals for the information of the public likely to be affected thereby.

2. Notice is hereby given that any person desiring to forward any objection or suggestions with respect to the said proposals may forward the same within forty five days of the date of publication of this order in the Gazette of India, to the Export Inspection Council, 14/1B, Ezra Street, Calcutta-1.

PROPOSALS

(1) To notify that electrical appliances and accessories shall be subject to quality control and inspection prior to export ;

(2) To specify the type of quality control and inspection in accordance with the draft Export of Electrical

Appliances and Accessories (Quality Control and Inspection) Rules, 1978 set out in annexure I to this order as the type of quality control and inspection, which shall be applied to such electrical appliances and accessories prior to export ;

(3) To recognise—

(a) the relevant Indian Standard specifications or any other national standard specifications ;

(b) IEC recommendations or standards recognised association standards and specifications approved by a Ministry, a Government department or a public undertaking of any country.

(c) the specifications which do not fall under clause (a) and (b) above but are approved by a panel of experts appointed by the Export Inspection Council for the purpose of examining and approving such standards declared by the exporters as contractual specifications as the standard specifications for electrical appliances and accessories.

(4) To prohibit the export in the course of international trade of such Electrical Appliances and Accessories unless the same are accompanied by a certificate issued by any one of the agencies recognised or established by the Central Government under section 7 of the Export (Quality Control and inspection) Act. 1963 (22 of 1963) to the effect that the electrical appliances and accessories satisfy the conditions relating to quality control and inspection and are export-worthy or carry a mark or seal recognised by the Central Government under section 8 of the said Act ;

2. Nothing in this order shall apply to the export by land sea or air of bonafide samples of electrical appliances and accessories to prospective buyers, the f.o.b. value of which does not exceed rupees one hundred and twenty five.

3. In this order "electrical appliances and accessories" shall mean any of the products mentioned in the Scheduled given below.

SCHEDULE

(Electrical Appliances and Accessories)

1. Hot Plates.
2. Kettles.
3. Stoves and Cooking Ovens.
4. Water Heaters (Storage, immersion and instant types)
5. Toasters.
6. Room Heaters (Radiators and Hot Air Blowers).
7. Water Boilers.
8. Sauce Pans.
9. Food Mixers (Liquidizers, Blenders and Grinders).
10. Massagers.
11. Hair Dryers.
12. Coffee Percolators.
13. Irons.
14. Clothes Washing Machines.
15. Shavers.
16. Portable Lamp Stands and Brackets.
17. Voltage Regulators.
18. Heating Elements and Heating Pads.
19. Thermostats for Appliances.
20. Plugs and Sockets.
21. Connectors and Adaptors.
22. Switches of all types.
23. Fuses and Fuse Units.
24. Circuit Brakers.
25. Starters.
26. Relays.
27. Terminal Blocks.
28. Isolators.
29. Contactors.
30. Capacitors.
31. Resistors.

ANNEXURE-I

(Draft rules proposed to be made under section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963)

1. Short title and commencement : (1) These rules may be called the Export of Electrical Appliances and Accessories (Quality Control and Inspection) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication.

2. Definitions : In these rules, unless the context otherwise requires :—

(a) "Act" means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) ;

(b) "agency" means any of the Agencies established at Bombay, Calcutta, Cochin, Delhi and Madras or any other organisations recognised by the Central Govt. under section 7 of the Act ;

(c) "Electrical appliances and accessories" shall mean any of the products mentioned in the schedule appended to these rules.

3. Basis and procedure for inspection :

(1) The inspection shall be carried out with a view to ensuring that Electrical Appliances and Accessories intended for export, have been produced by exercising the levels of control specified in Annexure II or Annexure III or the quality or the same conforms to the specifications recognised by the Central Government under section 6 of the Act.

(2) Any one of the following schemes of inspection shall be adopted for electrical appliances and accessories, namely :—

(a) Self-Certification : (i) Any manufacturing unit fulfilling the norms listed in Annexure-II shall apply to the Regional Office of Export Inspection Council, Aman Chambers (4th Floor), 113, M. Karve Road, Bombay-400004.

(ii) Any one of the panels appointed by the Council shall visit such unit and assess as to whether effective quality assurance system is operating satisfactorily.

(iii) The units that are approved by the panel shall be recognised under section 7 of the Act, enabling them to issue certificates of export-worthiness for their export consignments.

(iv) Such recognition shall be valid for a period of one year, and shall be renewed thereafter based on the continuance of the effective quality assurance system.

Provided that if the Central Government is of opinion that any recognition granted to any manufacturing unit should, in the public interest be withdrawn, the Central Government may, after giving a reasonable opportunity to that unit, withdraw, the recognition under seition 7 of the Act.

(b) In-process quality control : (i) Any manufacturing unit having adequate in-process quality control as per Annexure III shall apply to the nearest office of the Council. given below :

Export Inspection Council,
14/1B. Ezra Street,
Calcutta-700001.

Regional Offices :—

1. Export Inspection Council,
Aman Chambers, 4th Floor,
113, Maharshi Karve Road,
Bombay-400004.

2. Export Inspection Council,
Manohar Building,
Mahatma Gandhi Road,
Ernakulam,
Cochin-682011.

3. Export Inspection Council,
Municipal Market Bldg.,
3, Saraswati Marg,
Karol Bagh,
New Delhi-110005.

(b) Export Inspection Council shall then arrange a visit to the manufacturing unit and assess as to whether an effective in-process quality control system is operating satisfactorily.

(c) Consignmentwise inspection : Any manufacturing unit not satisfying the requirements specified in clauses (a) and (b), shall offer to any agency their export consignments for inspection which shall be done to ensure that the products manufactured by it conforms to the specification recognised by Central Government under section 6 of the Act. However, such manufacturing units shall arrange for necessary testing facilities in respect of routine and acceptance tests. They shall also be required to produce independent test certificates for type tests.

(3) The following procedure shall be followed for inspection and certification of electrical appliances and accessories, namely :—

(a) Any manufacturing unit recognised under self-certification scheme under clause (a) of sub-rule (2), shall issue certificate of export worthiness for export consignments, manufactured by it.

(b) (i) Any exporter (other than those manufacturing units recognised under self-certification scheme) intending to export electrical appliances and accessories shall give intimation in writing of his intention so to do and submit along with such intimation a declaration of the specifications giving details of all technical characteristics as stipulated in the export contract relating to such export, to any one of the agencies to enable it to carry out inspection in accordance with clause (b) or clause (c) of sub-rule (2).

(ii) He shall at the same time endorse a copy of such intimation for inspection to the office of the Council nearest to the office of the agency.

(c) For export of products manufactured by units approved under clause (b) of sub-rule (2) the exporter shall also submit alongwith such intimations a declaration that the electrical appliances and accessories intended for export has been manufactured by exercising quality control as laid down in Annexure III and that the consignment conforms to the requirements of the specifications recognised for this purpose.

(d) Every intimation and declaration under Clause (b) or clause (c) shall reach the office of the agency and the Council not less than two weeks prior to the despatch of the consignment from the manufacturer's premises.

(e) The exporter shall also furnish to the agency the identification marks applied on the consignment.

(f) On receipt of the intimation and declaration under clause (b) or clause (c) the agency ;

(i) in the case of an exporter exporting products manufactured by units approved under clause (b) of sub-rule (2) on satisfying itself that during the process of manufacture the unit had exercised adequate quality controls as provided under Annexure III and followed the instructions, if any, issued by the Council in this regard, shall within three days issue a certificate declaring the consignment of Electrical Appliances and Accessories as exportworthy. However, the Agency shall, assure through periodic inspections that adequate controls are exercised at the manufacturing premises; and

(ii) in case of exporter exporing products manufactured by units falling under clause (c) sub-rule (2), shall carry out inspection of electrical appliances and accessories with a view to ensuring that the products conform to the specifications recognised for the purpose.

(g) (i) After completion of inspection, the agency shall immediately seal packages in the consignment in a manner so as to ensure that the sealed packages cannot be tampered with.

(ii) In case of rejection of consignment, if the exporter so desires, the consignment may not be sealed by the agency.

(iii) In such cases, however, the exporter shall not be entitled to prefer any appeal against the rejection.

(h) If the agency is satisfied that the consignment of electrical appliances and accessories complies with the requirements under these rules it shall within seven days of completion of inspection, issue a certificate to the exporter declaring that the consignment is exportworthy ;

Provided that where the agency is not so satisfied, it shall within the said period of seven days issue a rejection letter communicating the reasons therefor.

(i) As and when required by the agency, the exporter shall supply free of charges for inspection and testing samples of electrical appliances and accessories from export consignment. Such samples shall, however, be returned by the agency after done with.

4. Affixation of recognised mark and procedure thereof : The provisions of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952 (36 of 1952), the Indian Standards Institution (Certification Marks) Rules, 1955 and the Indian Standards Institution Certification Marks) Regulations, 1955 shall so far as may apply in relation to the procedure of affixation of the recognised mark or seal on electrical appliances and accessories prior to export and electrical appliances and accessories so marked shall not be subjected to any inspection under rule 3.

5. Place of Inspection : Inspection under these rules shall be carried out at the manufacturing or other premises where adequate testing and inspection facilities are available.

6. Inspection fee : Inspection fee shall be paid by the exporter to the agency as under :

(a) For units under self-certification scheme :

Rs. 1,000 per annum for exports of less than Rs. 5 lakhs per annum.

Rs 2,5000 per annum for exports of over Rs. 5 to 25 lakhs per annum.

Rs. 5,000 per annum for exports of over Rs. 25 to 50 lakhs per annum.

Rs. 10,000 per annum for exports of over Rs. 50 to 100 lakhs per annum.

Rs. 20,000 per annum for exports exceeding Rs. 100 lakhs per annum.

(b) For units under inprocess quality control scheme :

At the rate of twenty paise for every hundred rupees of f.o.b value subject to a minimum of rupees hundred only for each consignment.

(c) For units under consignmentwise inspection scheme :

At the rate of fifty paise for every hundred rupees of f.o.b. value subject to a minimum of rupees hundred only for each consignment.

7. Appeal : (1) Any person aggrieved by the refusal of the agency to issue a certificate under rule 3 may within ten days of the receipt of the communication of such refusal by him, prefer an appeal to a panel of experts, consisting of not less than three persons that may be consituted by the Central Government.

(2) The panel shall consist of at least two-third of non-officials of the total memberships of the panel of experts.

(3) The quorum for the panel shall be three.

(4) The appeal shall be disposed of within fifteen days of its receipts.

ANNEXURE-II

(See rule 3)

Norms of Self-Certification

(i) The unit should have an effective and comprehensive quality control set up covering all operations.

(ii) The quality control set up should be headed by a competent technical person at a senior level and he should not be reporting to an officer who is in charge of production.

(iii) The unit should have detailed company standards not only for its products but also for the entire range of raw materials and components that are bought out. Such company standards should not be lower in quality to that of the relevant Indian Standard Specifications.

(iv) The unit must have its own facilities for routine and acceptance tests and to the extent possible, type tests as well. Further the unit should have necessary equipment for exercising an effective metrological control over the gauges used by them.

(v) The unit should have a clearly laid down scheme of testing and inspection indicating the characteristics to be tested and the frequency of testing to ensure conformity of its production to the standard specifications. The existence of a scheme of testing alone would not be sufficient but the unit should be able to convince an independent panel about its efficacy.

(vi) The goods to be exported and to be certified under self-certification should conform to the relevant Indian Standard or any other recognised national standard.

(vii) The unit should have a record of continuous consumer satisfaction in India and in the overseas markets for a minimum period of 3 years. Incidents of complaints of design, manufacture and packaging should be minimum and in the event of any such complaint the unit should have taken effective and positive measures of improvement and ensured customer satisfaction.

(viii) In the case of direct exports by ancillary units, who are also supplying to O.F. manufacturers in India there should be a consistent record of quality supplies to them for a minimum period of 3 years.

(ix) Apart from the norms prescribed above, the units will also be required to have the stipulated in-process quality control.

ANNEXURE III

(See rule 3)

In-process Quality Control :

The quality of the electrical appliances and accessories intended for export shall be ensured by the manufacturer by effecting the following controls at different stages of manufacture.

1. Brought out materials and components control :

(a) Purchase specifications shall be laid down by the manufacturer incorporating the properties of materials or components to be used and the detailed dimensions thereof with tolerances.

(b) The accepted consignments shall be either accompanied by a producer's test certificate corroborating the requirement of the purchase specifications or in the absence of such test certificates, samples from each consignment shall be regularly tested to check up its conformity to the purchase specifications. The producer's test certificate shall be counter-checked atleast once in five consignments to verify the correctness.

(c) The incoming consignments shall be inspected and tested for ensuring conformity to purchase specifications against statistical sampling plans.

(d) After the inspection or test is carried out, systematic methods shall be adopted in segregating the accepted and rejected materials or components and in disposal of rejected materials or components.

(e) Adequate records in respect of the abovementioned controls shall be systematically maintained.

2. Process Control :

(a) Detailed process specifications shall be laid down by the manufacturers for various processes of manufacture.

(b) Equipment or instrumentation facilities shall be adequate to control the processes as laid down in the process specifications.

(c) Adequate records shall be maintained to enable the verification of the controls exercised during the process of manufacture.

3. Product Control :

(a) The manufacturer shall either have his own testing facilities or shall have access to such testing facilities existing elsewhere to test the product as per the standard specification. Adequate records thereof shall be maintained.

(b) Sampling (wherever required) for testing shall be based on a recorded investigation.

(c) Each and every assembly shall be checked against a laid down inspection check list.

4. Metrological Control :

Gauges and instruments used in the production and inspection shall be periodically checked or calibrated and records shall be maintained in the form of history cards.

5. Preservation Control :

(a) A detailed specification shall be laid down by the manufacturer to safeguard the product from adverse effects of whether conditions.

(b) The product shall be well preserved both during storage and during transit.

6. Packing Control :

A specification shall be laid down for packing the aforesaid products.

SCHEDULE

(Electrical Appliances and Accessories)

1. Hot Plates.
2. Kettles.
3. Stoves and Cooking Ovens.
4. Water Heaters (storage, immersion and instant types).
5. Toasters.
6. Room Heaters (Radiators and Hot Air Blowers).
7. Water Boilers.
8. Sauce Pans.
9. Food Mixers (Liquidizer, Blenders and Grinders).
10. Massagers.
11. Hair Dryers.
12. Coffee Percolators.
13. Irons.
14. Clothes Washing Machines.
15. Shavers.
16. Portable Lamp Stands and Brackets.

17. Voltage Regulators.
18. Heating Elements and Heating Pads.
19. Thermostats for Appliances.
20. Plugs and Sockets.
21. Connectors and Adaptors.
22. Switches of all types.
23. Fuses and Fuse Units.
24. Circuit Breakers.
25. Starters.
26. Relays.
27. Terminal Blocks.
28. Isolators.
29. Contactors.
30. Capacitirs.
31. Resistors.

[No. 6(37)/76-EI&EP]

का०आ० 1594.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चीनी-मिट्टी के विद्युत रोधकों तथा बुशों के संबंध में यह घोषित करने के प्रयोजन के लिए भारतीय मानक संस्थान प्रमाणीकरण चिन्ह को मान्यता देने का प्रस्ताव करती है जहाँ चीनी-मिट्टी के विद्युत रोधकों तथा बुशों पर ऐसे चिन्ह लगाए या चिपकाए जाते हैं, वहां यह समझा जाएगा कि वे उक्त अधिनियम के अधीन उनको लागू मानक विनिर्देशों के अनुरूप हैं;

और केन्द्रीय सरकार ने पूर्वोक्त प्रस्ताव, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उप-नियम (2) की अपेक्षानुसार निर्यात निरीक्षण परिषद् को भेज दिया है;

अतः, अब, उक्त उपनियम के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उक्त प्रस्ताव को उन लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है ।

2. सूचना दी जाती है कि उक्त प्रस्ताव के बारे में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक व्यक्ति उन्हें इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर निर्यात निरीक्षण परिषद् 'वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर' 14/1-बी०, एजरा स्ट्रीट, (8वीं मंजिल) कलकत्ता-700001 को भेज सकते हैं ।

3. इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए चीनी-मिट्टी के "विद्युत रोधकों तथा बुशों" से नीचे दिए गए तथा विद्युत तथा दूर संचार प्रणाली के लिए बनाए गए, चीनी-मिट्टी के विद्युत रोधक तथा बुश अभिप्रेत हैं, अर्थात् :—

(1) भा० मा०-1445-1966 के समान शिरोपरि पावर लाइनों (1000 वोल्ट से कम) के लिए चीनी-मिट्टी के विद्युत रोधक ।

(2) भा०मा०-283—1976 के समान तार तथा टेलीफोन की लाइनों के लिए चीनी-मिट्टी के विद्युत रोधक अर्थात् भा०मा० 731-1971 के समान पिन या लाइन पोस्ट तथा डिस्क या प्रलंबन या स्ट्रिंग विद्युत रोधक हैं ।

(4) भा०मा०—2099-1973 के समान, 1000 वोल्ट से अधिक वोल्टता को प्रत्यावर्तन करने के लिए बुशें ।

(5) भा०मा०—2544—1973 के समान 1000 वोल्ट से अधिक अंकित वोल्टता वाली पद्धतियों के लिए चीनी-मिट्टी के पोस्ट विद्युत रोधक ।

(6) भा० मा०—7421—1974 के समान, 1 कि० वो० तक की वोल्टता को प्रत्यावर्तन करने के लिए चीनी-मिट्टी की बुशें ।

(7) भा० मा०—3347—1965 के समान चीनी-मिट्टी की ट्रांसफार्मर बुशें ।

(8) भा० मा० 4318—1967 के समान शिरोपरि कर्षण लाइनों के लिए ठोस कोर चीनी-मिट्टी के विद्युत रोधक ।

(9) भा० मा०—5300—1963 के समान चीनी-मिट्टी की गाई स्ट्रेन विद्युत रोधक ।

(10) भा० मा० 3070—के समान, प्रत्यावर्ती धारा पद्धतियों के लिए तड़ित निवर्तक ।

[सं० 6(13) 76-नि०नि० तथा नि० उ०]

सी० बी० कुकरेती, संयुक्त निदेशक

S.O. 1594.—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by section 8 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) propose to recognise the Indian Standards Institution (Certification Mark in relation to porcelain Insulators and bushings for the purpose of denoting that where porcelain insulators and bushings are affixed or applied with such mark, it shall be deemed to be in confirmity with the standard specification applicable thereto under the said Act ;

And whereas the Central Government has forwarded the aforesaid proposal to the Export Inspection Council as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules 1964 ;

Now, therefore, in pursuance of the said sub-rule, the Central Government hereby publishes the said proposal for the information of the public likely to be affected thereby.

2. Notice is hereby given that any person desiring to forward any objections os suggestions with respect to the said proposal may forward the same within forty five days of the publication of the notification in the Official Gazette to the Export Inspection Council World Trade Centre', (7th floor), 1/1B, Ezra Street, Calcutta-700001.

3. For this purpose of this notification, "porcelain insulators and bushings" means the ceramic insulators and bushings meant for electrical and telecommunication systems as mentioned below :

(1) Porcelain insulators for over-head power lines (below 1000 volts) similar to IS-1445-1966.

(2) Porcelain insulators for telegraph and telephone lines similar to IS-283-1976.

(3) Porcelain insulators for over-head power, lines with a nominal voltage greater than 1000 volts e.g. pin or line post and disc or suspension or string insulators similar to IS-731-1971.

(4) Bushings for alternating voltage above 1000 volts similar to IS-2099-1973.

(5) Porcelain post insulators for systems with nominal voltage greater than 1000 volts similar to IS-2544-1973.

(6) Porcelain bushings for alternating voltage upto and including 1 KV similar to IS-7421-1974.

(7) Porcelain transformer bushings similar to IS-3347-1965.

(8) Solid core procelain insulators for overhead traction lines similar to IS-4318-1967.

(9) Porcelain guy strain insulator similar to IS-5300-1969.

(10) Lightening arrestors for alternating current systems similar to IS-3070.

[No. 6(13)/76-EI&EP]

C. B. KUKRETI, Jt. Director

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता विभाग)

भारतीय मानक संस्था

नई दिल्ली, 1979-04-26

का.आ. 1595 —भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम 1955 के नियम 3 के उपविनियम 2 तथा विनियम 3 के उपविनियम (2) और (3) के अनुसार भारतीय मानक संस्था एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि जिन भारतीय मानकों के ब्यौरे नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, व 1976-06-30 को निर्धारित किए गए हैं :

अनुसूची

क्रम संख्या	निर्धारित भारतीय मानक की संख्या और शीर्षक	रद्द किए गए भारतीय मानक की पद संख्या और शीर्षक	अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS : 34-1975 रंग रोगन के लिए सीसा के क्षारीय कार्बोनेट (सफेदा) की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	IS : 34-1950 रंग रोगन के लिए सीसा के क्षारीय कार्बोनेट (सफेदा) की विशिष्ट	1976-04-30 को निर्धारित *भारतीय मानक संस्था की प्रमाणन चिह्न योजना के अंतर्गत IS : 34-1975, 1976-11-30 से लागू होगा।
2.	IS : 79-1975 रंग रोगन के लिए अलसी के तेल से बने स्टैण्ड तेल की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	IS : 79-1950 रंग रोगन के लिए स्टैण्ड तेल (क) हल्का (ख) मध्यम (ग) भारी (घ) विशेष भारी की विशिष्टि	1976-05-31 को निर्धारित
3.	IS : 228 (भाग 10)-1976 इस्पात के रसायनिक विश्लेषण की पद्धति भाग 10 अल्प तथा उच्च मिश्र इस्पातों में थायोसायनेट (फोटो मापी) पद्धति (1 प्रतिशत तक मालीब्डीनम के लिए) द्वारा मालीब्डीनम का निर्धारण (दूसरा पुनरीक्षण)	IS : 228-1959 कच्चा लोहा, ढलवां तथा साधे कार्बन एवं अल्प मिश्र इस्पातों की रसायनिक विश्लेषण पद्धति (पुनरीक्षित)	—
4.	IS : 228 (भाग II)-1976 इस्पातों के रसायनिक विश्लेषण की पद्धति भाग II कार्बन इस्पातों तथा अल्प मिश्र इस्पातों में फोटो मापी पद्धति सिलिकॉन (0.01 से 0.05 प्रतिशत तक सिलिकोन के लिए) का निर्धारण (द्वितीय पुनरीक्षण)	IS : 228-1959 कच्चा लोहा, ढलवां तथा साधे कार्बन एवं अल्प मिश्र इस्पातों की रसायनिक विश्लेषण पद्धति (पुनरीक्षण)	—
5.	IS : 228 (भाग 12)-1976 इस्पातो के रसायनिक विश्लेषण की पद्धति भाग 12 अल्प तथा उच्च मिश्र इस्पातों में फोटोमापी पद्धति मैंगनीज (2 प्रतिशत तक मैंगनीज के लिए) का निर्धारण (द्वितीय पुनरीक्षण)	—,,—	1976-05-31 को निर्धारित
6.	IS : 267-1976 अक्रिय विद्युत सेलों की विशिष्टि (तीसरा पुनरीक्षण)	IS : 267-1963 अक्रिय विद्युत सेलों की विशिष्टि (द्वितीय पुनरीक्षण)	—
7.	IS : 268-1976 लेकलैंच प्रकार की सेक-सेलों की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	IS : 268-1959 लेकलैंच प्रकार की सेक-सेलों विशिष्ट (पुनरीक्षित)	—
8.	IS : 283-1976 तार तथा टेलीफोन लाइनों के लिए फोर्सलेन रोधकों की विशिष्टि (तीसरा पुनरीक्षण)	IS : 283-1966 तार तथा टेलीफोन लाइनों के लिए पोर्सलेन रोधकों की विशिष्टि (द्वितीय पुनरीक्षण)	—
9.	IS : 1094-1976 हथकरघो के सूती गद्दों के कपड़े की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	IS : 1094-1957 हथकरघे के सूती गद्दों के कपड़े की विशिष्टि	—
10.	IS : 1108-1975 औषधि सम्बन्धी कांच के धारकों की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	IS : 1108-1965 औषधि सम्बन्धी गोल चलने मुह वाली कांच की बोतलों की विशिष्टि (पुनरीक्षित)	1976-04-30 को निर्धारित
11.	IS : 1200 (भाग 12)-1976 इमारती तथा सिविल इंजीनियरी कार्यों की मापन पद्धति भाग 12 पलस्तर कराई तथा टिपाई (तीसरी पुनरीक्षण)	IS : 1200 (भाग 12)-1971 इमारती तथा सिविल इंजीनियरी कार्यों की मापन पद्धति भाग 12 पलस्तर कराई तथा टिपाई (दूसरा पुनरीक्षण)	—
12.	IS : 1200 (भाग 13)-1976 इमारती तथा सिविल इंजीनियरी कार्यों की मापन पद्धति भाग 13 सफेद कराना, रंग पुताई, डिमटेम्पर कराना तथा अन्य पुताईयां (तीसरा पुनरीक्षण)	IS : 1200 (भाग 13)-1970 इमारती तथा सिविल इंजीनियरी कार्यों की मापन पद्धति भाग 13 सफेदी कराना, रंग पुताई, डिसटेम्पर करना तथा अन्य पुताईयां (दूसरा पुनरीक्षण)	—

(1)	(2)	(3)	(4)
13.	IS : 1200 (भाग 15)–1976 इमारती तथा सिविल इंजीनियरी कार्यों की मापन पद्धति भाग 15 रंग रोगन, पालिश, वार्निश आदि (तीसरा पुनरीक्षण)	IS : 1200 (भाग 15)–1968 इमारती तथा सिविल इंजीनियरी कार्यों की मापन पद्धति भाग 15 रंग रोगन (दूसरा पुनरीक्षण)	—
14.	IS : 1449–1976 मैंगनीज अयस्क की बानगी लेने की पद्धति (पहला पुनरीक्षण)	IS : 1449–1961 मैंगनीज अयस्क की बानगी लेने की पद्धति	—
15.	IS : 1680–1976 अक्षम ब्वायलरों के लिए उपयुक्त जल के उपचार की रीति संहिता (दूसरा पुनरीक्षण)	IS : 1680–1968 अक्षम ब्वायलरों के लिए उपयुक्त जल के उपचार की रीति संहिता (पहला पुनरीक्षण)	—
16.	IS : 1828–1975 तनाव परीक्षण मशीन के भार सत्यापन की पद्धति (पहला पुनरीक्षण)	IS : 1828–1961 इस्पात के तनाव परीक्षण मशीन के भार सत्यापन की पद्धति	—
17.	IS : 1889 (भाग 2)–1976 रूई तथा नव-विकसित सेलूलोज धागों के द्विअंगी परिमाणात्मक रसायनिक विश्लेषण की पद्धति भाग 2 कैडोक्सेन ओलक पद्धति	—	1976-05-31 को निर्धारित
18.	IS : 1956 (भाग 5)–1976 लोहा एवं इस्पात सम्बन्धी पारिभाषिक शब्दावली भाग 5 चमकीले इस्पात की सरिया तथा इस्पात के तार (पहला पुनरीक्षण)	IS : 1956–1962 लोहा एवं इस्पात सम्बन्धी परिभाषिक शब्दावली	—
19.	IS : 2105–1975 सामान्य उपयोग की लेटरप्रेस के लिए काली स्याही की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	IS : 2105–1962 सामान्य उपयोग की लेटर-प्रेस के लिए काली स्याही की विशिष्टि	1975-10-31 को निर्धारित
20.	IS : 2440–1975 इमारतों में दिवा प्रकाश व्यवस्था की संदर्शिका (दूसरा पुनरीक्षण)	IS : 2440–1968 इमारतों में दिवा प्रकाश व्यवस्था की रीति संदर्शिका (पहला पुनरीक्षण)	1976-04-30 को निर्धारित
21.	IS : 2469–1976 जिपसम् सम्बन्धी पारिभाषिक शब्दावली (पहला पुनरीक्षण)	IS : 2469–1963 जिपसम् सम्बन्धी पारिभाषिक शब्दावली	—
22.	IS : 2507–1975 कमानियों के लिए शीत वेल्डित इस्पात की पत्तियों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	IS : 2507–1965 कमानियों के लिए शीत वेल्डित इस्पात की पत्तियों की विशिष्टि	1976-04-30 को निर्धारित
23.	IS : 2547 (भाग 1)–1976 इमारतों के लिए जिप्सम पलस्तर की विशिष्टि भाग 1 पूर्ण मिश्रित हल्के वजन वाले पलस्तर के अतिरिक्त (पहला पुनरीक्षण)	IS : 2547–1963 इमारतों के लिए जिप्सम पलस्तर की विशिष्टि	—
24.	IS : 2720 (भाग 23)–1976 मृत्तिका परीक्षण पद्धतियां भाग 23 कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा ज्ञात करना (पहला पुनरीक्षण)	IS : 2720 (भाग 23)–1966 मृत्तिका परीक्षण पद्धतियां भाग 23 कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा ज्ञात करना	1976-05-31 को निर्धारित
25.	IS : 2879–1975 मेटल आर्क वेल्डिंग के इलेक्ट्रोड कोर तार के लिए मृदु इस्पात की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	IS : 2879–1967 मेटल आर्क वेल्डिंग के इलेक्ट्रोड कोर तार के लिए मृदु इस्पात की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	1976-01-31 को निर्धारित *भा० मा० संस्था के प्रमाणन चिह्न योजना के लिए IS : 2879–1967 तथा IS : 2879-1975, 1976-08-31 तक साथ साथ लागू रहेंगे ।
26.	IS : 3837–1976 बिजली की वायरिंग के लिए इस्पात की सक्त तार नालियों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	IS : 3337–1966 बिजली की वायरिंग के लिए इस्पात की सक्त तार नालियों की विशिष्टि	—
27.	IS : 4130–1976 इमारतें गिराने की सुरक्षा संहिता (पहला पुनरीक्षण)	IS : 4130–1967 इमारतें गिराने की सुरक्षा संहिता	—
28.	IS : 4475–1975 लोहे की ढलाई कारखानों के लिए क्रेन से लटकाए तथा हाथ से चलाने वाले गियर लगे करछुलों लैडिलों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	IS : 4475–1967 लोहे की ढलाई कारखानों के लिए क्रेन से लटकाए तथा हाथ से चलाने वाले गियर लगे करछुलों लैडिलों की विशिष्टि	1976-05-31 को निर्धारित
29.	IS : 6763 (भाग 2)–1976 ट्रेलरों के पांचवें पहिए की प्रमुख पिन की विशिष्टि भाग II 89 मिमी व्यास	—	1976-05-31 को निर्धारित
30.	IS : 7348 (भाग 3)–1975 वंत-चिकित्सा सम्बन्धी शब्दावली भाग 3 वंत सामग्री	—	—
31.	IS : 7436 (भाग 2)–1976 नदी घाटी योजनाओं में आगारों की मापन प्रकार संदर्शिका तथा माप यंत्रों के चुनाव तथा स्थिति के चुनाव की कसौटियां भाग 2 कंक्रीट तथा चिनाई बांध	—	—

(1)	(2)	(3)	(4)
32.	IS : 7503 (भाग 2)–1976 रबड़ उद्योग संबंधी पारिभाषिक शब्दावली भाग 2	—	—
33.	IS : 7739 (भाग 7)–1975 धातुलेखी नमूने तैयार करने की रीति संहिता भाग 7 मैगनीशियम और उसकी मिश्रधातुएं एवं उनके परीक्षण	—	1976-05-31 को निर्धारित
34.	IS : 7739 (भाग 8)–1975 धातुलेखी नमूने तैयार करने की रीति संहिता भाग 8 निकेल और उसकी मिश्रधातु एवं उनके परीक्षण	—	—
35.	IS : 7739 (भाग 9)–1975 धातुलेखी नमूने तैयार करने की रीति संहिता भाग 9 सोना, चांदी, प्लेटिनम, पैलेडियम तथा उनकी मिश्रधातुएं	—	—
36.	IS : 7739 (भाग 10)–1975 धातुलेखी नमूने तैयार करने की रीति संहिता भाग 10 वंग और उसकी मिश्रधातु एवं उनके परीक्षण	—	—
37.	IS : 7859–1975 आई०एस०ओ० फिट साइजों (सांकेतिक आकार 500 मिमी तक) के भीतरी मापन के लिए सार्वे मापकों के लिए मापन छूटें तथा निर्माण छूटें	—	1976-05-31 को निर्धारित
38.	IS : 7894–1975 आई०एस०ओ० फिट साइजों (सांकेतिक आकार 500 मिमी तक) के भीतरी मापन के लिए सार्वे मापकों के लिए मापन छूटें तथा निर्माण छूटें	—	1976-05-31 को निर्धारित
39.	IS : 7894–1975 मिट्टी के बाँधों की स्थिरता परीक्षण की रीति संहिता	—	—
40.	IS : 7920 (भाग 1)–1976 सांख्यिकी शब्दावली एवं प्रतीक : भाग 1 सामान्य सांख्यिकी शब्द	—	1976-05-31 को निर्धारित
41.	IS : 7921–1975 कौतिज समन्वयन तथा नियंत्रक मापों के लिए माडुलीय समन्वयन सम्बन्धी बहुमाडयूलों और तरजीही साइजों की सिफारिश	—	1976-05-31 को निर्धारित
42.	IS : 7922–1975 ऊर्ध्वसमन्वयन तथा नियंत्रक मापों के लिए माडुलीय समन्वय सम्बन्धी बहुमाडयूलों और तरजीही साइजों की सिफारिश	—	1976-05-31 को निर्धारित
43.	IS : 7931 (भाग 2)–1975 स्वतः समायोजी आर्कों वाली, स्वचल तथा अर्धस्वचल वेल्डिंग उपस्कर की विशिष्टि (मिग/मैग क्रियाएं)	—	1976-05-31 को निर्धारित
44.	IS : 7941–1976 शंकु परीक्षण द्वारा कपड़ों की पानी हटाने की क्षमता निर्धारित की पद्धति	—	1976-05-31 को निर्धारित
45.	IS : 7942–1976 शैक्षणिक इमारतों में दिन में प्रकाश व्यवस्था की रीति संहिता	—	1976-05-31 को निर्धारित
46.	IS : 7950–1976 तकनीकी, फेनथियन की विशिष्टि	—	1976-05-31 को निर्धारित
47.	IS : 7953–1976 मोटर गाड़ियों के ब्रेक के रिंगों की विशिष्टि	—	1976-05-31 को निर्धारित
48.	IS : 7976–1976 तकनीकी फोरेट की विशिष्टि	—	—
49.	IS : 7978–1976 रिवेट काटने की वायुचालित मशीन की विशिष्टि	—	—
50.	IS : 7979–1976 रिवेट जड़ने वाले वायुचालित हथौड़े की विशिष्टि	—	—
51.	IS 7984–1976 कर्षण मसाले की विशिष्टि	—	—

(1)	(2)	(3)	(4)
52.	IS 7988–1976 क्रीमेल कोपेल थर्मोकपल की निर्देश सारिणी	—	—
53.	IS 7992-1976 निर्यात के लिए तम्बाकू पैक करने के प्लाईवुड के बक्सों की विशिष्टि	—	—
54.	IS 7996–1976 पावर सॉकेट रिबों के चालक स्क्वायर की विशिष्टि	—	—
55.	IS 7998–1976 मोटर साइकिलों के लिए कार्टेक्ट ब्रेकर की विशिष्टि	—	—
56.	IS 7999–1976 तरल धानगियों के लिए परीक्षण कांच की विशिष्टि	—	—
57.	IS 8002–1976 लचीले पी०वी०सी० (लचीले पालीविनायल क्लोराईड) के वेल्डिंग की अनुशंसित विधि	—	—
58.	IS 8006–1976 इमारती लकड़ी की चौकियों (पैलेट) के धरने उठाने की सिफारशें	—	
59.	IS 8013–1976 मछली पकड़ने वाले जहाजों के समुद्री डीजल इंजनों के चुनाव एवं परीक्षण की निर्देशिका !	—	—
60.	IS 8014–1976 रंगाई तथा फिनिश देने की मशीनों के वर्गीकरण तथा नामकरण	—	—
61.	IS 8015–1976 तेल ड्रमों की हस्त चालित ट्रालियों की विशिष्टि	—	—
62.	IS 8016–1976 औद्योगिक उपयोग के लिए गैस सिलिंडरों (आक्सीजन तथा घुली हुयी एसीटीलीन) की हस्त चालित ट्रालियों की विशिष्टि	—	—
63.	IS 8018–1976 थर्मोकपल के इलीमेंटों के लिए प्लैटीनम तथा प्लैटीनम के मिश्रधातुओं की विशिष्टि	—	—
64.	IS 8020–1976 दांतों की आधार प्लेट की विशिष्ट	—	—
65.	IS 8021–1975 दांतों के लिए थिपचिपी मोम की विशिष्टि	—	—
66.	IS : 8022–1976 एक्रीलिकरेजिन के बने दांतों की विशिष्टि	—	—
67.	IS : 8025–1976 तकनीकी मोनोक्रोटोफास की विशिष्टि	—	—
68.	IS : 8026–1976 फारमोथियन पायसनीय तेज द्रव की विशिष्टि	—	—
69.	IS : 8027–1976 प्रोपैनील पायसनीय तेज द्रव की विशिष्टि	—	—
70.	IS : 8028–1976 क्विनालफास पायसनीय तेज द्रव की विशिष्टि	—	—
71.	IS: 8029–1976 क्विनालफास धूलन पाउडर की विशिष्टि	—	—
72.	IS : 8031–1976 वाट्सन चेएन नमूने के विछेदक की विशिष्टि	—	—
73.	IS: 8039–1976 हथकरघे की मिश्रित सूती साड़ियों की विशिष्टि	—	—
74.	IS : 8040–1976 कोचर नमूने के धमनी फोर्सेप्स की विशिष्टि	—	—
75.	IS: 8057–1976 मशीनी पेंचों के निर्माण (टोपी बनाने की शीस विधि द्वारा) में प्रयुक्त तार छड़ों के उत्पादन के लिए इस्पात के इंगट और बिलेट की विशिष्टि	—	—

इन भारतीय मानकों की प्रतियां बिक्री के लिए भारतीय मानक संस्था, मानक भवन, 9 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, में तथा इस के शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलौर, बम्बई, कलकत्ता, चंडीगढ़, हैदराबाद, कानपुर, मद्रास, पटना और तिरुवेन्द्रम में उपलब्ध है ।

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES & CO-OPERATION

(Department of Civil Supplies & Co-operation)

INDIAN STANDARDS INSTITUTION

New Delhi, the 1979-04-26

S.O. 1595.—In purusacne of Sub-rule (2) of Rule 3 and Sub-regulations(2) and (3) of regulation 3 of Indian Standards Institution (Certification Marks) Rules and Regulations, 1955, the Indian Standards Institution hereby notifies that the Indian Standard(s), particulars of which are given in the Schedule hereto annexed, have been established on 1976-06-30.

SCHEDULE

Sl. No.	No. and Title of The Indian Standards Established	No. and Title of the Indian Standard or Standards, if any, superseded by the new Indian Standard	Remarks, if any
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS : 34—1975 Specification for basic carbonate of lead (white lead) for paints (first revision)	IS : 34—1950 Specification for basic carbonate of lead (white lead) for paints.	Eastablished on 1976-04-30 *For purposes of ISI Certification Marks Scheme; IS : 34—1975 shall come in force with effect from 1976-11-30.
2.	IS : 79—1973 Specification for linseed stand oil for paints (first revision)	IS : 79—1950 Specification for stand oil for paints (a) light (b)?medium (c) heavy (d) extra heavy	Established on 1976-05-31.
3.	IS : 228 (Pt X)—1976 Methods for chemical analysis of steels Part X determination of molybdenum by thiocyanate (photometric) method (for molybdenum up to 1 per cent) in low and high alloy steels (second revision)	IS : 228—1959 Method of Chemical analysis of pig iron, cast and plain carbon and low-alloy steels (revised)	
4.	IS : 228(Pt XI)—1976 Methods for chemical analysis of steels Part XI Determination of silicon by photometric method in carbon steels and low alloy steels (for silicon 0-01 to 0.05 percent) (second revision)	IS : 228—1959 Methods of Chemical analysis of pig iron, cast and plain carbon and low-alloy steels (revised)	
5.	IS : 228 (Pt XII)—1976 Methods for chemical analysis of steels Part XII Determination of manganese by periodate (photometric) method in low and high alloy steels (for manganese upto 2 per cent) (second revision)	-do-	Established on 1976-05-31
6.	IS : 267—1976 Specification for inert cells (third revision)	IS : 267—1963 Specification for inert cells (second revision)	—
7.	IS : 268—1976 Specification for leclanche type sack cells (second revision)	IS : 268—1959 Specification for leclanche type sack cells (revised)	—
8.	IS : 283—1976 Specification for porcelain insulators for telegraph and telephone lines (third revision)	IS : 283—1966 Specification for porcelain insulators for telegraph and telephone lines (second revision)	—
9.	IS : 1094—1976 Specification for handloom cotton gada cloth (first revision)	IS : 1094—1957 Specification for handloom cotton gada cloth, grey	—
10.	IS : 1108—1975 Specification for pharmaceutical glass containers (second revision)	IS : 1108—1965 Specification for medicinal round glass bottles, nerrow mouth (revised)	Established on 1976-04-30
11.	IS : 1200(Pt XII)—1976 Method of measurement of building and civil engineering works Part XII Plastering and pointing (third revision)	IS : 1200(Pt XII)—1971 Method of measurement of building and civil engineering works Part XII Plastering and pointing (second revision)	—
12.	IS : 1200(Pt XIII)—1976 Method of measurement of building and civil engineering works. Part XIII Whitewashing, colour washing distempering and other finishes (third revision).	IS : 1200(Pt XIII)—1970 Method of measurement of building and civil engineering works Part XIII whitewashing, colour, washing, distermpering and other finishes (second revision).	—
13.	IS : 1200 (Pt XV)—1976 Methods of measurement of building and civil engineering works Part XV Painting polishing, varnishing etc. (third revision).	IS : 1200 (Pt XV)—1968 Method of measurement of building and civil engineering works Part XV Painting (second revision).	—

(1)	(2)	(3)	(4)
14.	IS : 1449—1976 Methods of sampling manganesese ore (first revision)	IS : 1449—1961 Methods of sampling mangensese ore.	—
15.	IS : 1680—1976 Code of practice for treatment of water for land boilers. (second revision).	IS : 1680—1968 Code of practice for treatment of water for land boilers (first revision).	—
16.	IS : 1828—1975 Method for load verification of tensile testing machine. (first revision).	IS : 1828—1961 Method for load calibration of testing machines for tensile testing of steel.	—
17.	IS : 1889 (Pt II)—1976 Method of quantitative chemical analysis of binary mixtures of regenerated cellulose fibres and cotton Part II Cadoxen solvent method	—	Established on 1976-05-31.
18.	IS : 1956 (Part V) 1976 Glossary of terms relating to rion and steel Part V Bright steel and bar and steel wire (first revision).	IS : 1956—1962 Glossary of terms relating to iron and steel.	—
19.	IS : 2105—1975 Specification for letter-press ink, black, general purposes (first revision).	IS : 2105—1962 Specification for letter-press inks, black, general purposes	Established on 1975-10-31.
20.	IS : 2440—1975 Guide for Daylighting of buildings (second revision).	IS : 2440—1968 Code of practice for day-lighting of buildings. (first reversion)	—
21.	IS : 2469—1976 Glossary of terms re-ing to gypsum (first revision).	IS : 2469—1963 Glossary of terms relating to gypsum.	—
22.	IS : 2507—1975 Specification for cold-rolled steel strips for springs. (first revision)).	IS : 2507—1965 Specification for cold rolled steel strip for springs.	Established on 1976-04-30
23.	IS : 2547 (Pt I)—1976 Specification for gypsum building plaster. Part I Excluding premixed lightweight plasters (first revision).	IS : 2547—1963 Specification for gypsum building plaster.	—
24.	IS : 2720 (Pt.XXIII)—1976 Methods of test for soils Part XXIII Determination of calcium carbonate. (first revision).	IS : 2720 (Pt XXIII)—1966 Methods of test for soils Part XXIII Determination of calcium carbonate.	Established on 1976-05-31.
25.	IS : 2879—1975 Specification for mild steel for metal arc welding electrode core wire. (second revision).	IS : 2879—1967 Specification for mild steel for metal arc welding electrode core wire. (first revision).	Established on 1976-01-31 *for purposes of ISI Certification Marks Scheme IS : 2879—1967 shall run concurrently with IS : 2879—1975 up to 1976-08-31.
26.	IS : 3837—1976 Specification for accessories for rigid steel conduits for electrical wiring (first revision).	IS : 3837—1966 Specification for accessories for rigid steel conduits for electrical wiring.	—
27.	IS : 4130—1976 Safety code for demolition of buildings (first revision)	IS : 4130—1967 Safety code for demolition of building.	—
28.	IS : 4475—1975 Specification for crane-suspended hand operated geared ladles for iron foundries (first revision).	IS : 4475—1967 Specification for crane suspended hand operated geared ladles for iron foundries.	Established on 1976-05-31.
29.	IS : 6763 (Pt II)—1976 Specification for fifth wheel king pin for trailers Part II 89 mm Diameter	—	Established on 1976-05-31
30.	IS : 7348 (Part III)—1965 Glossary of terms relating to dentistry. Part III Dental material	—	—
31.	IS : 7436 (Pt II)—1976 Guide for types of measurements for structures in river valley projects and uriteria for choice and location of measuring instruments Part II Concrete and masonry dams	—	—
32.	IS : 7503(Pt II)—1976 Glossary of terms used in rubber industry Part II	—	—
33.	IS : 7739(Pt VII)—1975 code of practice for preparation of metallographic specimens Part VII Magnesium and its alloys and their examination	—	Established on 1976-05-31

(1)	(2)	(3)	(4)
34.	IS : 7739(Pt VIII)—1975 Code of practice for preparation of metallographic specimens Part VIII nickel and its alloys and their examination	—	—
35.	IS : 7739(Pt IX)—1975 Code of practice for preparation of metallographic specimens Part IX Gold, silver, platinum palladium and their alloys	—	—
36.	IS : 7739(Pt X)—1975 Code of practice for preparation of metallographic specimens Part X Tin and its alloys and their examination	—	—
37.	IS : 7859—1975 Gauge allowances and manufacturing tolerances for plain gauges for inside measurements for ISO fit sizes (nominal size upto 500 mm)	—	Established on 1976-05-31
38.	IS : 7876—1975 Gauge allowances and manufacturing tolerances for plain guages for outside measurements for ISO fit sizes (nominal size up to 500 mm)	—	Established on 1976-05-31
39.	IS : 7894—1975 Code of practice for stability analysis of earth dams	—	—
40.	IS : 7920(Pt I)—1976 Statistical vacabulary and symbols Part I General statistical terms	—	Established on 1976-05-31
41.	IS : 7921—1975 Recommendation for modular co-ordination multimodules and preferred sizes for horizontal co-ordinating and controlling dimensions	—	Established on 1976-05-31
42.	IS : 7922—1975 Recommendation for modular co-ordination multimodules and preferred sizes for vartical co-ordinating and controlling dimensions	—	Established on 1976-05-31
43.	IS : 7931(Pt II)—1975 Specification for automatic and semi-automatic welding equipment with self-adjusting arcs (Mig/Mag processes)	—	Established on 1976-05-31
44.	IS : 7941—1976 Method for determining the water pepellency of fabrics by conetest	—	Established on 1976-05-31
45.	IS : 7942—1976 Code of practice for daylighting of educational buildings	—	Established on 1976-05-31
46.	IS : 7950—1976 Specification for fenthion, technical	—	Established on 1976-05-31
47.	IS : 7953—1976 Specification for horn rings for automobiles		Es tablished on 1976-05-31
48.	IS : 7976—1976 Specification for phorate, technical	—	—
49.	IS : 7978—1976 Specification for pneumatic rivet cutters	—	—
50.	IS : 7979—1976 Specification for pneumatic rivetting hammers	—	—
51.	IS : 7984—1976 Specification for rubbing compound	—	—
52.	IS : 7988—1976 Reference tables for chromel-kopel thermocouples	—	—
53.	IS : 7992—1976 Specification for plywood cases for packing tobacco for export	—	—
54.	IS : 7996—1976 Specification for driving squares for power socket wrenches	—	
55.	IS : 7998—1976 Specification for contact breakers for motorcycles	—	—
56.	IS : 7999—1976 Specification for tasting glass for liquid samples	—	—
57.	IS : 8002—1976 Recommended procedure for welding of flexible PVC (flexible polyvinyl chloride)	—	

(1)	(2)	(3)	(4)
58.	IS : 8006—1976 Recommendations for handling of timber pallets	—	—
59.	IS : 8013—1976 Guide for selection and testing of marine diesel engines for fishing vessels	—	—
60.	IS : 8014—1976 Classification and nomenclature of dyeing and finishing machinery	—	—
61.	IS : 8015—1976 Specification for hand trolleys for oil drums	—	—
62.	IS : 8016—1976 Specification for hand trolleys for gas cylinders (oxygen and dissolved acetylene) for industrial use	—	—
63.	IS : 8018—1976 Specification for platinum and platinum alloy wires for thermocouples elements	—	—
64.	IS 8020—1976 Specification for base-plate, dental	—	—
65.	IS : 8021—1975 Specification for dental sticky wax.	—	—
66.	IS : 8022—1976 Specification for acrylic-resin teeth.	—	—
67.	IS : 8025—1976 Specification for mono-cropohos, technical	—	—
68.	IS : 8026—1976 Specification for formo-thion emulsifiable concentrates	—	—
69.	IS : 8027—1976 Specification for propanil emulsifiable concentrates	—	—
70.	IS : 8028—1976 Specification for quinal-phos emulsifiable concentrates	—	—
71.	IS : 8029—1976 Specification for qui-nalphos dusting powders	—	—
72.	IS : 8031—1976 Specification for dis-sector, Watson Cheyne's pattern	—	—
73.	IS : 8039—1976 Specification for hand-loom cotton mix saris	—	—
74.	IS : 8040—1976 Specification for for-Artery, Kochers' pattern	—	
75.	IS : 8057—1976 Specification for steel ingots and billets for the proudction of wire rod for the manufacture of machine screws (by cold heading process)	—	—

Copies of these Indian Standards are available for sale with the Indian Standards Institution 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 and also its branch offices at Ahmedabad, Bangalore, Calcutta, Chandigarh, Hyderabad, Kanpur, Madras and Trivandrum.

[No. CMD/13 : 2]

का०आ० 1596.—भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) विनियम, 1955 के नियम 3 के उपविनियम 2 तथा विनियम 3 के उप-विनियम (2) और (3) के अनुसार भारतीय मानक संस्था एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि जिन भारतीय 8 मानकों के ब्यौरे नीचे अनुसूची में दिये गये हैं वे 1976-04-30 को निर्धारित किये गये हैं ।

अनुसूची

क्रम संख्या	निर्धारित भारतीय मानक की संख्या और शीर्षक	नये भारतीय मानक द्वारा रद्द किये गये भारतीय मानक की पदसंख्या और शीर्षक	अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS: 362-1975 पालियामेंट कब्जों के विशिष्टि (तीसरा पुनरीक्षण)	IS : 362-1968 पालियामेंट कब्जों की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	1976-01-31 को स्थापित
2.	IS: 412-1975 सामान्य कार्यों के लिये इस्पात की बर्फी जाली की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	IS : 412-1962 सामान्य कार्यों के लिये बर्फी जाली की विशिष्टि (पुनरीक्षित)	1976-03-31 को स्थापित
3.	IS : 903-1975 आग बुझाने के होज के प्रदाय कपलिंग, ब्रांच पाइप नोजेल और नोजेल के पात्रों की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	IS 903-1963 आग बुझाने के होज के प्रदाय कपलिंग, ब्रांच पाइप नोजेल और नोजेल के पात्रों की विशिष्टि (पुनरीक्षित)	1975-09-30 को स्थापित

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	IS : 1061-1975 कीटाणुनाशक द्रव, काला और सफेद की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	*IS : 1061-1964 कीटाणुनाशक द्रव काला और सफेद की विशिष्टि (पुनरीक्षित)	1975-11-30 को स्थापित *आईएसआई प्रमाणन मुहर योजना के लिये IS : 1061-1964 और IS 1061-1975 1976-06-30 तक साथ-साथ लागू रहेगा ।
5.	IS : 1117-1975 एक चिन्ह वाले पिपेट की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	IS : 1117-1968 एक चिन्ह वाले पिपेट की विशिष्टि	1975-11-30 को स्थापित
6.	IS : 1280-1975 फाउंड्री के लिये इस्पात के बने साँचों के बक्सों की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	IS : 1280-1967 फाउंड्री के लिये इस्पात के बने साँचों के बक्से की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	—
7.	IS : 1285-1975 सामान्य इंजनियरी कार्यों के लिये पिटवाँ एलुमिनियम और एलुमिनियम मिश्र के कढ़वाँ गोल ट्यूब और खोखले सेक्शनों की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	IS : 1285-1968 सामान्य इंजीनियरिंग कार्यों के लिये पिटवाँ एलुमिनियम और एलुमिनियम मिश्र के कढ़वा गोल ट्यूब और खोखले सेक्शनों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	1976-03-31 को स्थापित
8.	IS : 1329-1975 वायुयानों की लकड़ी (बॉक और स्कैन्टलिंग) की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	IS : 1329-1958 आगे कटाई कार्यों के लिये वायुयानों की लकड़ी की विशिष्टि	1976-03-31 को स्थापित
9.	IS : 1537-1976 पानी, गैस और मल के लिये ऊर्ध्वं ढलवां लोहे के उच्चदाब पाइपों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	IS : 1537-1960 पानी, गैस और मल के लिये ऊर्ध्वं ढलवां लोहे के पाइपों की विशिष्टि	1976-03-31 को स्थापित
10.	IS : 1802-1975 इयोनोल की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	IS : 1802-1961 इयोनोन की विशिष्टि	—
11.	IS : 1804-1976 इस्पात के तार के रस्सों के लिये फाईवर कोर की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	IS : 1804-1961 इस्पात के तार के रस्सों के लिये फाइबर कोर की विशिष्टि	—
12.	IS : 1956(भाग 3)-1975 लोहे और इस्पात संबंधी शब्दावली भाग 3 गर्म बेलित उत्पाद (चादर और पत्ती के अलावा) (पहला पुनरीक्षण)	IS : 1956-1962 लोहे और इस्पात संबंधी शब्दावली	—
13.	IS : 1956(भाग-4)-1975 लोहे और इस्पात संबंधी शब्दावली भाग 4 चादर और पत्ती (पहला पुनरीक्षण)	IS : 1956-1962 लोहे और इस्पात संबंधी शब्दावली	—
14.	IS : 1971-1972 एक नाली वाले रकाबदार पम्प की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	IS : 1971-1965 एक नाली वाले रकाबदार पम्प की विशिष्टि (पुनरीक्षित)	1972-06-30 को स्थापित
15.	IS : 2261-1975 फ्लैशलाइट के बल्ब की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	IS : 2261-1963 फ्लैशलाइट के बल्ब की विशिष्टि	1976-03-31 को स्थापित
16.	IS : 2494-1974 औद्योगिक कार्यों के लिये बी बैल्ट की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	IS : 2494-1964 औद्योगिक कार्यों के लिये बी बैल्ट की विशिष्टि	1975-07-31 को स्थापित
17.	IS : 2720(भाग 34)-1975 मृत्तिका के परीक्षण पद्धतियाँ भाग 34 प्रयोगशाला में दानेदार मिट्टी की प्रवेश्यता परीक्षण (स्थिर दाब से)	—	1976-03-31 को स्थापित
18.	IS : 2781-1975 सिरैमिक सामान संबंधी शब्दावली (पहला पुनरीक्षण)	IS : 2781-1964 सिरैमिक सामान संबंधी शब्दावली	—
19.	IS : 2922-1975 तम्बुओं के लिये लकड़ी की मुंगरी की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	IS : 2922-1964 तम्बुओं के लिये लकड़ी की मुंगरी की विशिष्टि	—
20.	IS : 2927-1975 पीतल के टीकों की मिश्रधातु की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	IS : 2927-1964 पीतल के टीके की विशिष्टि मिश्रधातु की विशिष्टि	1975-12-31 को स्थापित *आईएसआई प्रमाणन मुहर योजना के लिये IS : 2927-1964 और IS : 2927-1975 1967-05-31 तक साथ-साथ लागू रहेंगे ।
21.	IS : 2952(भाग 2)-1975 सरंध्र पट्टियों और नीजलों द्वारा तरल का बहाव मापने की पद्धति संबंधी सिफारिशें भाग 2 तरल	—	1975-12-31 को स्थापित
22.	IS : 2276-1975 इस्पात फाउंड्री के लिये क्रेननिलम्बित हस्त चालित गियर लगी लैडिल की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	IS : 4476-1967 फाउंड्री के लिये क्रेन निलम्बित हस्त चालित गियर लगे लैडिल की विशिष्टि	—
23.	IS : 4477 (भाग 2)-1975 वैन्टूरी मीटर द्वारा द्रव का बहाव मापने की पद्धति भाग 2 संपीड्य द्रव	—	1975-12-31 को स्थापित

(1)	(2)	(3)	(4)
24.	IS : 4604—1975 मशीनी ढलाई बक्सों के लिए पैटर्न पट्टी की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	IS : 4604—1975 मशीनी ढलाई के लिए पैटर्न पट्टी की विशिष्टि	—
25.	IS : 4981—1975 फाउंड्री पैटर्न पट्टियों के लिए गाइड पिन की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	IS : 4981—1968 फाउंड्री पैटर्न पट्टियों के लिए गाइड पिन की विशिष्टि	—
26.	IS : 4982—1975 फाउंड्री के ढलाई बक्सों की संवरक पिन की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	IS : 4982—1968 फाउंड्री के ढलाई के बक्सों के संवरक पिन की विशिष्टि	—
27.	IS : 5508 (भाग 14 से 16)—1975 मछली पकड़ने के जालों की सदर्शिका	—	1976-3-31 को स्थापित
28.	IS : 6284—1975 गेहूं के गहाई की बिजली की मशीन की परीक्षण संहिता (पहला पुनरीक्षण)	IS : 6284—1971 गेहूं के गहाई की बिजली की मशीन की परीक्षण संहिता	1976-02-29 को स्थापित
29.	IS: 7416 (भाग 4)—1975 टी वी फैराईट पुर्जों के माप भाग 4 छल्लेनुमा चुम्बक	—	—
30.	IS : 7416 (भाग 5)—1976 टी वी फेराईट पुर्जों के माप भाग 5 रेखिकता नियंत्रण इकाई के लिए खंड चुम्बक	—	—
31.	IS : 7667—1975 हवाई पट्टी के ईंधन केन्द्र पर वैमानिक ईंधन लाने ले जाने और भंडारण की रीति संहिता	—	1975-11-30 को स्थापित
32.	IS : 7689—1975 प्रवांछनीय स्थिर विद्युत के नियंत्रण की संदर्शिका	—	1975-3-30 को स्थापित
33.	IS : 7726—1975 आई एस ओ मीटरी सलंमबाभ झिरी की चूड़ियों के मापों की सीमाएं (105 से 300 मिमी व्यास)	—	1975-11-30 को स्थापित
34.	IS : 7791—1975 35-मिमी चलचित्र ध्वनि रिप्रोड्यूसर के लिए प्रोजेक्टर जांच सामंजस्य फिल्म की विशिष्टि	—	1975-12-31 को स्थापित
35.	IS : 7803 (भाग 2)—1975 दवाओं के लिए प्लास्टिक धारकों की विशिष्टि भाग 2 प्रांलेपर और आंख की दवाएं	—	1976-03-31 को स्थापित
36.	IS : 7810—1975 एलुमिनियम और उसकी मिश्रधातु पर प्रतिरोध स्पाट वेल्डों के एक्सरे परीक्षा की रीति संहिता	—	1976-01-31 को स्थापित
37.	IS : 4816—1975 घूर्णन मशीनों की रोधन समता परीक्षा की निर्दशिका।	—	1976-03-31 को स्थापित।
38.	IS : 7821—1975 उसे 24 मिमी सांकेतिक व्यास के लम्बे दंड वाले मशीनी टैंपों की विशिष्ट।	IS : 1988—1962 चूड़ी काटने के टैप्स की विशिष्टि	आई० एस० आई० प्रमाणन मोहर योजना के लिए IS : 7821—1975 1976-09-01 से लागू माना जाएगा।
39.	IS : 7824—1975 द्रुत परिवर्ती ड्रिलों, चकों, कालेटों और चल-स्थिर होल्डरों की विशिष्टि।	—	1976-03-31 को स्थापित।
40.	IS : 7835—1975 मध्यमवसा खाद्य सोया के आटे की विशिष्टि।	—	1976-03-31 को स्थापित।
41.	IS : 7836—1975 अल्पवसा खाद्य सोया के आटे की विशिष्टि	—	1976-02-24 को स्थापित
42.	IS : 7837—1975 पूर्णवसा खाद्य सोया के आटे की विशिष्टि	—	1976-03-31 को स्थापित।
43.	IS: 7840—1975 प्रयोगशाला के कांच के सामान की ड्राइंग सम्बन्धी रूढ़ियां।	—	1976-03-31 को स्थापित।
44.	IS : 7847—1975 उठाने के हुकों की सामान्य विशेषताएं।	—	1976-02-29 को स्थापित।
45.	IS : 7874 (भाग 2)—1975 पशु आहार और खाद्य सामग्री की परीक्षण पद्धतियां भाग 2 खनिज और लेश तत्व।	—	—
46.	IS : 7875 (भाग 1)—1976 वस्त्र मिलों के स्लाइवर डिब्बों की विशिष्टि भाग 1 सामान्य अपेक्षाएं।	(1) IS : 3049 कताई मिलों के लिए वल्कनीकृत रेशे की स्लाइवर डिब्बों की विशिष्टि, और (2) IS: 3158—1965 कताई मिलों के लिये एलुमिनियम के लिये एलुमिनियम के बेलनाकार स्लाइवर डिब्बों की विशिष्टि।	
47.	IS : 7879 (भाग 1)—1975 वैमानिक शब्दावली भाग 1 सामान्य।	—	—
48.	IS: 7879 (भाग 3)—1975 वैमानिक शब्दावली भाग 3 संरचनाएं	—	—
49.	IS : 7882—1975 विमानों के लिये एलुमिनियम की चादरों और पत्तियों की विशिष्टि (19000)।	—	—

1	2	3	4
50.	IS : 7883—1975 विमानों के लिये एलुमिनियम—मैंगनीज मिश्र धातु की चादरों और पत्तियों की विशिष्टि (मिश्र धातु संख्या 31000)।	—	—
51	IS 7895—1975 खान गर्णातों में प्रयुक्त हाइड्रोलिक द्रवों का अग्नि-रोधी गुणों की जांच।	—	1976-03-31 को स्थापित।
52.	IS: 7897—1975 कुट्टी काटने की मशीन की परीक्षण संहिता	—	—
53.	IS : 7899—1975 उच्च दाब उपयोगों के लिये अल्प मिश्र इस्पात की ढलो वस्तुओं की विशिष्टि।	—	—
54	IS : 7906 (भाग 3)—1975 कुण्डलाकार संपीडन कमानियां भाग 3वृत्ताकार आड़ीकाट के तार और छड़ से बनी कमानियों की विशिष्टि के लिए आंकड़ा पत्र।	—	—
55.	IS: 7907 (भाग 3)—1975 कुण्डलाकार खिंचाव कमानियां भाग 3 वृत्ताकार आड़ीकाट के तार और छड़ से बनी कमानियों की विशिष्टि के लिए आंकड़ा पत्र।	—	—
56	IS : 7910—1975 मोनोइथैनोल ऐमीन की विशिष्टि।	—	—
57.	IS : 7913—1975 आघात वेधन (ब्रिलिंग) के समेकित दंडों की विशिष्टि।	—	—
58.	IS : 7914—1975 मानक मेलों की विशिष्टि।	—	—
59	IS : 7916—1975 खुले पावर चैनलों की रीमि संहिता	—	1976-03-31 को स्थापित
60.	IS: 7917 (भाग 1)—1975 वैमानिक माल कंटेनर की विशिष्टि भाग 1 सामान्य अपेक्षाएं	—	—
61.	IS: 7917 (भाग 1)—1975 वैमानिक माल के कंटेनर की विशिष्टि भाग 2 परीक्षण	—	1976-03-31 को स्थापित
62.	IS : 7918—1975 डाई-इथाइलीन ग्लाईकोल की विशिष्टि	—	—
63	IS : 7923—1975-वी०- पट्टा और खांचेदार घिरीं के उपयोग वाले चालन सम्बंधी शब्दावली और परिभाषाएं।	—	—
64.	IS : 7924—1975 लकड़ी के जंक्शन ब्लॉक की विशिष्टि।	—	1976-03-31 को स्थापित
65.	IS : 7927—1975 हस्तचालित धान की निराई की मशीन की क्षेत्र परीक्षण पद्धति।	—	—
66.	IS: 7931 (भाग 1)—1975 स्वतः समंजक चाप वाले स्वचल और अर्ध स्वचल वेल्डिंग उपकरण धातु आर्क अक्रिय गैस रक्षित और सक्रिय गैस रक्षित विधियां। भाग 1 डीसी० वेल्डिंग जनित्र पावर स्रोत।	—	—
67.	IS : 7931 (भाग 3)—1975 स्वत. समंजक चाप वाले स्वचल और अर्ध स्वचल वैल्डिंग उपकरण धातु आर्क अक्रिय गैस रक्षित और सक्रिय गैस रक्षित विधियां। भाग 3 वेल्डिंग गन और सहायक उपकरण।	—	—
68.	IS : 7934—1976 चुम्बकीय आक्साइड से बने वर्गाकार कोर और सम्बद्ध पुर्जों की विशिष्टि।	—	—
69.	IS: 7935—1975 1000 वोल्ट तक सांकेतिक वोल्टता की शिरोपरि पावर लाइन के लिये रोधक फिटिंगों की विशिष्टि।	—	—
70.	IS : 7936—1975 भरीय ड्रिल मशीनों के माप।	—	—
71.	IS: 7937—1975 विद्युत लास की सामान्य अपेक्षाओं और परीक्षण सम्बन्धी संदर्शिका।	—	1976-03-31 को स्थापित।
72.	IS : 7938—1976 संपीडित वायु संस्थापनों के वायु ग्राहियों की विशिष्टि।	—	1976-03-31 को स्थापित।
73.	IS : 7939—1976 दोहरे मुंह वाले, चपटे पलेयर विमरीरिंचों की विशिष्टि।	—	1976-03-31 को स्थापित।
74.	IS : 7955—1976 बिस्मरबंद की विशिष्टि।	—	—
75.	IS : 7956—1975 डेरी के फर्शों के चूनाच सम्बन्धी सिफारिशें	—	—
76.	IS : 7958—1976 हाथ के ब्रांक की विशिष्टि।	—	—

(1)	(2)	(3)	(4)
77.	IS : 7959—1976 फेन योगिकों के लिए पोलीइथाइलीन के जेरी डब्बों की विशिष्टि।	—	—
78.	IS : 7961—1975 खाद्य सामग्री, दवाओं और पीने के पानी के स्टाइरीन पोलीमर के सुरक्षापूर्ण उपयोग की रीति संहिता।	—	—
79.	IS : 7966—1976 दांतों के नमूने लेने के मोस की विशिष्टि।	—	—
80.	IS : 7968—1976 समुद्र तट क्षेत्रों में गिराये जाने वाले औद्योगिक निस्राव की छूट सीमाएं।	—	—
81.	IS : 7969—1975 इमारती सामग्री के धरने उठाने और भंडारण की रीति संहिता।	—	—
82.	IS : 7971—1975 इमेल-बेलमैंट्स नमूने के कूद-वाहिका ट्रनिकवेट की विशिष्टि।	—	—
83.	IS : 7972—1975 मेटजेनबॉम विच्छेदी कैंचियों की विशिष्टि	—	—
84.	IS : 7973—1976 स्थापत्य और इमारती कार्यकारी ड्राइंगों की रीति संहिता।	—	—
85.	IS : 7974 (भाग 1)—1976 विस्तृत नक्शों, मानचित्रों और भूवैज्ञानिक प्रारूपी कार्टों पर लिखने के प्रतीक भाग 1 प्रतीकात्मकता सम्बन्धी सामान्य नियम।	—	—
86.	IS : 7975 (भाग 1)—1976 हस्तचालित चौकोर ड्राइव साकेट रिंचों के चालक भागों की विशिष्टि। भाग 1 सप्लाई सम्बन्धी तकनीकी शर्तें।	—	—
87.	IS : 7980—1976 त्वचा निरोपण ब्लेड के हैन्डिल की विशिष्टि	—	—
88.	IS : 7981 (भाग 1)—1976 ट्यूबो प्लास्टी उपकरणों की विशिष्टि भाग 1 शिरोइकर नमूने के प्रोबा आकलूडर।	—	—
89.	IS : 7981 (भाग 2)—1976 ट्यूबो प्लास्टी उपकरणों की विशिष्टि भाग 2 शिरोइकर नमूने के कैनुला।	—	—
90.	IS : 7989—1976 भीतरी सरक्लिपों के प्लास की विशिष्टि।	—	—
91.	IS : 7994—1976 वेल्स नमूने के सुई धारक की विशिष्टि।	—	—

इन भारतीय मानकों की प्रतियां बिक्री के लिए भारतीय मानक संस्था, मानक भवन, 9 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली- 110002 में तथा इसके शाखा कार्यालयों अहमदाबाद, बंगलौर, कलकत्ता, चंडीगढ़, हैदराबाद, कानपुर, मद्रास, पटना और त्रिवेन्द्रम में उपलब्ध है।

[संख्या सी० एम० डी० 13: 2]

S. O. 1596.—In pursuance of Sub-rule (2) of Rule 3 and Sub-regulations (2) and (3) of regulation 3 of Indian Standards Institution (Certification Marks) Rules and Regulations, 1955, the Indian Standards Institution hereby notifies that the Indian Standard(s), particulars of which are given in the Schedule hereto annexed, have been established on 1976-04-30:

SCHEDULE

Sl. No.	No. and Title of the Indian Standards Established	No. and Title of the Indian Standard or Standards, if any, superseded by the new Indian Standard	Remarks, if any
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS : 362—1975 Specification for parliament hinges (third revision)	IS : 363—1968 Specification for parliament hinges (second revision)	Established on 1976-01-31.
2.	IS : 412—1975 Specification for expanded metal steel sheets for general purposes (second revision)	IS : 412—1962 Specification for expanded metal steel sheets for general purposes (revised)	Established on 1976-03-31
3.	IS : 903—1975 Specification for fire hose delivery couplings branch pipe, nozzles and nozzle spanner (second revision)	IS : 903—1963 Specification for fire hose delivery couplings, branch pipe, nozzles and nozzles spanner (revised)	Established on 1975-09-30

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	IS : 1061—1975 Specification for disinfectant fluids, black and white (second revision)	*IS : 1061—1964 Specification for disinfectant fluids, black and white (revised)	Established on 1975-11-30 *For purposes of ISI Certification Marks Scheme; IS : 1061—1964 shall run concurrently with IS : 1061—1975 upto 1976-06-30
5.	IS : 1117—1975 Specification for one-mark pipettes (first revision)	IS : 1117—1968 Specification for one-mark pipettes	Established on 1975-11-30
6.	IS : 1280—1975 Specification for foundry moulding boxes of steel construction (second revision)	IS : 1280—1967 Specification for foundry moulding boxes of steel construction (first revision)	—
7.	IS : 1285—1975 Specification for wrought aluminium and aluminium alloy, extruded round tube and hollow sections (for general engineering purposes (second revision)	IS : 1285—1968 Specification for wrought aluminium and aluminium alloys, extruded round tube and hollow sections (for general engineering purposes) (first revision)	Established on 1976-03-31
8.	IS : 1329—1975 Specification for aircraft timber (baulks and scantlings) (first revision)	IS : 1329—1958 Specification for aircraft timber intended for further conversion	Established on 1976-03-31
9.	IS : 1537—1976 Specification for vertically cast iron pressure pipes for water, gas and sewage (first revision)	IS : 1537—1960 Specification for vertically cast iron pressure pipes for water, gas and sewage	Established on 1976-03-31
10.	IS : 1802—1975 Specification for ionones (first revision)	IS : 1802—1961 Specification for ionones	—
11.	IS : 1804—1976 Specification for fibre core for steel wire ropes (first revision)	IS : 1804—1961 Specification for fibre cores for steel wire ropes	—
12.	IS : 1956—(Part III)—1975 Glossary of terms relating to iron and steel Part III Hot-rolled steel products (excluding sheet and strip) (first revision)	IS : 1956—1962 Glossary of terms relating to iron and steel	—
13.	IS : 1956 (Part IV)—1975 Glossary of terms relating to iron and steel Part IV Steelsheet and strip (first revision)	IS : 1956—1962 Glossary of terms relating to iron and steel	—
14.	IS : 1971—1972 Specification for single-barrel stirrup pump (second revision)	IS : 1971—1965 Specification for single-barrel stirrup pump (revised)	Established on 1972-06-30
15.	IS : 2261—1975 Specification for lamps for flashlights (first revision)	IS : 2261—1963 Specification for lamps for flashlights	Established on 1976-03-31
16.	IS : 2494—1974 Specification for V-belts for industrial purposes (first revision)	IS : 2494—1964 Specification for V-belts for industrial purposes	Established on 1975-07-31
17.	IS : 2720 (Part XXXVI)—1975 Methods of test for soils Part XXXVI Laboratory determination of permeability of granular soils (constant head)	—	Established on 1976-03-31
18.	IS : 2781—1975 Glossary of terms relating to ceramicware (first revision)	IS : 2781—1964 Glossary of terms relating to ceramicware	—
19.	IS : 2922—1975 Specification for wooden tent mallets (first revision)	IS : 2922—1964 Specification for wooden tent mallets	Established on 1976-03-31
20.	IS : 2927—1975 Specification for brazing alloys (first revision)	*IS : 2927—1964 Specification for brazing alloys	Established on 1975-12-31 *For purposes of ISI Certification Marks Scheme; IS : 2927—1964 shall run concurrently with IS : 2927—1975 up to 1976-05-31
21.	IS : 2952 (Part II)—1975 Recommendation for methods of measurement of fluid flow by means of orifice plates and nozzles Part II Compressible fluids	—	Established on 1975-12-31
22.	IS : 4476—1975 Specification for crane-suspended hand-operated geared ladles for steel foundries (first revision)	IS : 4476—1967 Specification for crane-suspended hand operated geared ladles for foundries	—
23.	IS : 4477 (Part II)—1975 Methods of measurement of fluid flow by means of venturi meters	—	Established on 1975-12-31

(1)	(2)	(3)	(4)
24.	IS : 4604—1975 Specification for pattern plates for machine moulding boxes (first revision)	IS : 4604—1968 Specification for pattern plates for machine moulding	—
25.	IS : 4981—1975 Specification for guide pins for foundry pattern plates (first revision)	IS : 4981—1968 Specification for guide pins for foundry pattern plates	—
26.	IS : 4982—1975 Specification for closing pins for foundry moulding boxes (first revision)	IS : 4982—1968 Specification for closing pins for foundry moulding boxes	—
27.	IS : 5508 (Part XIV to XVI)—1975 Guide for fishing gear	—	Established on 1976-03-31
28.	IS : 6284—1975 Test code for stationary power thresher for wheat (first revision)	IS : 6284—1971 Test code for stationary power thresher wheat	Established on 1976-02-29
29.	IS : 7416 (Part IV)—1976 Dimensions for TV ferrite components Part IV Ring magnet for linearity control unit	—	—
30.	IS : 7416 (Part V)—1976 Dimensions for TV ferrite components Part V Segment magnet for linearity control unit	—	—
31.	IS : 7667—1975 Code of practice for handling and storage of aviation fuels at airfield fuelling stations	—	Established on 1975-11-30
32.	IS : 7689—1974 Guide for control of undesirable static electricity	—	Established on 1976-03-31
33.	IS : 7726—1975 Limits of sizes for ISO metric trapezoidal nuts threads (diameter range 105 to 300 mm)	—	Established on 1975-11-30
34.	IS : 7791—1975 Specification for projector alignment test film for 35 mm motion picture sound reproducers	—	Established on 1975-12-31
35.	IS : 7803 (Part II)—1975 Specification for plastic containers for pharmaceutical use Part II parenteral and ophthalmic preparations	—	Established on 1976-03-31
36.	IS : 7810—1975 Code of practice for radiographic examination of resistance spot welds on aluminium and its alloys	—	Established on 1976-01-31
37.	IS : 7816—1975 Guide for testing insulation resistance of rotating machines	—	Established on 1976-03-31
38.	*IS : 7821—1975 Specification for long shank machine taps with nominal diameter from 3 to 24 mm	IS : 1988—1962 Specification for screwing taps	*For purposes of ISI Certification Marks Scheme; IS : 782—1975 shall come into force with effect from 1976-09-01
39.	IS : 7824—1975 Specification for Quick change drill chucks, collets and floating reamer holders	—	Established on 1976-03-31
40.	IS : 7835—1975 Specification for edible medium-fat soya flour	—	Established on 1976-03-31
41.	IS : 7836—1975 Specification for edible low-fat soya flour	—	Established on 1976-02-29
42.	IS : 7837—1975 Specification for edible full-fat soya flour	—	Established on 1976-03-31
43.	IS : 7840—1975 Drawing conventions for laboratory glass apparatus	—	Established on 1976-01-31
44.	IS : 7847—1975 General characteristics of lifting hooks	—	Established on 1976-02-29

1	2	3	4
45.	IS : 7874 (Part II)—1975 Methods of test for animal feeds and feeding stuffs Part II Minerals and trace elements	—	—
46.	IS : 7875 (Part I)—1976 Specification for silver cans used in textile mills Part I General requirements	(i) IS : 3049—1965 Specification for vulcanized fibre silver cans for spinning mills and (ii) IS : 3158—1965 Specification for aluminium cylinderical silver cans for spinning mills	—
47.	IS : 7879 (Part I)—1975 Glossary of aeronautical terms Part I General	—	—
48	IS : 7879(Part III)—1975 Glossary of aeronautical terms Part III Structures	—	—
49.	IS : 7882—1975 Specification for aluminium sheet and strip for aircraft purposes (19000)	—	—
50.	IS : 7883—1975 Specification for aluminium-manganese alloy sheet and strip for aircraft purposes (alloy No. 31000)	—	—
51.	IS : 7895—1975 Test for Fire-resistant characteristics of hydraulic fluids used in mining machinery	—	Established on 1976-03-31
52.	IS : 7897—1975 Test code for chaff cutter	—	—
53.	IS : 7899—1975 Specification for low alloy steel castings suitable for pressure service	—	Established on 1976-02-29
54.	IS : 7906 (Part III)—1975 Helical compression springs Part III Data sheet for specification for springs made from circular section wire and bar	—	—
55.	IS : 7907 (Part III)—1975 Helical extension springs Part III Data sheet for specification for springs made from circular section wire and bar	—	—
56.	IS : 7910—1975 Specification for monoethanolamine	—	—
57.	IS : 7913—1975 Specification for integral stems for percussive drilling	—	—
58.	IS : 7914—1975 Specification for standard cells	—	—
59.	IS : 7916—1975 Code of practice for open power channels	—	Established on 1976-03-31
60.	IS : 7917 (Part I)—1975 Specification for air cargo freight containers Part I General requirements	—	—
61.	IS : 7917 (Part II)—1975 Specification for air cargo freight containers Part II Testing	—	Established on 1976-03-31
62.	IS : 7918—1975 Specification for diethylene glycol	—	—
63.	IS : 7923—1975 Glossary of terms and definitions relating to drives using V-belts and grooved pulleys	—	—

1	2	3	4
64.	IS : 7924—1976 Specification for thigh blocks, wooden	—	Established on 1976-03-31
65.	IS : 7927—1975 Method of field testing for manually operated paddy weeder	—	—
66.	IS : 7931 (Part I)—1975 Specification for automatic and semiautomatic welding equipment with self-adjusting arcs (mig/mag processes) Part I DC welding generator power source	—	—
67.	IS : 7931 (Part III)—1975 Specification automatic and semi-automatic welding equipment with self adjusting arc (mig/mag processes) Part III Welding gun and ancillary equipment	—	—
68.	IS : 7934—1976 Dimensions of square cores made of magnetic oxides and associated parts	—	—
69.	IS : 7935—1975 Specification for insulator fittings for overhead power lines with a nominal voltage up to and including 1000 V	—	—
70.	IS : 7936—1976 Sizes for radial drilling machines	—	—
71.	IS : 7937—1975 Guide for general requirement and testing of windlasses	—	Established on 1976-03-31
72.	IS : 7938—1976 Specification for air receivers for compressed air installation	—	Established on 1976-03-31
73.	IS : 7939—1976 Specification for flare nut wrench, double ended, flat	—	Established on 1976-03-31
74.	IS : 7955—1976 Specification for holdalls	—	—
75.	IS : 7956—1975 Recommendations for selection of dairy floor finishes	—	—
76.	IS : 7958—1976 Specification for hand vices	—	—
77.	IS : 7959—1976 Specification for polyethylene jerry cans for foam compounds	—	—
78.	IS : 7961—1975 Code of practice for safe use of styrene polymers in contact with foodstuffs, pharmaceuticals and drinking water	—	—
79.	IS : 7966—1976 Specification for dental modelling wax	—	—
80.	IS : 7968—1976 Tolerance limits for industrial effluents discharged into marine coastal areas	—	—
81.	IS : 7969—1975 Safety code for handling and storage of building materials	—	—
82.	IS : 7971—1975 Specification for tourniquet, cardiovascular, rumel-belmont's pattern	—	—
83.	IS : 7972—1975 Specification for scissors dissecting Metzenbaum's pattern	—	—
84.	IS : 7973—1976 Code of practice for architectural and building working drawings	—	—

1	2	3	4
85.	IS : 7974 (Part I)—1976 Graphical symbols for use on detailed maps, plans and geological cross sections Part I General rules of representation	—	—
86.	IS : 7975 (Part I)—1976 Specification for driving parts for hand operated square drive socket wrenches Part I Technical supplies conditions	—	—
87.	IS : 7980—1976 Specification for handle of skin grafting blade	—	—
88.	IS : 7981 (Part I)—1976 Specification for instruments, tuboplasty Part I Occluder, cervical, Shirodkar's pattern	—	—
89.	IS : 7981 (Part II)—1976 Specification for instruments, tuboplasty Part II Cannula, Shirodkar's patterns		—
90.	IS : 7989—1976 Specification for pliers for internal circlips	—	—
91.	IS : 7994—1976 Specification for needle holder, Barrons' pattern	—	—

Copies of these Indian Standards are available for sale with the Indian Standards Institution, Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 and also from its branch offices at Ahmedabad, Bangalore, Bombay, Calcutta, Chandigarh, Hyderabad, Kanpur, Madras, Patna and Trivandrum.

[No. CMD/13 : 2]

का० आ० 1597.—भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम 1955 के नियम 3 के उपविनियम 2 तथा विनियम 3 के उपविनियम (2) और (3) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि जिन भारतीय मानकों के ब्यौरे नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, 1976-07-31 को निर्धारित किए गए हैं :

अनुसूची

क्रम संख्या	निर्धारित भारतीय मानक की संख्या और शीर्षक	नए भारतीय मानक द्वारा रद्द किए गए भारतीय मानक की सं० और शीर्षक	अन्य विवरण
1	2	3	4
1.	IS : 35—1975 रंग रोगन के लिए जिंक आक्साइड की विशिष्टि (प्रथम पुनरीक्षण)	IS : 35—1950 रंग रोगन के लिए जिंक आक्साइड की विशिष्टि।	1976-05-31 को निर्धारित भा मा संस्था प्रमाणन चिह्न योजना के प्रयोजनों के लिए IS : 35—1975, 1976-11-01 से लागू होगा।
2.	IS : 170—1976 एसीटोन की विशिष्टि (द्वितीय पुनरीक्षण)	IS : 170—1966 एसीटोन की विशिष्टि (द्वितीय पुनरीक्षण)	—
3.	IS : 417 (भाग 4) —1976 फुटबाल, वालीबाल, बास्केट बाल, नेटबाल, ग्रोबाल और वाटर पोलो बाल की विशिष्टि भाग 4 नेट बाल (तृतीय पुनरीक्षण)	IS : 417—1969 फुटबाल, वालीबाल, बास्केट बाल, और वाटर पोलो बाल की विशिष्ट (द्वितीय पुनरीक्षण)	IS : 1976-06-30 को निर्धारित भा मा संस्था प्रमाणन चिह्न योजना के प्रयोजनों के लिए— IS : 417 (भाग 4)—1976 1976-11-01 से लागू होगा।
4.	IS : 417 (भाग 5)—1976 फुटबाल वालीबाल, बास्केट बाल, नेटबाल वाटर पोलो बाल की विशिष्टि, भाग 5 ग्रोबाल (तृतीय पुनरीक्षण)	IS : 417—1969 फुटबाल, वाली बाल, बास्केटबाल, और वाटर पोलो बाल की विशिष्टि (द्वितीय पुनरीक्षण)	IS : 1976-06-30 को निर्धारित भा मा संस्था प्रमाणन चिह्न योजना के प्रयोजनों के लिए — IS : 417 (भाग 5)—1976, 1976-11-01 से लागू होगा।

1	2	3	4
5.	IS : 417 (भाग 4)—1976 फुटबाल, बालीबाल, बास्केट बाल, नेटबाल, थ्रो बाल और वाटरपोलो बाल की विशिष्टि भाग 4 वाटर पोलो बाल (तृतीय पुनरीक्षण)	IS : 417—1969 फुटबाल, बालीबाल, बास्केटबाल, और वाटर पोलो बाल की विशिष्टि (द्वितीय पुनरीक्षण)	IS : 1976-06-30 को निर्धारित *भा मा संस्था प्रमाणन चिह्न योजना के प्रयोजनों के लिए — IS : 417(भाग 4)—1976 1976-11-01 से लागू होगा।
6.	IS : 487—1976 रंग रोगन और वार्निश के बुरुश की विशिष्टि (1) अंडाकार, फेरूलबद्ध और (2) गोल, फेरूलबद्ध (द्वितीय पुनरीक्षण)	IS : 487—1966 बुश, रंग रोगन और वार्निश के बुश की विशिष्टि (1) अंडाकार, फेरूल और (2) गोल, ताम्र तारबद्ध (संशोधित)	1976-06-30 को निर्धारित
7.	*IS : 633—1975 डीडीटी पायसनीय तेज द्रव की विशिष्टि (प्रथम पुनरीक्षण)	IS : 633—1956 डीडीटी पायसनीय तेज द्रव की विशिष्टि।	1975-12-31 को निर्धारित *भा मा संस्था प्रमाणन चिह्न योजना के प्रयोजनों के लिए— IS : 633—1975, 1976-01-01 से लागू होगा।
8.	IS : 750—1976 हथकरघे की सूती लुंगियों की विशिष्टि (प्रथम पुनरीक्षण)।	IS : 750—1965 हथकरघे की सूती लुंगियों की विशिष्टि, धारीदार या चैक	—
9.	IS : 916—1975, 18-लिटर चौकोर टिन (द्वितीय पुनरीक्षण)	IS : 916—1966, 18-लिटर के चौकोर टिन की विशिष्टि संशोधित	1975-12-31 को निर्धारित *भा मा संस्था प्रमाणन चिह्न योजना के प्रयोजनों के लिए— IS : 916—1975, 1976-12-15 से लागू होगा।
10.	IS : 1536—1976 पानी, गैस और मल के लिए अपकेन्द्रीय ढले (स्पन) लोहे के दाब पाइपों की विशिष्टि (द्वितीय पुनरीक्षण)	IS : 1536—1967 पानी, गैस और मल के लिए अपकेन्द्रीय ढले (स्पन) लोहे के दाब पाइपों की विशिष्टि (प्रथम पुनरीक्षण)	1976-05-31 को निर्धारित।
11.	IS : 1612—1976 लोहचूर्ण (अपचायक ग्रेड) की विशिष्टि (प्रथम पुनरीक्षण)	IS : 1612—1960 लोहचूर्ण (अपचायक ग्रेड) की विशिष्टि।	—
12.	IS : 2032 (भाग 15)—1976 विद्युत प्रोद्योगिकी में प्रयुक्त लेखी प्रतीक भाग 15 विमान सम्बन्धी विद्युत प्रतीक।		1976-06-30 को निर्धारित।
13.	IS : 2193(भाग 2)—1976 पशुकर्षित मिट्टी पलट हल की विशिष्टि भाग 2 स्थिर प्रकार (प्रथम पुनरीक्षण)	(i) IS : 2191—1962 टर्नरेस्टे प्रकार के मिट्टी पलट हल की विशिष्टि। (ii) IS : 2226—1962 मिट्टी पलट हल, स्थिर प्रकार की विशिष्टि।	—
14.	IS : 2403—1975 प्रेषण के लिए इस्पात की ढलवन चेनों और चेन पहियों की विशिष्टि (प्रथम पुनरीक्षण)	IS : 2403—1964 प्रेषण के लिए इस्पात की ढलवन चेनों और चेन पहियों की विशिष्टि।	1975-09-30 से निर्धारित
15.	IS : 2490 (भाग 6)—1976 आन्तरिक जल सतह में गिरने वाले औद्योगिक निःस्रावों सम्बन्धी छूटें भाग 6 रंजकद्रव्य और रंजक मध्य द्रव्य निर्माण उद्योग (प्रथम पुनरीक्षण)	IS : 2490—1963 आन्तरिक जल सतह में गिरने वाले औद्योगिक निःस्रावों के सम्बन्धी छूटें।	—
16.	IS : 3103—1975 औद्योगिक संवातन की रीति संहिता (प्रथम पुनरीक्षण)	IS : 3103—1965 औद्योगिक संवातन की रीति संहिता।	1976-05-31 को निर्धारित
17.	IS : 3339—1975 डलाईघरों में इस्तेमाल के लिए सिलिका चूर्ण की विशिष्टि। (प्रथम पुनरीक्षण)	IS : 3339—1965 डलाईघरों में इस्तेमाल के लिए सिलिका चूर्ण की विशिष्टि	1976-05-31 को निर्धारित।
18.	IS : 3431—1975 स्वचल वाहनों में निलम्बन के लिए शंखावत, कुंडलीदार और पत्तीदार कमानियों के इस्पात की विशिष्टि (प्रथम पुनरीक्षण)	*IS : 3431—1965 स्वचल वाहनों में निलम्बन के लिए शंखावत, कुंडलीदार और पत्तीदार कमानियों के इस्पात की विशिष्टि	1976*04-30 को निर्धारित *भा मा संस्था प्रमाणन चिह्न योजना के प्रयोजनों के लिए 1976-10-31 तक— IS : 3431—1965 IS : 3431—1975 के साथ लागू रहेगा।

1	2	3	4
19.	IS : 3811—1976 रम की विशिष्टि (प्रथम पुनरीक्षण)	IS : 3811—1966 रम की विशिष्टि	1976-05-31 को निर्धारित *भा मा संस्था प्रमाणन चिह्न योजना के प्रयोजनों के लिए— IS : 3811—1976 1976-10-01 से लागू होगा।
20.	IS : 4304—1976 तेल में विभ्यावंध चूना की विशिष्टि (प्रथम पुनरीक्षण)	IS : 4304—1967 तेल में विभ्यावंध चूना की विशिष्टि।	—
21.	IS : 4449—1976 ह्विस्की की विशिष्टि (प्रथम पुनरीक्षण)	IS : 4449—1967 ह्विस्की की विशिष्टि।	1976-05-31 को निर्धारित।
22.	IS : 7160 (भाग 2)—1974 पाठ्य पुस्तकों के लिए मुद्रण क्षेत्र, हाशिये और टाइप साइज की संदर्शिका: भाग 2 हिन्दी की पाठ्य पुस्तकें।	—	1976-05-31 को निर्धारित।
23.	IS : 7416 (भाग 6)—1976 टीवी के फेराइट अवयवों के परिमाप भाग 6, विक्षेप कुंडली के लिए किरणपुंज मध्यकारी चुम्बक।	—	1976-05-31 को निर्धारित।
24.	IS : 7729—1976 सोडियम मोनोक्लोरो एसीटेट की विशिष्टि।	—	1975-12-31 को निर्धारित।
25.	IS : 7739 (भाग 1)—1975 धातुलेखी नमूने तैयार करने की रीति संहिता भाग 1 सामान्य लक्षण।	—	1976-05-31 को निर्धारित
26.	IS : 7933—1975 घरेलू गद्दों के लिए नम्य पोलीयूरीथेन फोम की विशिष्टि।	—	1976-05-31 को निर्धारित
27.	IS : 7940—1976 स्थैतिक वाबहेड परीक्षण द्वारा वस्त्रों की जलप्रवेश-निरोधकता ज्ञात करने की पद्धति।	—	—
28.	IS : 7977—1976 डाइसल्फोटोन तकनीकी की विशिष्टि	—	—
29.	IS : 7983—1976 पोर्सलेन परिमार्जन घोलक की विशिष्टि।	—	1976-05-31 को निर्धारित।
30.	IS : 7993—1976 पावर से चलने वाली वर्गाकार चालन साकेट रिंच।	—	1976-06-30 को निर्धारित।
31.	IS : 8005—1976 एकक भारों का वर्गीकरण	—	—
32.	IS : 8007—1976 विनिमय के लिए परिवहन टैक्टरों और अर्ध/जुड़वाँ ट्रेलरों के मध्य पाँचवें पहिए के कपलिंग के माप।	—	—
33.	IS : 8010 (भाग 1)—1976 तकनीकी रिपोर्ट तैयार करने की संदर्शिका भाग 1 अनुसंधान और विकास सम्बन्धी रिपोर्ट।	—	—
34.	IS : 8017—1976 टंगस्टन तन्तु लैम्पों के साथ प्रयुक्त काँचाभ इनेमल चढ़े परावर्तक की विशिष्टि।	—	—
35.	IS : 8019—1976 वातों के लिए कृत्रिम पत्थर की विशिष्टि।	—	—
36.	IS : 8023—1976 एक-छोर वाले प्रगतिशील प्रकार के प्लेटनुमा स्नैप गेजों (100 मिमी तक) की विशिष्टि।	—	—
37.	IS : 8030—1976 अस्पतालों के लिए प्रकाश सामान की विशिष्टि	—	—
38.	IS : 8033—1976 लकड़ी कसाई के लिए चौकोर छेद वाले गोल वाशरों की विशिष्टि।	—	—
39.	IS : 8035—1976 उथले कुओं के हैंड पम्पों की विशिष्टि।	—	—
40.	IS : 8036—1976 ट्रांसफार्मर ठंडा करने वाली मृदु इस्पात की नलियाँ।	—	—
41.	IS : 8038—1976 कोरोडकोट परीक्षण द्वारा निकिल क्रोमियम लेप की संक्षारण प्रतिरोधिता जाँचने की पद्धति।	—	—
42.	IS : 8041—ई—1976 शीघ्र सख्त होने वाली पोर्टलैंड सीमेंट की विशिष्टि।	—	—
43.	IS : 8042 ई- 1976 सफेद पोर्टलैंड सीमेंट की विशिष्टि।	—	—

1	2	3	4
44.	IS : 8043--ई--1976 जलविरागी (हाइड्रोफोबिक) पोर्टलैंड की विशिष्टि।	—	—
45.	IS : 8044--1976 बच्चों के नीचे के चर्वक दांत निकालने के फोर्सेप्स की विशिष्टि।	—	—
46.	IS : 8045--1976 नीचे के दन्तक और कर्तक दांत निकालने के फोर्सेप्स की विशिष्टि।	—	—
47.	IS : 8046--1976 बच्चों के ऊपर के रदनक और कर्तक दांत निकालने के फोर्सेप्स की विशिष्टि।	—	—
48.	IS : 8047—1976 बच्चों के ऊपर के चर्वक दांत निकालने के फोर्सेप्स की विशिष्टि।	—	—
49.	IS : 8052—1976 शंक्वाकार और कुंडलीदार कमानियों (रेल के डिब्बों के लिये) के उत्पादन के लिए इस्पात इंगटों और बिलेटों की विशिष्टि।	— —	— —
50.	IS : 8053—1976 लकड़ी के पेंचों के निर्माण के इस्पात के तार के उत्पादन के लिए इस्पात इंगटों और बिलेटों की विशिष्टि।	—	1976-06-30 को निर्धारित।
51.	IS : 8054--1976 परतदार कमानियों (रेल के डिब्बों के लिए) के उत्पादन के लिए इस्पात इंगटों और बिलेटों की विशिष्टि।	—	—
52.	IS : 8055—1976 कमानीदार वाशरों के उत्पादन के लिये इस्पात के इंगटों और बिलेटों की विशिष्टि।	—	—
53.	IS : 8056—1976 पोशिशों की कमानियों के सख्त खिंचे इस्पात के तार के उत्पादन के लिए इस्पात इंगटों और बिलेटों की विशिष्टि।	—	—
54.	IS : 8060—1976 जूतों के लिए कीलों सहित ठोकर और आधी ऐड़ी की विशिष्टि।	—	—
55.	IS : 8064—1976 प्रेसों की पत्रनामन पद्धतियां	—	—
56.	IS : 8065—1976 हल्की कटाई क्रियाओं के लिए कारबाइड टिप की विशिष्टि।	—	—
57.	IS : 8067—1976 वायुवीय संघात रिचों की विशिष्टि।	—	—
58.	IS : 8068--1976 टैब वाशरों की विशिष्टि	—	—
59.	IS : 8070--1976 झिरीदार कैप्स्टन पेंच (टामी बोल्ट) की विशिष्टि	—	—
60.	IS : 8093--1976 ग्लैंड्स नमूने के क्यूरेट की विशिष्टि	—	—
61.	IS : 8094--1976 कर्णमल हुकहुक, कार्योर्न नमूने की विशिष्टि	—	—

इन भारतीय मानकों की प्रतियां भारतीय मानक संस्था, मानक भवन, 9 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002 तथा अहमदाबाद, बंगलोर, बम्बई, कलकत्ता, चंडीगढ़, हैदराबाद, कानपुर, मद्रास, पटना और त्रिवेन्द्रम स्थित शाखा कार्यालयों में बिक्रयार्थ उपलब्ध है।

[संख्या सी० एम० डी० 13 : 2]

S. O. 1597.—In pursuance of Sub-rule (2) of Rule 3 and Sub-regulations (2) and (3) of regulation 3 of Indian Standards Institution (Certification Marks) Rules and Regulations, 1955, the Indian Standards Institution hereby notifies that the Indian Standard(s) particulars of which are given in the Schedule hereto annexed, have been established on *1976-07-31:*

SCHEDULE

Sl. No.	No. and Title of the Indian Standards Established	No. and Title of the Indian Standard or Standards, if any, superseded by the new Indian Standard	Remarks, if any
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	*IS : 35—1975 Specification for zinc oxide for paints (first revision)	IS : 35—1950 Specification for zinc oxide for paints	Established on 1976-05-31 *For purposes of ISI Certifiation Marks Scheme; IS : 35—1975 shall come into force with effect from 1976-11-01
2.	IS 170—1976 Specification for acetone (second revision)	IS : 170—1966 Specification for acetone (second revision)	—

1	2	3	4
3.	*IS : 417 (Pt IV)—1976 Specification for footballs, volleyballs, basketballs, netballs throwballs and water-polo balls Part IV Netballs (third revision)	IS : 417—1969 Specification for footballs, volleyballs, basketballs and water polo balls (second revision)	Established on 1976-06-30 *For purposes of ISI Certification Marks Scheme; IS : 417 (Pt IV)—1976 shall come into force with effect from 1976-11-01
4.	*IS : 417 (Pt V)—1976 Specification for footballs, volleyballs, basketballs, netballs, throballs, and water-polo balls Part V Throwballs (third revision)	IS : 417—1969 Specification for footballs, volleyballs, basketballs and Waterpolo balls (second revision)	Established on 1976-06-30 *For purpose of ISI Certification Marks Scheme; IS : 417 (Pt VI)—1976 shall come into force with effect from 1976-11-01
5.	IS : 417 (Pt VI)—1976 Specification for footballs, volleyballs, basketballs, netballs throwballs and water-polo balls Part VI Water-polo balls (third revision)	IS : 417—1969 Specification for footballs, volleyballs, basketballs and water-polo-balls (second revision)	Established on 1976-06-30 *For purposes of ISI Certification Marks Scheme; IS : 417 (Part VI)—1976 shall come into force with effect from 1976-11-01
6.	IS : 487—1976 Specification for brush, paint and varnish (i) oval, ferrule bound and (ii) round, ferrule bound (second revision)	IS : 487—1966 Specification for brushes, paint and varnish, (i) oval ferrule bound and (ii) round, copper wire bound (revised)	Established on 1976-06-30
7.	*IS : 633—1975 Specification for DDT emulsifiable concentrates (first revision)	IS : 633—1956 Specification for DDT emulsifiable concentrates	Established on 1975-12-31 *For purposes of ISI Certification Marks Scheme; IS : 633—1975 shall come into force with effect from 1976-10-01
8.	IS : 750—1976 Specification for handloom cotton lungies (first revision)	IS : 750—1965 Specification for handloom cotton lungies striped or checked	—
9.	*IS : 916—1975 Specification for 18-litre square tins (second revision)	IS : 916—1966 Specification for 18-litre square tins (revised)	Established on 1975-12-31 *For purposes of ISI Certification Marks Scheme; IS : 916—1975 shall come into force with effect from 1976-12-15
10.	IS : 1536—1976 Specification for centrifugally cast (spun) iron pressure pipes for water, gas and sewage (second revision)	IS : 1536—1967 Specification for centrifugally cast (spun) iron pressure pipes for water, gas and sewage (first revision)	Established on 1976-05-31
11.	IS : 1612—1976 Specification for iron powder (reduction grade) (first revision)	IS : 1612—1960 Specification for iron powder (reduction grade)	—
12.	IS : 2032 (Pt XV)—1976 Graphical symbols used in electrotechnology Part XV aircraft electrical symbols	—	Established on 1976-06-30
13.	IS : 2193 (Pt II)—1976 Specification for animal-drawn mouldboard plough Part II Fixed type (first revision)	(i) IS : 2192—1962 Specification for mouldboard plough, turnwrest type and (ii) IS : 2226—1962 Specification for mouldboard plough, fixed type	—
14.	IS : 2403—1975 Specification for transmission steel roller chains and chain wheels (first revision)	IS : 2403—1964 Specification for transmission steel roller chains and chain wheels	Established on 1975-09-30
15.	IS : 2490 (Pt VI)—1976 Tolerance limits for industrial effluents discharged into inland surface waters Part VI Dyestuff and dye intermediate manufacturing industry (first revision)	IS : 2490—1963 Tolerance limits for industrial effluents discharged into inland surface waters	—
16.	IS : 3103—1975 Code of practice for industrial ventilation (first revision)	IS : 3103—1965 Code of practice for industrial ventilation	Established on 1976-05-31
17.	IS : 3339—1975 Specification for silica flour for use in foundries (first revision)	IS : 3339—1965 Specification for silica flour for use in foundries	Established on 1976-05-31

1	2	3	4
18.	IS : 3431—1975 Specification for steel for volute, helical and laminated springs for automotive suspension (first revision)	*IS : 3431—1965 Specification for steel for volute, helical and laminated springs for automotive suspension	Established on 1976-04-30 *For purposes of ISI Certification Marks Scheme; IS : 3431—1965 shall run concurrently with IS : 3431—1975 upto 1976-10-31
19.	*IS : 3811—1976 Specification for rum (first revision)	IS : 3811—1966 Specification for rum	Established on 1976-05-31 *For purposes of ISI Certification Marks Scheme; IS : 3811—1976 shall come into force with effect from 1976-10-01
20.	IS : 4304—1976 Specification for tuna canned in oil (first revision)	IS : 4304—1967 Specification for tuna canned in oil	—
21.	IS : 4449—1976 Specification for whiskies (first revision)	IS : 4449—1967 Specification for whiskies	Established on 1976-05-31
22.	IS : 7160 (Pt II)—1974 Guide for print area, margins and type sizes for textbooks Part II Textbooks in hindi	—	Established on 1976-05-31
23.	IS : 7416 (Pt VI)—1976 Dimensions for TV ferrite components Part VI beam centring magnet for deflection coil	—	Established on 1976-05-31
24.	IS : 7729—1975 Specification for sodium monochloroacetate	—	Established on 1975-12-31
25.	IS : 7739 (Pt I)—1975 Code of practice for preparation of metallographic specimens Part I General features	—	Established on 1976-05-31
26.	IS : 7933—1975 Specification for flexible polyurethane foam for domestic mattresses	—	Established on 1976-05-31
27.	IS : 7949—1976 Method for determining resistance to penetration by water of fabrics by static pressure head test	—	—
28.	IS : 7977—1976 Specification for disulfoton, technical	—	—
29.	IS : 7983—1976 Specification for cleaning solution, porcelain	—	—
30.	IS : 7993—1976 Specification for power operated square drive socket wrenches	—	Established on 1976-06-30
31.	IS : 8005—1976 Classification of unit loads	—	—
32.	IS : 8007—1976 Dimensions of fifth wheel coupling between transport tractors and semi/articulated trailers for interchangeability	—	—
33.	IS : 8010 (Pt I)—1976 Guidelines for preparation of technical reports Part I research and development reports	—	—
34.	IS : 8017—1976 Specification for vitreous enamelled reflectors for use with tungsten filament lamps	—	—
35.	IS : 8019—1976 Specification for dental artificial stone	—	—
36.	IS : 8023—1976 Specification for single ended progressive type plate snap gauges (upto 100 mm)	—	—
37.	IS : 8030—1976 Specification for luminaires for hospitals	—	—

1	2	3	4
38.	IS : 8033—1976 Specification for round washers with square hole for wood fastenings	—	—
39.	IS : 8035—1976 Specification for shallow well hand pumps	—	
40.	IS : 8036—1976 Specification for mild steel transformers cooling tubes	—	
41.	IS : 8038—1976 Method of testing corrosion resistance of nickel chromium plating by the corrodkote test	—	—
42.	IS : 8041E —1976 Specification for rapid hardening portland cement	—	Established on 1976-06-30
43.	IS : 8042E—1976 Specification for white portland cement	—	Established on 1976-06-30
44.	IS : 8043E—1976 Specification for hydrophobic portland cement	—	Established on 1976-06-30
45.	IS : 8044—1976 Specification for forceps, extraction, dental lower molar children	—	—
46.	IS : 8045—1976 Specification for forceps, extraction, dental lower incisors and canines, children	—	—
47.	IS : 8046—1976 Specification for forceps, extraction, dental, upper incisors and canines, children	—	—
48.	IS : 8047—1976 Specification for forceps, extraction, dental upper molar, children	—	—
49.	IS : 8052—1976 Specification for steel ingots and billets for the production of volute and helical springs (for railway rolling stock)	—	—
50.	IS : 8053—1976 Specification for steel ingots and billets for the production of steel wire for the manufacture of wood screws	—	Established on 1976-06-30
51.	IS : 8054—1976 Specification for steel ingots and billets for production of laminated springs (railway rolling stock)	—	—
52.	IS : 8055—1976 Specification for steel ingots and billets for the production of springs washers	—	—
53.	IS : 8056—1976 Specification for steel ingots and billets for the production of hard-drawn steel wire for upholstery springs	—	—
54.	IS : 8060—1976 Specification for heel-tip and toe tip with nails for footwear	—	—
55.	IS : 8064—1976 Methods of designation of presses	—	—
56.	IS : 8065—1976 Specification for carbide tips for light cutting operations	—	—
57.	IS : 8067—1976 Specification for pneumatic impact wrenches	—	—
58.	IS : 8068—1976 Specification for tab water	—	—
59.	IS : 8070—1976 Specification for slotted capstan screws (tommy bolt)	—	—

(1)	(2)	(3)	(4)
60.	IS : 8093—1976 Specification for curette, Ballance's pattern	—	—
61.	IS : 8094—1976 Specification for hook, cerumen, Cawthorne's pattern	—	—

Copies of these Indian Standards are available for sale with the Indian Standards Institution, Manak Bhavan, 2 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 and its branch offices at Ahmedabad, Bangalore, Bombay, Calcutta, Chandigarh Hyderabad, Kanpur, Madras, Patna and Trivandrum.

[No. C.M.D/13 : 2]

भा० मा० 1598.—भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम, 1955 के नियम 3 के उपविनियम 2 तथा विनियम 3 के उपविनियम (2) और (3) के अनुसार भारतीय मानक संस्था एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि जिन भारतीय मानकों के ब्यौरे नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, वे 1976-05-31 को निर्धारित किए गए हैं :

अनुसूची

क्रम संख्या	निर्धारित भारतीय मानक की संख्या और शीर्षक	नए भारतीय मानक द्वारा रद्द किए गए भारतीय मानक की पद संख्या और शीर्षक	अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS : 77—1976 रंग रोगन के लिए उबले हुए अलसी के तेल की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	IS : 77-1968 रंग रोगन के लिए उबले हुए अलसी के तेल की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	— —
2.	IS : 564—1975 डी डी टी धूलन पाउडर की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	*IS : 564—1961 डी डी टी धूलन पाउडर की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	31 दिसम्बर, 1975 को निर्धारित *भारतीय मानक संस्था प्रमाणन चिह्न योजना के लिए IS : 564—1961 31 अक्तूबर, 1976 तक IS : 564—1975 के साथ लागू रहेगा
3.	IS : 565—1975 डी डी टी जल विसर्जनीय तेज पाउडर की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	*IS : 565—1961 डी डी टी जल विसर्जनीय तेज पाउडर की विशिष्टि (पुनरीक्षित)	30 सितम्बर, 1975 को निर्धारित *भारतीय मानक संस्था प्रमाणन चिह्न योजना के लिए IS : 565—1961 31 अक्तूबर, 1976 तक IS : 565—1975 के साथ लागू रहेगा
4.	IS : 1153—1975 तरल, कठोर झिल्ली वाले ढोलक द्वारा जमाए गये, अस्थायी संक्षारण रोधक की विशिष्टि	IS : 1153—1957 तरल, कठोर झिल्ली वाले ढोलक द्वारा जमाए गये, अस्थायी संक्षारण रोधक की विशिष्टि	30 नवम्बर, 1975 को निर्धारित
5.	IS : 1275—1976 वर्णक्रमानुगत सूचक बनाने के नियम (पहला पुनरीक्षण)	IS : 1275—1958 वर्णक्रमानुगत सूचक बनाने के नियम	—
6.	IS : 1448—(पी : 40)—1976 पैट्रोलियम और उसके उत्पादों की परीक्षण पद्धति पी : 40 आसवन द्वारा पानी (दूसरा पुनरीक्षण)	IS : 1448—(पी : 40)—1967 पेट्रोलियम और उसके उत्पादों की परीक्षण पद्धति पी : 40 आसवन द्वारा पानी (पहला पुनरीक्षण)	—
7.	IS : 1883—1975 धातु की बनी खानेदार अलमारी (घट बढ़ सकने वाली) की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	IS : 1883—1966 धातु की बनी खानेदार अलमारी (घट बढ़ सकने वाली) की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	31 अक्तूबर, 1975 को निर्धारित
8.	IS : 1956 (भाग 2)—1976 लोहे और इस्पात सम्बन्धी शब्दावली भाग 2 इस्पात उत्पादन	IS : 1956—1962 लोहे और इस्पात सम्बन्धी शब्दावली	30 अप्रैल, 1976 को निर्धारित

(1)	(2)	(3)	(4)
9.	IS : 1971--1975 हस्तचालित, निरन्तर टाइप, एक नाली वाले रकाबदार पम्प की विशिष्टि (तीसरा पुनरीक्षण)	*IS : 1971--1972 एक नाली वाले रकाबदार पम्प की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	31 दिसम्बर, 1975 को निर्धारित *भारतीय मानक संस्था प्रमाणन चिह्न योजना के लिए IS : 1971--1972 31 अक्तूबर, 1976 तक IS : 1971--1975 के साथ लागू रहेगा।
10.	IS : 2347--1974 घरेलू उपयोग के लिए प्रेशर कुकर की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	IS : 2348--1966 के घरेलू उपयोग के लिये प्रेशर कुकर (पुनरीक्षित) की विशिष्ट	31 दिसम्बर, 1975 को निर्धारित
11.	IS : 2586--1975 बेंच लगी बांक (मशीन कारीगर की बांक) की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	IS : 2586--1964 बेंच लगी बांक (मशीन कारीगर की बांक) की विशिष्ट	29 फरवरी, 1976 को निर्धारित
12.	IS : 2588--1975 लोहार के काम की बांक की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	IS : 2588--1964 लोहार के काम की बांक की विशिष्टि	29 फरवरी, 1976 को निर्धारित
13.	IS : 2720 (भाग 12)--1975 मृत्तिका परीक्षण पद्धतियाँ भाग 12 छिद्र पानी के दाब और संघनित निर्द्रव तीन एक्सिल वाले संपीड़न परीक्षण द्वारा धरती की काट सामर्थ्य ज्ञात करना	--	--
14.	IS : 3179--1976 फीलर गेजों (0.03 से 1.00 मिमी) की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	IS : 3179--1965 फीलर गेजों (0.03 से 1 मिमी) की विशिष्टि	--
15.	IS : 4588--1925 प्राकृतिक कच्चे रबड़ की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	IS : 4588--1968 प्राकृतिक कच्चे रबड़ की विशिष्टि	31 दिसम्बर, 1975 को निर्धारित
16.	IS : 6273 (भाग 3)—1975 खाद्य पदार्थों के ऐन्द्रिक मूल्यांकन की संदर्शिका भाग 3 आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण	—	—
17.	IS 7416 (भाग 7)—1976 टेलीविजन के फैराइट उपकरणों के माप भाग 7 परावर्तन कुंडल के लिए पिन कुशन सुधारार्थ चुम्बक	—	—
18.	IS : 7416 (भाग 8)—1976 टेलीविजन के फैराइट उपकरणों के माप भाग 8 लाइन आउटपुट ट्रांसफार्मर के लिए यू और आई कोर जड़ाई	--	--
19.	IS : 7564 (भाग 4)—1975 इमारतों में मापों के समन्वय सम्बन्धी सिफारिशें इमारती अंगों और जड़ाइयों का क्रम भाग 4 कार्य संपादन समूह 4 सेवाएं और जल निकास	—	30 अप्रैल, 1976 को निर्धारित
20.	IS : 7739 (भाग 2)—1975 धातु लेखी नमूने तैयार करने की रीति संहिता भाग 2 विद्युत विश्लेषी पालिश करना	--	--
21.	IS : 7739 (भाग 6)--1975 धातु लेखी नमूने तैयार करने की रीति संहिता भाग 6 सीसा और सीसामिश्र और उनका परीक्षण	--	--
22.	IS : 7884--1975 कृत्रिम डिटर्जेंट से बने शैम्पू की विशिष्टि	--	--
23.	IS : 7886--1975 विस्फोट और आतिशबाजी उद्योग के लिए प्रयुक्त बेरियम क्रोमेट की विशिष्टि	--	--
24.	IS : 7920 (भाग 2)--1976 सांख्यिकीय शब्दावली और प्रतीक भाग 2 नमूना लेने और प्रक्रम नियंत्रण में प्रयुक्त शब्द	--	--
25.	IS : 7930--1976 चुम्बकीय आक्साइडों या लोह पाउडर से बने टोराएडों के माप	--	30 अप्रैल, 1976 को निर्धारित
26.	IS : 7944--1976 क्विनटोजीन घूलन पाउडर की विशिष्टि	--	--
27.	IS : 7956--1976 टॉक्साफीन पायसनीय लेज द्रव की विशिष्टि	—	—
28.	IS : 7954—1976 सूटकेसों की विशिष्टि	—	—

(1)	(2)	(3)	(4)
29.	IS : 7960 (भाग 1)—1976 मशीनी औजारों की पैकेजबंदी की रीति संहिता भाग 1 जलयानों द्वारा भेजने के लिए	—	30 अप्रैल 1976 को निर्धारित
30.	IS : 7965—1976 नायोबियम (कोलम्बियम) की विशिष्टि	—	—
31.	IS : 7967—1976 समुद्र किनारे के क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण की कसौटियां	—	—
32.	IS : 7970—1976 केपैसिटर के लिए टैन्टेलम पाउडर की विशिष्टि	—	—
33.	IS : 7981 (भाग 3)—1976 ट्यूबोप्लास्टी के औजारों की विशिष्टि भाग 3 शिरोधकर नमूने की गाइड		
34.	IS : 7981 (भाग 4)—1976 ट्यूबोप्लास्टी के औजारों की विशिष्ट भाग 4 शिरोधकर नमूना का एक सिरे वाला क्षतपरीक्षक (प्रोब)	—	—
35.	IS : 7981 (भाग 5)—1976 ट्यूबोप्लास्टी के औजारों की विशिष्टि भाग 5 शिरोधकर नमूना का दो सिरे वाला क्षत परीक्षक (प्रोब)	—	—
36.	IS : 7982—1976 मोटर गाड़ी की तरल पॉलिश की विशिष्टि	—	—
37.	IS : 7986—1976 नहरों के निकास स्थान की रीति संहिता	—	—
38.	IS : 7987—1976 उच्च स्थिरता एसी सर्किट ब्रेकर की चुनाव संशिका	—	—
39.	IS : 7990—1976 वाह्य सरकिलपों में प्रयुक्त प्लासों की विशिष्टि	—	—
40.	IS : 7991—1976 हस्तचालित चौरस धार के सॉकेट रिंचों के लिए जुड़नारों की विशिष्टि	—	—
41.	IS : 7995—1976 वायुचालित कंक्रीट तोड़ के मशीन के शॉक के माप	—	—
42.	IS : 7997—1976 तेज गंध वाले पदार्थों के परीक्षण संदर्शिका	—	—
43.	IS : 8003—1976 खान की गाड़ियों के पहिये और धुरी की जड़ाइयों की विशिष्टि	—	—
44.	IS : 8004—1976 कठोर पीवीसी (पोलीयविनाइल क्लोराइड) पाइपों के वेल्ड करने की सिफारिशी विधि	—	—
45.	IS : 8008 (भाग 1)—1976 पीने के पानी की सप्लाई के लिए इंजेक्शन मोल्ड द्वारा बनी उच्च घनत्व पॉलीइथाइलीन फिटिंगों की विशिष्टि भाग 1 सामान्य अपेक्षाएं	—	—
46.	IS : 8008 (भाग 2)—1976 पीने के पानी की सप्लाई के लिए इंजेक्शन मोल्ड द्वारा बनी उच्च घनत्व पॉलीइथाइलीन फिटिंगों की की विशिष्ट भाग 2 90 मोड़ के लिए विशेष अपेक्षाएं	—	—
47.	IS : 8008 (भाग 3)—1976 पीने के पानी की सप्लाई के लिए इंजेक्शन मोल्ड द्वारा बनी उच्च घनत्व पॉलीइथाइलीन फिटिंगों की विशिष्टि भाग 3 90 "टी" के लिए विशेष अपेक्षाएं	—	—
48.	IS : 8008 (भाग 4)—1976 पीने के पानी की सप्लाई के लिए इंजेक्शन मोल्ड द्वारा बनी उच्च घनत्व पॉलीइथाइलीन फिटिंगों की विशिष्टि भाग 4 रिड्यूसरों की विशेष अपेक्षाएं	—	—
49.	IS : 8008 (भाग 5)—1976 पीने के पानी की सप्लाई के लिए इंजेक्शन मोल्ड द्वारा बनी उच्च घनत्व पॉलीइथाइलीन फिटिंगों की विशिष्टि भाग 5 फेरूल रिड्यूसर की विशेष अपेक्षाएं	—	—

1	2	3	4
50.	IS : 8008 (भाग 6)—1976 पीने के पानी की सप्लाई के लिए इंजेक्शन मोल्ड द्वारा बनी उच्च घनत्व पॉलीइथालीन की फिटिंगों की विशिष्टि भाग 6 पाइप के सिरों की विशेष अपेक्षाएं	—	—
51.	IS : 8008 (भाग 7)—1976 पीने के पानी की सप्लाई के लिए इंजेक्शन मोल्ड द्वारा बनी उच्च घनत्व पॉलीइथालीन की फिटिंगों की विशिष्टि भाग 7 मैकेनिकल फ्लैंज की विशेष अपेक्षाएं	—	—
52.	IS : 8012—1976 कमानीदार कब्जा बेस की विशिष्ट	—	—

इन भारतीय मानकों की प्रतियाँ बिक्री के लिए भारतीय मानक संस्था, मानक भवन, 9 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 में तथा इसके शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलौर, बम्बई कलकत्ता, चंडीगढ़, हैदराबाद, कानपुर, मद्रास, पटना और त्रिवेन्द्रम में उपलब्ध हैं ।

[संख्या सी० एम० डी०/13 : 2]

ए० पी० बनर्जी, उप-महानिदेशक

S.O. 1598.—In pursuance of Sub-rule (2) of Rule 3 and Sub-regulations (2) and (3) of regulation 3 of Indian Standards Institution (Certification Marks) Rules and Regulations, 1955, the Indian Standards Institution hereby notifies that the Indian Standard(s), particulars of which are given in the Schedule hereto annexed, have been established on 1976-05-31 :

SCHEDULE

Sl. No.	No. and Title of the Indian Standards Established	No. and Title of the Indian Standard or Standards, if any, superseded by the new Indian Standard	Remarks, if any
1	2	3	4
1.	IS : 77-1976 Specification for linseed oil, boiled, for paints (second revision)	IS : 77-1968 Specification for linseed oil, boiled, for paints (first revision)	—
2.	IS : 564—1975 Specification for DDT dusting powders (second revision)	*IS : 564—1961 Specification for DDT dusting powders (revised)	Established on 1975-12-31 *For purposes of ISI Certification Marks Scheme; IS : 564—1961 shall run concurrently with IS : 564—1975 upto 1976-10-31
3.	IS : 565—1975 Specification for DDT water dispersible powder concentrates (second revision)	*IS : 565—1961 Specification for DDT water dispersible powder concentrates (revised)	Established on 1975-09-30 *For purposes of ISI Certification Marks Scheme; IS : 565—1961 shall run concurrently with IS : 565—1975 upto 1976-10-31
4.	IS : 1153—1975 Specification for temporary corrosion preventive, fluid, hard film solvent deposited (first revision)	IS : 1153—1957 Specification for temporary corrosion preventive, fluid, hard film, solvent deposited	Established in 1975-11-30
5.	IS : 1275—1976 Rules for Making Alphabetical indexes (first revision)	IS : 1275—1958 Rules for making alphabetical indexes	—
6.	IS : 1448 [P : 40]—1976 Methods of test for petroleum and its products [P : 40] Water by Distillation (second revision)	IS : 1448 [P : 40]—1967 Methods of test for petroleum and its products [P : 40] Water by distillation (first revision)	—
7.	IS : 1883—1975 Specification for metal shelving racks (adjustable type) (second revision)	IS : 1883—1966 Specification for metal shelving racks (adjustable type) (first revision)	Established on 1975-10-31
8.	IS : 1956 (Part II)—1976 Glossary of terms relating to iron nd steel Part II Steel making (first revision)	IS : 1956—1962 Glossary of terms relating to iron and steel	Established on 1976-04-30
9.	IS : 1971—1975 Specification for hand operated continuous single-barrel stirrup-pump (third revision)	*IS : 1971-1972 Specification for single-barrel stirrup-pump (second revision)	Established on 1975-12-31 *For purposes of ISI Certification Marks Scheme; IS : 1971-1972 shall run concurrently with IS : 1971-1975 up to 1976-10-31

1	2	3	4
10.	IS : 2347—1974 Specification for domestic pressure cookers (second revision)	IS : 2347—1966 Specification for domestic pressure cookers (revised)	Established on 1975-10-31
11.	IS : 2586—1975 Specification for bench vices (Machinist's vices) (first revision)	IS : 2586—1964 Specification for bench vices (Machinist's vices)	Established on 1976-02-29
12.	IS : 2588—1975 Specification for blacksmith's vices (first revision)	IS : 2588—1964 Specification for blacksmith's vices	Established on 1976-02-29
13.	IS : 2720 (Part XII)—1975 Methods of test for Soils Part XII determination of shear strength parameters of soil from consolidated undrained triaxial compression test with measurement of pore water pressure	—	—
14.	IS : 3179—1976 Specification for feeler gauges (0.03 to 1.00 mm) (first revision)	IS : 3179—1965 Specification for feeler gauges (0.03 to 1 mm)	—
15.	IS : 4588—1975 Specification for rubber, raw, natural (first revision)	IS : 4588—1968 Specification for raw natural rubber	Established on 1975-12-31
16.	IS : 6273 (Part III)—1975 Guide for sensory evaluation of foods Part III Statistical analysis of data	— —	— —
17.	IS : 7416 (Part VII)—1976 Dimensions for TV ferrite components Part VII Pin cushion correction magnet for deflection coil	—	—
18.	IS : 7416 (Part VIII)—1976 Dimensions for TV ferrite components Part VIII U and I core assembly for line output transformer	—	—
19.	IS : 7564 (Part IV)—1975 Recommendations for co-ordination of dimensions in buildings arrangement of building components and assemblies Part IV Functional Group 4—services and drainage	—	Established on 1976-04-30
20.	IS : 7739 (Part II)—1975 Code of practice for preparation of metallographic specimens Part II Electrolytic polishing	—	—
21.	IS : 7739 (Part VI)—1975 Code of practice for preparation of metallographic specimens Part VI Lead and its alloys and their examination	—	—
22.	IS : 7884—1975 Specification for shampoo, synthetic-detergent based	—	—
23.	IS : 7886—1975 Specification for barium chromate for explosive and pyrotechnic industry	—	—
24.	IS : 7920 (Part II)—1976 Statistical vocabulary and symbols Part II Terms used in sampling and process control	—	—
25.	IS : 7930—1976 Dimensions of Toroids made of magnetic oxides or iron powder	—	Established on 1976-04-30
26.	IS : 7944—1976 Specification for Quintozene dusting powders	—	—
27.	IS : 7946—1976 Specification for Toxaphene emulsifiable concentrates	—	—
28.	IS : 7954—1976 Specification for suitcases	—	—
29.	IS : 7960 (Part I)—1976 Code of practice for packaging machine tools Part I For overseas shipment	—	Established on 1976-04-30

1	2	3	4
30.	IS : 7965—1976 Specification for niobium (columbium)	—	—
31.	IS : 7967—1976 Criteria for controlling pollution of marine coastal areas	—	—
32.	IS : 7970—1976 Specification for tantalum powder for capacitors	—	—
33.	IS : 7981 (Part III)—1976 Specification for instruments, tuboplasty Part III Guide, Shirodkar's pattern	—	—
34.	IS : 7981 (Part IV)—1976 Specification for instruments, tuboplasty Part IV Probe, single ended, Shirodkar's pattern	—	—
35.	IS : 7981 (Part V)—1976 Specification for instruments, tuboplasty Part V Probe, Double ended Shirodkar's pattern	—	—
36.	IS : 7982—1976 Specification for automobile polish, liquid	—	—
37.	IS : 7986—1976 Code of practice for canal outlets	—	—
38.	IS : 7987—1976 guide for selection of high voltage ac circuitbreakers	—	—
39.	IS : 7990—1976 Specification for pliers for external circlips	—	—
40.	IS : 7991—1976 Specification for attachments for hand operated square drive socket wrenches	—	—
41.	IS : 7995—1976 Dimensions for pneumatic concrete breakers shanks	—	—
42.	IS : 7997—1976 Guide for testing products of intense flavour	—	—
43.	IS : 8003—1976 Specification for wheel axle assemblies for mine cars	—	—
44.	IS : 8004—1976 Recommended procedure for welding of rigid PVC (rigid polyvinyl chloride)	—	—
45.	IS : 8008 (Part I)—1976 Specification for injection moulded high density polyethylene (HDPE) fittings for potable water supplies Part I General requirements	—	—
46.	IS : 8008 (Part II)—1976 Specification for injection moulded high density polytheylene (HDPE) fittings for potable water supplies Part II Specific requirements for 90° bends	—	—
47.	IS : 8008 (Part III)—1976 Specification for injection moulded high density polyethylene (HDPE) fittings for potable water supplies Part III Specific requirements for 90° tees	—	—
48.	IS : 8008 (Part IV)—1976 Specification for injection moulded high density polyethylene (HDPE) fittings for potable water supplies Part IV Specific requirements for reducers	—	—
49.	IS 8008 (Part V)—1976 Specification for injection moulded high density polyethylene (HDPE) fittings for potable water supplies Part V Specific requirements for ferrules reducers	—	—

(1)	(2)	(3)	(4)
50.	IS : 8008 (Part VI)—1976 Specification for injection moulded high density polyethylene (HDPE) fittings for potable water supplies Part VI Specific requirements for pipe ends	—	—
51.	IS : 8008 (Part VII)—1976 Specification for injection moulded high density polyethylene (HDPE) fittings for potable water supplies Part VII Specific requirements for sandwich flanges	—	—
52.	IS : 8012—1976 Specification for spring dumb-bells	—	—

Copies of these Indian Standards are available for sale with the Indian Standards Institution, Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 and also its branch offices at Ahmedabad, Bangalore, Bombay, Calcutta, Chandigarh, Hyderabad, Kanpur Madras, Patna and Trivendram.

[No. CMD/13 : 2]

A.P. BANERJI, Deputy Director General

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 4 मई, 1979

का०आ० 1599.—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तंभ (1) में वर्णित अधिकारी को, जो सरकार का राजपत्रित अधिकारी है, सम्पदा अधिकारी के रूप में नियुक्त श्री दत्ता राम के स्थान पर, देखिए अधिसूचना सं० का०आ० 2321, तारीख 12 अगस्त, 1978, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है, और आगे यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त अधिकारी उक्त सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों की बाबत, उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सम्पदा अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा ।

अधिकारी का नाम	सरकारी स्थान
श्री एम०एल० गुप्त, अवर सचिव, उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक विकास विभाग ।	उद्योग भवन

[फा० सं०डी-11012/4/79-जी ए]

एस० के० सरकार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 4th May, 1979

S.O. 1599.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officer mentioned in column (1) of the Table below, being Gazetted Officer of Government to be Estate Officer for the purpose of the said Act, vice Shri Data Ram, appointed as Estate Officer vide Notification S.O. 2321 dated 12th August, 1978, and further directs that aforesaid officer shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on the Estate Officer by or under the said Act in respect of the public premises specified in column (2) of the said table.

Name of Officer (1)	Public premises (2)
Shri M.L. Gupta, Under Secretary, Ministry of Industry, Department of Industrial Development.	Udyog Bhawan

[F. No. D-11012/4/79-GA]

S. K. SARKAR, Joint Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 4 मई, 1979

का० आ० 1600.—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि दोनों योग सोसाइटियों का, अर्थात् विश्वयातन योगाश्रम और केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान का, जिनका केन्द्रीय सरकार ने योग उपक्रम (प्रबंध ग्रहण) अधिनियम, 1977 (1977 का 21) के अधीन प्रबंध ग्रहण कर लिया था, समुचित प्रबंध सुनिश्चित करने के लिए उन्हें 23 मई, 1979 के पश्चात् एक वर्ष की और अवधि तक केन्द्रीय सरकार में निहित रखा जाना चाहिए :

अतः उक्त अब अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार यह घोषणा करती है कि दोनों योग सोसाइटियों का प्रबंध 24 मई, 1979 से एक वर्ष की और अवधि तक, केन्द्रीय सरकार में निहित रहेगा ।

[सं० आर० 11015/17/78—आयुर्वेद डेस्क-iii]

विजय भूषण, उप-सचिव

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 4th May, 1979

S.O. 1600.—Whereas the Central Government is satisfied that in order to secure the proper management of the undertakings of the two Yoga Societies namely Vishwayatan Yoga-

shram and the Central Research Institute for Yoga which were taken over by the Central Government under the Yoga Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1977 (31 of 1977) should continue to vest in the Central Government for a further period of one year beyond the 23rd May, 1979;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of Section 3 of the said Act, the Central Government hereby declares that the management of the two Yoga Societies shall continue to vest in the Central Government for a further period of one year on and from 24th May, 1979.

[No. R. 11015/17/78-Ay. Desk III]
VIJAY BHUSHAN, Dy. Secy.

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, 1 मई, 1979

का० आ० 1601.—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व खान और ईंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3894 तारीख 22 दिसम्बर, 1962 जो कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन तैयार की गई थी, के अनुसरण में, कोईहारा, कुम्बारदारा (कुम्हारधारा), सिवई, भुचुंगडीह, हुटुगदाग और गौराबेरा, थाना रामगढ़, जिला हजारीबाग (बिहार) ग्रामों में 2510 (एकड़ लगभग) या 1016.55 हेक्टेयर भूमि अर्जित की है ;

और भुचुंगडीह ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति (1) शेख सलामत अली पुत्र शेख शाहिब अली (2) शेख तसलीम (3) शेख इदरीस (4) मायाुद्दीन (5) नासिरउद्दीन सभी निजामुद्दीन के पुत्र (6) श्रीमती मसीदन पत्नी शेख रमजान (7) सफी मैन पुत्र शेख अब्दुल (8) श्रीमती फुलमानी (9) श्रीमती मोगनी पत्नी जोधन मेहतो (10) श्रीमती तेजन पत्नी श्री श्रीपति साहू ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन, उक्त अर्जन में से 1.76 एकड़ या 0.71 हेक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास दावा किया है ;

और उक्त अर्जन के लिए देय प्रतिकर की रकम, प्रस्थापित प्रतिकर की रकम की पर्याप्तता की बाबत विवाद होने के कारण करार द्वारा नियतन की जा सकी और इस प्रकार प्रस्थापित रकम हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकार की गई है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, राँची होंगे।

[सं० 19/20/78—सी० एल०-(47)]

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

New Delhi, the 1st May, 1979

S.O. 1601.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel No. S.O. 3894, dated the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 2510 acres (approximately) or 1016.55 hectares in villages Koihara, Kumbaradara (Kumhardhara), Sewai, Bhuchungidh, Hutugdag and Gourbera, thana Ramgarh District Hazaribagh (Bihar).

And whereas (1) Sk. Salamat Ali s/o Sk. Saheb Ali (2) Sk. Taslim (3) Sk. Idrish (4) Mayauddin (5) Nashiruddih all sons of Nijamuddin (6) Most Masidan w/o Sk. Ramjan (7) Safi Mian s/o Sk. Abdul (8) Most Phulmani (9) Most Mogni w/o Jodhan Mahto (10 Most Taijan w/o Sri Pati Sao of village Bhuchungdih, the person interested has, under section 13 of the said Act, preferred the claim to the competent authority for payment of compensation for an area of 1.76 acres or 0.71 hectares out of the said acquisition;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute as to the sufficiency of the amount of compensation offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a part-time Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi.

[No. 19(20)/78-CL(47)]

का० आ० 1602.—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व खान और ईंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3894 तारीख 22 दिसम्बर, 1962, जो कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन तैयार की गई थी, के अनुसरण में, कोईहारा, कुम्बारदारा (कुम्हारधारा), सिवई, भुचुंगडीह, हुटुगदाग और गौराबेरा, थाना रामगढ़, जिला हजारीबाग (बिहार) ग्रामों में 2510 एकड़ (लगभग) या 1016.55 हेक्टेयर भूमि अर्जित की है ;

और सिवई ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति:— (1) कन्दन मांझी पुत्र बारकू मांझी (2) शिकारी मांझी (3) दरबारी मांझी दोनों अकला मांझी के पुत्र ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन, उक्त अर्जन में से 3.06 एकड़ या 1.24 हेक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास दावा किया है ;

और उक्त अर्जन के लिए देय प्रतिकर की रकम, प्रस्थापित प्रतिकर की रकम की पर्याप्तता की बाबत विवाद होने के कारण करार द्वारा नियत न की जा सकी और इस प्रकार प्रस्थापित रकम हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकार की गई है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, राँची होंगे।

[सं० 19/20/78—सी० एल०-(63)]

S.O. 1602.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel No. S.O. 3894, dated the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 2510 acres (approximately) or 1016.55 hectares in villages Kolhara, Kumbaradara (Kumhardhara), Sewai, Bhuchungdih, Hutugdag and Gourabera, Thana Ramgarh, District Hazaribagh (Bihar) ;

And whereas (1) Kandan Manjhi s/o Barku Manjhi (2) Sikari Manjhi (3) Darbari Manjhi both sons of Akla Manjhi of village Sewai, the person interested has, under section 13 of the said Act, preferred the competent authority for payment of compensation for an area of 3.06 acres or 1.24 hectares out of the said acquisition;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute to the sufficiency of the amount of compensation offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a part-time Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi.

[No. 19(20)78-CL(63)]

का० आ० 1603.—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व खान और इंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3894 तारीख 22 दिसम्बर, 1962, जो कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन तैयार की गई थी, के अनुसरण में, कोईहारा, कुम्बारदारा (कुम्हारधारा) सिवई, भुचुंगडीह, हुटुगदाग और गौराबेरा, थाना रामगढ़, जिला हजारीबाग (बिहार) ग्रामों में 2510 एकड़ (लगभग) या 1016.55 हेक्टेयर भूमि अर्जित की है ;

और सिवई ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति (1) श्रीमती तनिया पत्नी खीता करमाली (2) मुनिया करमाली (3) धुनिया करमाली (4) कोका करमाली (5) फातूरी करमाली सभी बैजनाथ करमाली के पुत्र (6) तुलु करमाली पुत्र जगलाल करमाली (7) अमर लाल करमाली (8) बरकू करमाली दोनों गिरधारी करमाली के पुत्र (9) राम बिलास करमाली पुत्र बदरी करमाली (10) माहा करमाली (11) फनू करमाली दोनों लछू करमाली के पुत्र (12) रनजीत करमाली पुत्र अकलू करमाली (13) बिहारी करमाली पुत्र सिबू करमाली) (14) मातन करमाली पुत्र जानकी करमाली (15) हरिहर करमाली पुत्र गाहन करमाली (16) गुजा करमाली (17) पगवा करमाली दोनों मनी करमाली के पुत्र (18) बिरजू करमाली (19) गौरी करमाली दोनों नेतू करमाली के पुत्र (20) प्रयाग करमाली (21) बनवारी करमाली (22) नेपाल करमाली (23) किशन करमाली (24) बिसन करमाली सभी टेकू करमाली के पुत्र ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन, उक्त अर्जन में से 0.55 एकड़ या 0.22 हेक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास दावा किया है ;

और उक्त अर्जन के लिए देय प्रतिकर की रकम, प्रस्थापित प्रतिकर की रकम की पर्याप्तता की बाबत विवाद होने के कारण करार द्वारा नियत न की जा सकी और इस प्रकार प्रस्थापित रकम हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकार की गई है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, रांची होंगे।

[सं० 19/20/78—सी० एल०(64)]

S.O. 1603.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel No. S. O. 3894, dated the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 2510 acres (approximately) or 1016.55 hectares in villages Koihara, Kumbaradara (Kumhardhara), Sewai, Bhuchungdih, Hutugdag and Gourabera, Thana Ramgarh, District Hazaribagh (Bihar) ;

And whereas (1) Most Taniya w/o Khatia Karmali (2) Muniya Karmali (3) Dhuniya Karmali (4) Koka Karmali (5) Phaturi Karmali all sons of Baij Nath Karmali (6) Tulu Karmali s/o Jaglal Karmali (7) Amar Lal Karmali 8) Barku Karmali both ss/o Giridhari Karmali (9) Ram Bilas Karmali s/o Badri Karmali (10) Maha Karmali (11) Phunu Karmali both ss/o Lachu Karmali (12) Ranjit Karmali s/o Aklu Karmali (13) Bihari Karmali s/o Sibu Karmali (14) Matan Karmali s/o Janki Karmali (15) Harihar Karmali s/o Gahan Karmali (16) Ghuja Karmali (17) Pagwa Karmali both sons of Mani Karmali (18) Barju Karmali (19) Gauri Karmali ss/o Netu Karmali (20) Pravag Karmali (21) Banwani Karmali (22) Nepal Karmali (23) Kishun Karmali (24) Bishun Karmali all ss/o Teku Karmali of village Sewai, the person interested has, under section 13 of the said Act, preferred the competent authority for payment of compensation for an area of 0.55 acres or 0.22 hectares cut of the said acquisition ;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute to the sufficiency of the amount of compensation offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest ;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a part-time Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi.

[No. 19(20)78-CL(64)]

का० आ० 1604.—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व खान और इंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3894 तारीख 22 दिसम्बर, 1962, जो कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन तैयार की गई थी, के अनुसरण में, कोईहारा, कुम्बारदारा (कुम्हारधारा), सिवई, भुचुंगडीह, हुटुगदाग और गौराबेरा, थाना रामगढ़, जिला हजारीबाग (बिहार) ग्रामों में 2510 एकड़ (लगभग) या 1016.55 हेक्टेयर भूमि अर्जित की है ;

और सिवई ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति (1) रुपन मांझी (2) बिरसई मांझी (3) सिबन मांझी (4) रामजी मांझी सभी स्वर्गीय अगनू मांझी के पुत्र (5) हेमलाल मांझी (6) तीजराम मांझी (7) महीलाल मांझी सभी चरकू मांझी के पुत्र (8) श्रीमती सुकर मनी पत्नी श्री चरकू मांझी (9) जिबन मांझी पुत्र सोहारो मांझी (10) सोना राम मांझी (11) करमा मांझी दोनों बसिया मांझी के पुत्र ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन, उक्त अर्जन में से 18.71 एकड़ या 7.57 हेक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास दावा किया है ;

और उक्त अर्जन के लिए देय प्रतिकर की रकम, प्रस्थापित प्रतिकर की रकम की पर्याप्तता की बाबत विवाद होने के कारण करार द्वारा नियत न की जा सकी और इस प्रकार प्रस्थापित रकम हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकार की गई है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, रांची होंगे।

[सं० 19/20/78—सी० एल०(1)]

S.O. 1604.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel No. S. O. 3894, dated the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 2510 acres (approximately) or 1016.55 hectares in villages Koihara, Kumbaradara (Kumhardhara), Sewai, Bhuchungdih, Hutugdag and Gourabera, Thana Ramgarh, District Hazaribagh (Bihar) ;

And whereas (1) Rupan Manjhi (2) Birsai Manjhi (3) Siban Manjhi (4) Ramji Manjhi all sons of Late Aghnu Manjhi (5) Hemlal Manjhi (6) Tijram Manjhi (7) Mahilal Manjhi all sons of Charku Manjhi (8) Most Sukar Mani w/o Charku Manjhi (9) Jiban Manjhi s/o Shoharo Manjhi (10) Sona Ram Manjhi (11) Karma Manjhi both sons of Basia Manjhi of village Sewai, the person interested has, under section 13 of the said Act, preferred the competent authority for payment of compensation for an area of 18.71 acres or 7.57 hectares cut of the said acquisition ;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there being

a dispute to the sufficiency of the amount of compensation offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a part-time Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi.

[No. 19(20)78-CL(1)]

का० आ० 1605.—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व खान और ईंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3894 तारीख 22 दिसम्बर, 1962, जो कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन तैयार की गई थी, के अनुसरण में, कोईहारा, कुम्बारधारा (कुम्हारधारा) सिवई, भुचुंगडीह, हुटुगदाग और गौराबेरा, थाना रामगढ़, जिला हजारीबाग (बिहार) ग्रामों में 2510 एकड़ (लगभग) या 1016.55 हेक्टेयर भूमि अर्जित की है ;

और सिवई ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति मलिक मोहम्मद गौस पुत्र मलिक वाली गौस ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन, उक्त अर्जन में से 1.10 एकड़ या 0.445 हेक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास दावा किया है ;

और उक्त अर्जन के लिए देय प्रतिकर की रकम, प्रस्थापित प्रतिकर की रकम की पर्याप्तता की बाबत विवाद होने के कारण करार द्वारा नियत न की जा सकी और इस प्रकार प्रस्थापित रकम हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकार की गई है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, रांची होंगे।

[सं० 19/20/78-सी० एल०(65)]

S.O. 1605.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel No. S.O. 3894, dated the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 2510 acres (approximately) or 1016.55 hectares in villages Koihara, Kumbaradara (Kumhardhara), Sewai, Bhuchungdih, Hutugdag and Gourabera, Thana Ramgarh, District Hazaribagh, (Bihar) ;

And whereas Mullik Mohammad Gause S/o Mullik Valli Gause of village Sewai, the person interested has, under section 13 of the said Act, preferred the competent authority for payment of compensation for an area of 1.10 acres or 0.445 hectares cut of the said acquisition ;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute to the sufficiency of the amount of compensation offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a part-time Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi.

[No. 19(20)78-CL(65)]

का०आ० 1606.—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व खान और ईंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3894 तारीख 22 दिसम्बर, 1962, जो कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन तैयार की गई थी, के अनुसरण में, कोईहारा, कुम्बारधारा (कुम्हारधारा), सिवई, भुचुंगडीह, हुटुगदाग और गौराबेरा, थाना रामगढ़, जिला हजारीबाग (बिहार) ग्रामों में 2510 एकड़ (लगभग) या 1016.55 हेक्टेयर भूमि अर्जित की है ;

और सिवई ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति (1) पाती सिंह (2) बालक सिंह (3) बुधन सिंह सभी अलकाल सिंह के पुत्र (4) श्रीमती बालकानी पत्नी चरकू सिंह (5) सुन्दर सिंह पुत्र गनतप सिंह (6) विदेशी सिंह पुत्र चेतू सिंह (7) जीतलाल सिंह (8) करमा सिंह दोनों चरक सिंह के पुत्र ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन, उक्त अर्जन में से 18.92½ एकड़ या 7.65 हेक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास दावा किया है ;

और उक्त अर्जन के लिए देय प्रतिकर की रकम, प्रस्थापित प्रतिकर की रकम की पर्याप्तता की बाबत विवाद होने के कारण करार द्वारा नियत न की जा सकी और इस प्रकार प्रस्थापित रकम हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकार की गई है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, रांची होंगे।

[सं० 19/20/78-सी०एल०(66)]

S.O. 1606.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel No. S.O. 3894, dated the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 2510 acres (approximately) or 1016.55 hectares in villages Kolhara, Kumbaradara (Kumhardhara), Sewai, Bhuchungdih, Hutugdag and Gourabera, Thana Ramgarh, District Hazaribagh, (Bihar) ;

And whereas (1) Pati Singh, (2) Balak Singh, (3) Budhan Singh all S/o Akal Singh, (4) Mst. Balkahi W/o Charku Singh, (5) Sunder Singh S/o Ganpat Singh, (6) Pideshi Singh S/o Chaitu Singh, (7) Jitlal Singh, (8) Karma Singh both S/o Charku Singh of village Sewai the person interested has, under section 13 of the said Act, preferred the competent authority for payment of compensation for an area of 18.92, ½ acres of 7.65 hectares cut of the said acquisition ;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute to the sufficiency of the amount of compensation offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a part-time Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi.

[No. 19(20)78-CL(66)]

का०आ० 1607.—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व खान और ईंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3894 तारीख 22 दिसम्बर, 1962, जो कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन तैयार की गई थी, के अनुसरण में, कोईहारा, कुम्बारदारा (कुम्हारधारा), सिवई, भुचुंगडीह, हुटुगदाग और गौराबेरा, थाना रामगढ़ जिला हजारीबाग (बिहार) ग्रामों में 2510 एकड़ (लगभग) या 1016.55 हेक्टेयर भूमि अर्जित की है :

और सिवई ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति (1) रूपना मांझी पुत्र सोहन मांझी (2) दासो मांझी (3) राजो मांझी (4) रूपलाल मांझी सभी बाबूआ मांझी के पुत्र (5) बुधना मांझी (6) जगनाथ मांझी दोनों सहना मांझी के पुत्र (7) करमा मांझी (8) महतो मांझी (9) सनीचरवा मांझी पुत्र नैको मांझी (10) भागो मांझी (11) बुधन मांझी दोनों लखी राम मांझी के पुत्र (12) रतिया मांझी (13) धेना मांझी (14) सरजू मांझी पुत्र मगरू मांझी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन, उक्त अर्जन में से 15.70 एकड़ या 6.35 हेक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास दावा किया है ;

और उक्त अर्जन के लिए देय प्रतिकर की रकम, प्रस्थापित प्रतिकर की रकम की पर्याप्तता की बाबत विवाद होने के कारण करार द्वारा नियत न की जा सकी और इस प्रकार प्रस्थापित रकम हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकार की गई है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, राँची होंगे।

[सं० 19/20/78-सी०एल० (67)]

S.O. 1607.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel No. S.O. 3894, dated the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 2510 acres (approximately) or 1016.55 hectares in villages Koihara, Kumbaradara (Kumhardhara), Sewai, Bhuchungdih, Hutugdag and Gourabera, Thana Ramgarh, District Hazaribagh, (Bihar) ;

And whereas (1) Rupna Manjhi S/o Sahan Manjhi, (2) Daso Manjhi, (3) Rujo Manjhi, (4) Ruplal Manjhi all sons of Babua Manjhi (5) Budna Manjhi (6) Jaganath Manjhi both sons of Sahana Majhi, (7) Karma Manjhi, (8) Mahto Manjhi, (9) Sanicharwa Manjhi S/o Naiko Manjhi, (10) Bhago Manjhi, (11) Budhan Manjhi both sons of Lakhi Ram Manjhi, (12) Ratia Manjhi, (13) Dhena Manjhi, (14) Sarju Manjhi S/o Mangru Manjhi of village Sewai, the person interested has, under section 13 of the said Act, preferred the competent authority for payment of compensation for an area of 15.70 acres or 6.35 hectares out of the said acquisition ;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute to the sufficiency of the amount of compensation offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a part-time Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi.

[No. 19(20)78-CL(67)]

का०आ० 1608.—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व खान और ईंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3894 तारीख 22 दिसम्बर, 1962, जो कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन तैयार की गई थी, के अनुसरण में, कोईहारा, कुम्बारडारा (कुम्हारधारा), सिवई, भुचुंगडीह, हुटुगदाग और गौराबेरा, थाना रामगढ़, जिला हजारीबाग (बिहार) ग्रामों में 2510 एकड़ (लगभग) या 1016.55 हेक्टेयर भूमि अर्जित की है;

और सिवई ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति (1) हरदी मांझी (2) चरन मांझी (3) बाबूदास मांझी सभी बबुका मांझी के पुत्र (4) बिसू मांझी पुत्र कार्तिक मांझी (5) श्री मति रौनी पत्नी बिरवा मांझी (6) सोराज मांझी पुत्र भिखा मांझी (7) बुधनी पुत्री शंकर मांझी (8) साधू पुत्री मेहतो मांझी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन, उक्त अर्जन में से 30.15 एकड़ या 12.20 हेक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास दावा किया है ;

और उक्त अर्जन के लिए देय प्रतिकर की रकम, प्रस्थापित प्रतिकर की रकम की पर्याप्तता की बाबत विवाद होने के कारण करार द्वारा नियत न की जा सकी और इस प्रकार प्रस्थापित रकम हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकार की गई है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, राँची होंगे।

[सं० 19/20/78-सी०एल० (72)]

S.O. 1608.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel No. S.O. 3894, dated the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 2510 acres (approximately) or 1016.55 hectares in villages Koihara, Kumbaradara (Kumhardhara), Sewai, Bhuchungdih, Hutugdag and Gourabera, Thana Ramgarh, District Hazaribagh, (Bihar) ;

And whereas (1) Hardi Manjhi, (2) Charan Manjhi, (3) Babudas Manjhi all sons of Babuka Manjhi, (4) Bishu Manjhi S/o Kartik Manjhi, (5) Mst Rauni W/o Birwa Manjhi, (6) Sohrai Manjhi S/o Bhikha Manjhi, (7) Budhni D/o Shankar Manjhi, (8) Sadhu D/o Mahto Manjhi of village Sewai, the person interested has, under section 13 of the said Act, preferred the competent authority for payment of compensation for an area of 30.15 acres or 12.20 hectares out of the said acquisition ;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute to the sufficiency of the amount of compensation offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a part-time Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi.

[No. 19(20)/78-CL. 72]

का०आ० 1609.—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व खान और ईंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3894 तारीख 22 दिसम्बर, 1962 जो कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन तैयार की गई थी, के अनुसरण में, कोईहारा, कुम्बारडारा (कुम्हारधारा), सिवई, भुचुंगडीह, हुटुगदाग और गौराबेरा, थाना, रामगढ़, जिला हजारीबाग, (बिहार) ग्रामों में 2510 एकड़ (लगभग) या 1016.55 हेक्टेयर भूमि अर्जित की है :

और सिवई ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति (1) श्रीमती तनिया पत्नी खातू करमाली (2) मुनिया करमाली (3) दुनिया करमाली (4) कोका करमाली (5) फातून करमाली सभी बैजनाथ करमाली के पुत्र (6) तुनू करमाली पुत्र जयलाल करमाली (7) राम विलास करमाली पुत्र बड़ी करमाली (8) महा करमाली (9) फूनू करमाली दोनों लछू करमाली के पुत्र (10) प्रयाग करमाली (11) बनवारी करमाली (12) नेपाल करमाली (13) बिसन करमाली (14) किसन करमाली पुत्र टेकू करमाली

(15) रनजीत करमाली पुत्र अकलू करमाली (16) बिहारी करमाली पुत्र सीबू करमाली (17) घूजा करमाली पुत्र मनी करमाली (18) हरिहर करमाली पुत्र गाहन करमाली (19) मातीन करमाली पुत्र जानकी करमाली (20) बरजू करमाली और (21) गौरी करमाली पुत्र नेतू करमाली ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन उक्त अर्जन में से 4.48 एकड़ या 1.81 हेक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास दावा किया है ;

और उक्त अर्जन के लिए देय प्रतिकर की रकम, प्रस्थापित प्रतिकर की रकम की पर्याप्तता की बाबत विवाद होने के कारण करार द्वारा नियत न की जा सकी और इस प्रकार प्रस्थापित रकम हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकार की गई है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, रांची होंगे।

[सं० 19/20/78-सी० एल० (73)]

S. O. 1609.—Whereas in pursuance of the notification of *the Government of India in the late Ministry of Mines and* Fuel No. S.O. 3894, dated the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 2510 acres (approximately) or *1016.55 hectares in villages Koihara,* Kumbaradara (Kumhardhara), Sewai, Bhuchungdih, Hutugdag and Gourabera, Thana Ramgarh, District Hazaribagh, (Bihar) ;

And whereas (1) Most. Taniya w/o Khatu Karmali (2) Munia Karmali, (3) Dhunia Karmali, (4) Koka Karmali, (5) Phatun Karmali all sons of Baijnath Karmali, (6) Tulu Karmali son of Jailal Karmali, (7) Ram Bilas Karmali S/o Badri Karmali, (8) Maha Karmali, (9) Phunu Karmali both sons of Lachu Karmali, (10) Prayag Karmali, (11) Banwari Karmali, (12) Nepal Karmali, (13) Bisun Karmali, (14) Kishun Karmali sons of Teku Karmali, (15) Ranjit Karmali son of Aklu Karmali, (16) Bihari Karmali son of Sibu Karmali, (17) Ghuja Karmali S/o Mani Karmali, (18) Harihar Karmali S/o Gahan Karmali, (19) Matin Karmali S/o Janki Karmali (20) Barju Karmali and (21) Gauri Karmali sons of Netu Karmali of village Sewai, the person interested has, under section 13 of the said Act, preferred the competent authority for payment of compensation for an area of 4.48 acres or 1.81 hectares cut of the said acquisition ;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute to the sufficiency of the amount of compensation offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a part-time Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi.

[No. 19(20)78-CL(73)]

का०आ० 1610.—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व खान और ईंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3894 तारीख 22 दिसम्बर, 1962, जो कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन तैयार की गई थी, के अनुसरण में, कोईहारा, कुम्बारदारा (कुम्हारधारा), सिवई, भुचुंडीह, हुटुगदाग और गौराबेरा, थाना रामगढ़, जिला हजारी बाग (बिहार) ग्रामों में 2510 एकड़ (लगभग) या 1016.55 हेक्टेयर भूमि अर्जित की है ;

और सिवई ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति (1) गिरीज मेहतो (2) अन्दू मेहतो दोनों दूलू मेहतो के पुत्र (3) भोन्दू मेहतो पुत्र उदय मेहतो ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन, उक्त अर्जन में से 2.96½ एकड़ या 1.20 हेक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास दावा किया है ;

और उक्त अर्जन के लिए देय प्रतिकर की रकम, प्रस्थापित प्रतिकर की रकम की पर्याप्तता की बाबत विवाद होने के कारण करार द्वारा नियत न की जा सकी और इस प्रकार प्रस्थापित रकम हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकार की गई है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, रांची होंगे।

[सं० 19/20/78-सी०एल० (74)]

***S.O. 1610.**—Whereas in pursuance of the notification of* the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel No. S.O. 3894, dated the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired *the lands measuring 2510 acres* (approximately) or 1016.55 hectares in villages Koihara, Kumbaradara (Kumhardhara), Sewai, Bhuchungdih, Hutugdag and Gourabera, Thana Ramgarh, District Hazaribagh, (Bihar) ;

And whereas (1) Girij Mahto, (2) Andu Mahto both sons of Doolu Mahto, (3) Bhondu Mahto S/o Udaya Mahto of village Sewai, the person interested has, under section 13 of the said Act, preferred the competent authority for payment of compensation for an area of 2.96½ acres or 1.20 hectares cut of the said acquisition ;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute to the sufficiency of the amount of compensation offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by *sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas* (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a part-time Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi.

[No. 19(20)78-CL(74)]

का०आ० 1611.—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व खान और ईंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3894 तारीख 22 दिसम्बर, 1962, जो कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन तैयार की गई थी, के अनुसरण में, कोईहारा, कुम्बारदारा (कुम्हारधारा), सिवई, भुचडीह, हुटुगदाग और गौराबेरा, थाना रामगढ़, जिला हजारीबाग (बिहार) ग्रामों में 2510 एकड़ (लगभग) या 1016.55 हेक्टेयर भूमि अर्जित की है ;

और सिवई ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति (1) बैज नाथ मेहतो (2) दिबनाथ मेहतो दोनों करीनाथ मेहतो के पुत्र (3) बलेश्वर मेहतो पुत्र छेदी मेहतो (4) श्रीमती मिलापो पत्नी छेदी मेहतो (5) हरकू मेहतो (6) चरकू मेहतो दोनों फूलू मेहता के पुत्र (7) बालक चन्द मेहतो (8) सुगरीब मेहतो दोनों फगी मेहतो के पुत्र (9) श्रीमती पाली पत्नी फगीर मेहतो (10) थानू मेहतो पुत्र बाडू मेहतो (11) बंसी मेहतो पुत्र नागो मेहतो (12) विश्वनाथ मेहतो (13) राजनाथ मेहतो सभी मुकुन्द मेहतो के पुत्र ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन, उक्त अर्जन में से 8.30½ एकड़ या 3.36 हेक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास दावा किया है ;

और उक्त अर्जन के लिए देय प्रतिकर की रकम, प्रस्थापित प्रतिकर की रकम की पर्याप्ता की बाबत विवाद होने के कारण करार द्वारा नियत न की जा सकी और इस प्रकार प्रस्थापित रकम हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकार की गई है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, रांची होंगे।

[सं० 19/20/78 सी० एल० 75]

S. O. 1611.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel No. S. O. 3894, dated the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 2510 acres (approximately) or 1016.55 hectares in villages Koihara, Kumbaradara (Kumhardhara), Sewai, Bhuchungdih, Hutugdag and Gourabera, Thana Ramgarh, District Hazaribagh, (Bihar) ;

And whereas (1) Baijnath Mahto, (2) Dibnath Mahto both sons of Karinath Mahto, (3) Baleshwar Mahto S/o Chedi Mahto, (4) Most Milapo W/o Chedi Mahto, (5) Harkhu Mahto, (6) Charku Mahto both sons of Phulu Mahto, (7) Balak Chand Mahto, (8) Sugrib Mahto both sons of Fakir Mahto, (9) Most Galo W/o Fakir Mahto, (10) Thanu Mahto S/o Dadu Mahto, (11) Bansi Mahto S/o Nago Mahto, (12) Bishwanath Mahto, (13) Rajnath Mahto all sons of Mukund Mahto, of village Sewai, the person interested has, under section 13 of the said Act, preferred the competent authority for payment of compensation for an area of 8.30-3/4 acres or 3.36 hectares cut of the said acquisition ;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute to the sufficiency of the amount of compensation offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a part-time Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi.

[No. 19(20)78-CL(75)]

का०आ० 1612.—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व खान और ईंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3894 तारीख 22 दिसम्बर, 1962, जो कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन तैयार की गई थी, के अनुसरण में, कोईहारा, कुम्बारदारा (कुम्हारधारा), सिवई, भुचुंगडीह, हुटुगदग और गौराबेरा, थाना रामगढ़, जिला हजारीबाग (बिहार) ग्रामों में 2510 एकड़ (लगभग) या 1016.55 हेक्टेयर भूमि अर्जित की है;

और सिवई ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति (1) भातोरा मांझी (2) रूपलाल मांझी बाबू लाल मांझी के पुत्र (3) श्रीमती जीतनी पत्नी चम्पा मांझी (4) भिकमंग मांझी (5) पूरन मांझी पुत्र चम्पा मांझी (6) धूरू मांझी पुत्र होपना मांझी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन, उक्त अर्जन में से 11.15 एकड़ या 4.51 हेक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास दावा किया है;

और उक्त अर्जन के लिए देय प्रतिकर की रकम, प्रस्थापित प्रतिकर की रकम की पर्याप्तता की बाबत विवाद होने के कारण करार द्वारा नियतन की जा सकी और इस प्रकार प्रस्थापित रकम हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकार की गई है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, रांची होंगे।

[सं० 19/20/78-सी०एल० 71]

S. O. 1612.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel No. S.O. 3894, dated the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 2510 acres (approximately) or 1016.55 hectares in villages Koihara, Kumbaradara (Kumhardhara), Sewai, Bhuchungdih, Hutugdag and Gourabera, Thana Ramgarh, District Hazaribagh, (Bihar) ;

And whereas (1) Bhathora Manjhi, (2) Ruplal Manjhi sons of Babu Lal Manjhi, (3) Most Jitni W/o Champa Manjhi, (4) Bhikhmang Manjhi, (5) Puran Manjhi son of Champa Manjhi, (6) Dhuru Manjhi son of Hopna Manjhi of village Sewai, the person interested has, under Section 13 of the said Act, preferred the competent authority for payment of compensation for an area of 11.15 acres or 4.51 hectares cut of the said acquisition ;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute to the sufficiency of the amount of compensation offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a part-time Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi.

[No. 19(20)78-CL(71)]

का०आ० 1613.—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व खान और ईंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3894 तारीख 22 दिसम्बर 1962, जो कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन तैयार की गई थी, के अनुसरण में, कोईहारा, कुम्बारदारा (कुम्हारधारा), सिवाई भुचुंगडीह, हुटुगदग और गौराबेरा, थाना रामगढ़, जिला हजारीबाग (बिहार) ग्रामों में 2510 एकड़ (लगभग) या 1016.55 हेक्टेयर भूमि अर्जित की है;

और सिवई ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति (1) बसई मांझी (2) बाबूलाल मांझी दोनों बुद्ध मांझी के पुत्र (3) धेनू पुत्री छोटू मांझी (4) महतो मांझी पुत्र सोमरा मांझी (5) भिकमंग मांझी (6) पूरन मांझी दोनों चम्पा मांझी के पुत्र (7) धूरु मांझी के पुत्र होपना मांझी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन, उक्त अर्जन में से 48.60 एकड़ या 19.66 हेक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास दावा किया है;

और उक्त अर्जन के लिए देय प्रतिकर की रकम, प्रस्थापित प्रतिकर की रकम की पर्याप्तता की बाबत विवाद होने के कारण करार द्वारा नियतन की जा सकी और इस प्रकार प्रस्थापित रकम हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकार की गई है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण गठित करती हैं जिसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, रांची होंगे।

[सं० 19/20/78-सी०एल० (70)]

S. O. 1613.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel No. S.O. 3894, dated the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 2510 acres (approximately) or 1016.55 hectares in villages Koihara, Kumbaradara (Kumhardhara), Sewai, Bhuchungdih, Hutugdag and Gourabera, Thana Ramgarh, District Hazaribagh, (Bihar) ;

And whereas (1) Desai Manjhi, (2) Babulal Manjhi both sons of Dudu Manjhi, (3) Dheni D/o Chotu Manjhi, (4) Mahto Manjhi S/o Somra Manjhi, (5) Bhikhmang Manjhi, (6) Purna Manjhi both S/o Champa Manjhi, (7) Dhuru Manjhji S/o Hopna Manjhi of village Sewai, the person interested has, under section 13 of the said Act, preferred the competent authority for payment of compensation for an area of 48.60 acres of 19.66 hectares out of the said acquisition ;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute to the sufficiency of the amount of compensation offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a part-time Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi.

[No. 19(20)78-CL(70)]

का० आ० 1614.—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व खान और ईंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3894 तारीख 22 दिसम्बर, 1962 जो कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन तैयार की गई थी, के अनुसरण में, कोईहारा, कुम्बारदारा (कुम्हारधारा), सिवई, भुचुंगडीह, हुटुगवाग और गौराबेरा, थाना रामगढ़, जिला हजारीबाग (बिहार) ग्रामों में 2510 एकड़ (लगभग) या 1016.55 हेक्टेयर भूमि अर्जित की है;

और सिवई ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति (1) जयलाल सोनार (2) लालदेव सोनार (3) बालेश्वर सोनार (4) राज किशनो सोनार सभी पोखन सोनार के पुत्र ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन, उक्त अर्जन में से 0.59 एकड़ या 0.24 हेक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास दावा किया है;

और उक्त अर्जन के लिए देय प्रतिकर की रकम, प्रस्थापित प्रतिकर की रकम की पर्याप्तता की बाबत विवाद होने के कारण करार द्वारा नियत न की जा सकी और इस प्रकार प्रस्थापित रकम हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकार की गई है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, रांची होंगे।

[सं० 19/20/78-सी०एल० 69]

S. O. 1614.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel No. S.O. 3894, dated the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 2510 acres (approximately) or 1016.55 hectares in villages Koihara, Kumbaradara (Kumhardhara), Sewai, Bhuchungdih, Hutugdag and Gourabera, Thana Ramgarh, District Hazaribagh, (Bihar) ;

And whereas (1) Jailal Sonar, (2) Laldeo Sonar, (3) Baleshwar Sonar, (4) Raj Kishno Sonar all sons of Pokhan Sonar of village Sewai, the person interested has, under section 13 of the said Act, preferred the competent authority for payment of compensation for an area of 0.59 acres or 0.24 hectares out of the said acquisition ;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute to the sufficiency of the amount of compensation offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a part-time Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi.

[No. 19(20)78-CL(69)]

का० आ० 1615.—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व खान और ईंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3894 तारीख 22 दिसम्बर, 1962, जो कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन तैयार की गई थी के अनुसरण में, कोईहारा, कुम्बारदारा (कुम्हारधारा), सिवई, भुचुंगडीह, हुटुगवाग और गौराबेरा, थाना रामगढ़, जिला हजारीबाग (बिहार) ग्रामों में 2510 एकड़ (लगभग) या 1016.55 हेक्टेयर भूमि अर्जित की है;

और सिवई ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति (1) दहा राम मांझी (2) काशी नाथ मांझी दोनों साधु मांझी के पुत्र (3) बिगन मांझी पुत्र गुमदा मांझी (4) किशन मांझी पुत्र बुधू मांझी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन, उक्त अर्जन में से 6.36 एकड़ या 2.57 हेक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास दावा किया है;

और उक्त अर्जन के लिए देय प्रतिकर की रकम, प्रस्थापित प्रतिकर की रकम की पर्याप्तता की बाबत विवाद होने के कारण करार द्वारा नियत न की जा सकी और इस प्रकार प्रस्थापित रकम हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकार की गई है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, रांची होंगे।

[सं० 19/20/78-सी०एल० 68]

S.O. 1615.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel No. S.O. 3894, dated the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 2510 acres (approximately) or 1016.55 hectares in villages Koihara, Kumbaradara (Kumhardhara), Sewai, Bhuchungdih, Hutugdag and Gourabera, Thana Ramgarh, District Hazaribagh, (Bihar) ;

And whereas (1) Daharam Manjhi, (2) Kasinath Manjhi both sons of Sadhu Manjhi, (3) Bigan Manjhi S/o Gumda Manjhi, (4) Kisun Manjhi S/o Budhu Manjhi of village Sewai, the person interested has, under section 13 of the said Act, preferred the competent authority for payment of compensation for an area of 6.36 acres or 2.57 hectares out of the said acquisition ;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute to the sufficiency of the amount of compensation offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a part-time Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi.

[No. 19(20)78-CL(68)]

का० आ० 1616.—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व खान और ईंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3894 तारीख 22 दिसम्बर, 1962, जो कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन तैयार की गई थी, के अनुसरण में, कोईहारा, कुम्बारदारा (कुम्हारधारा), सिवई, भुचुंगडीह, हुटुगदाग और गौराबेरा, थाना रामगढ़, जिला हजारीबाग (बिहार) ग्रामों में 2510 एकड़ (लगभग) या 1016.55 हेक्टेयर भूमि अर्जित की है;

और सिवई ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति श्रीमती बीबी खैरुनिशा पत्नी शेख नूर हसन ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन, उक्त अर्जन में से 1.19-1/4 एकड़ या 0.48 हेक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास दावा किया है;

और उक्त अर्जन के लिए देय प्रतिकर की रकम, प्रस्थापित प्रतिकर की रकम की पर्याप्तता की बाबत विवाद होने के कारण करार द्वारा नियतन की जा सकी और इस प्रकार प्रस्थापित रकम हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकार की गई है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, रांची होंगे।

[सं० 19/20/78-सी०एल० (78)]

S. O. 1616.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel No. S.O. 3894, dated the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 2510 acres (approximately) or 1016.55 hectares in villages Koihara, Kumbaradara (Kumhardhara), Sewai, Bhuchungdih, Hutugdag and Gourabera, Thana Ramgarh, District Hazaribagh, (Bihar) ;

And whereas Most Bidi Khairu Nisha wife of Sheikh Noor Hussan of village Sewai, the person interested has, under section 13 of the said Act, preferred the competent authority for payment of compensation for an area of 1.19, 1/4 acres or 0.48 hectares out of the said acquisition ;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute to the sufficiency of the amount of compensation offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a part-time Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi.

[No. 19(20)78-CL(78)]

का० आ० 1617.—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व खान और ईंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3894 तारीख 22 दिसम्बर 1962, जो कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन तैयार की गई थी, के अनुसरण में, कोईहारा, कुम्बारदारा (कुम्हारधारा), सिवई, भुचुंगडीह, हुटुगदाग और गौराबेरा, थाना रामगढ़, जिला हजारीबाग (बिहार) ग्रामों में 2510 एकड़ (लगभग) या 1016.55 हेक्टेयर भूमि अर्जित की है;

और सिवई ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति जयलाल साहू पुत्र पोखन साहू ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन, उक्त अर्जन में से 0.65 एकड़ या 0.26 हेक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास दावा किया है;

और उक्त अर्जन के लिए देय प्रतिकर की रकम, प्रस्थापित प्रतिकर की रकम की पर्याप्तता की बाबत विवाद होने के कारण करार द्वारा नियतन की जा सकी और इस प्रकार प्रस्थापित रकम हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकार की गई है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, रांची होंगे।

[सं० 19/20/78-सी०एल० (59)]

S. O. 1617.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel No. S.O. 3894, dated the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 2510 acres (approximately) or 1016.55 hectares in villages Koihara, Kumbaradara (Kumhardhara), Sewai, Bhuchungdih, Hutugdag and Gourabera, Thana Ramgarh, District Hazaribagh, (Bihar) ;

And whereas Jailal Sahu son of Pokhan Sahu of village Sewai, the person interested has, under section 13 of the said Act, preferred the competent authority for payment of compensation for an area of 0.65 acres or 0.28 hectares out of the said acquisition ;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute to the sufficiency of the amount of compensation offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a part-time Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi.

[No. 19(20)78-CL(59)]

का० आ० 1618.—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व खान और ईंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3894 तारीख 22 दिसम्बर 1962, जो कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन तैयार की गई थी के अनुसरण में, कोईहारा, कुम्बारदारा (कुम्हारधारा), सिवई, भुचुंगडीह, हुटुगदाग और गौराबेरा, थाना रामगढ़ जिला हजारी बाग (बिहार) ग्रामों में 2510 एकड़ (लगभग) या 1016.55 हैक्टेयर भूमि अर्जित की है।

सिवई ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति मोह० शौकत अली पुत्र मोह० शरीफ ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन उक्त अर्जन में से 0.28 1/4 एकड़ या 0.11 हेक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास दावा किया है ;

और उक्त अर्जन के लिए देय प्रतिकर की रकम, प्रस्थापित प्रतिकर की रकम की पर्याप्तता की बाबत विवाद होने के कारण करार द्वारा नियतन की जा सकी और इस प्रकार प्रस्थापित रकम हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकार की गई है ;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, रांची होंगे।

[सं० 19/20/78-सी० एल० (58)]

S. O. 1618.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel No. S.O. 3894, dated the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 2510 acres (approximately) or 1016.55 hectares in villages Koihara, Kumbaradara (Kumhardhara), Sewai, Bhuchungdih,

Hutugdag and Gourabera, Thana Ramgarh, District Hazaribagh, (Bihar) ;

And whereas Md. Shaukat Ali son of Md. Sarif of village Sewai, the person interested has, under section 13 of the said Act, preferred the competent authority for payment of compensation for an area of 0.28½ acres or 0.11 hectares cut of the said acquisition ;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute to the sufficiency of the amount of compensation offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest ;

Now. therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a part-time Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi.

[No. 19(20)78-CL(58)]

का० आ० 1619.—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूत पूर्व खान और ईंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3894 तारीख 22 दिसम्बर, 1962, जो कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन तैयार की की गई थी, के अनुसरण में, कोईहारा, कुम्बारदारा (कुम्हारधारा), सिवई, भुचुंगडीह, हुटुगदग और गौराबेरा, थाना रामगढ़ जिला हजारी बाग (बिहार) ग्रामों में 2510 एकड़ (लगभग) या 1016 55 हैक्टेयर भूमि अर्जित की है ;

और सिवई ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति :

(1) नन्द लाल महतो पुत्र कंचन महतो

(2) देसई महतो पुत्र इन्द्रा महतो

ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन, उक्त अर्जन में से 1.24 एकड़ या 0.50 हैक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकर के संदाय के लिए समक्ष प्राधिकारी के पास दावा किया है ;

और उक्त अर्जन के लिए देय प्रतिकर की रकम, प्रस्थापित प्रतिकर की रकम की पर्याप्तता की बाबत विवाद होने के कारण करार द्वारा नियतन की जा सकी और इस प्रकार प्रस्थापित रकम हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकार की गई है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, रांची होंगे।

[सं० 19/20/78-सी० एल० (57)]

S. O. 1619.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel No. S.O. 3894, dated the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 2510 acres (approximately) or 1016.55 hectares in villages Koihara, Kumbaradara (Kumhardhara), Sewai, Bhuchungdih, Hutugdag and Gourabera, Thana Ramgarh, District Hazaribagh, (Bihar) ;

And whereas (1) Nand Lal Mahto S/o Kanchan Mahto, (2) Desai Mahto S/o Indra Mahto of village Sewai, the person interested has, under section 13 of the said Act, preferred the competent authority for payment of compensation for an area of 1.24 acres or 0.50 hectares cut of the said acquisition ;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute to the sufficiency of the amount of compensation offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a part-time Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi.

[No. 19(20)78-CL(57)]

का० आ० 1620.—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व खान और ईंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3894 तारीख 22 दिसम्बर, 1962 जो कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन तैयार की गई थी, के अनुसरण में, कोईहारा, कुम्बारदारा (कुम्हारधारा), सिवई, भुचुंगडीह, हुटुगदग और गौराबेरा, थाना रामगढ़, जिला हजारीबाग (बिहार) ग्रामों में 25.10 एकड़ (लगभग) या 1016.55 हैक्टेयर भूमि अर्जित की है ;

और कोईहारा ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति (1) रामधन महतो पुत्र दादू महतो (2) हरि दास महतो (3) झारी महतो (4) रोगा महतो सभी घासी महतो के पुत्र (5) हेमलाल महतो (6) टानिक महतो दोनों मोहन महतो के पुत्र (7) सखी चरन महतो पुत्र महाराज महतो (8) कातिक महतो पुत्र अकलू महतो (9) जयपाल महतो पुत्र भिकमंग महतो (10) पचमी महतन पत्नी भिकमंग महतो ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन, उक्त अर्जन में से 13.81 एकड़ या 5.59 हैक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास दावा किया है ;

और उक्त अर्जन के लिए देय प्रतिकर की रकम, प्रस्थापित प्रतिकर की रकम की पर्याप्तता की बाबत विवाद होने के कारण करार द्वारा नियतन की जा सकी और इस प्रकार प्रस्थापित रकम हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकार की गई है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, रांची होंगे।

[सं० 19/20/78-सी० एल० (16)]

S. O. 1620.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel No. S.O. 3894, dated the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 2510 acres (approximately) or 1016.55 hectares in villages Koihara, Kumbaradara (Kumhardhara), Sewai, Bhuchungdih, Hutugdag and Gourabera, Thana Ramgarh, District Hazaribagh, (Bihar) ;

And whereas (1) Ramdhan Mahto S/o Dadu Mahto (2) Hari Das Mahto, (3) Jhari Mahto, (4) Roga Mahto all sons of Ghasi Mahto, (5) Hemlal Mahto, (6) Tanik Mahto both sons of Mohan Mahto, (7) Sakhi Charan Mahto S/o Maharaj Mahto S/o Bhikhmang Mahto, (8) Kartik Mahto S/o Aklu Mahto, (9) Jaipal Mahto S/o Bhikhmang Mahto, (10) Panchami Mahtain W/o Bhikhmang Mahto of village Koihara. the person interested has, under section 13 of the said Act, preferred the competent auhority for payment of compensation for an area of 13.81 acres or 5.59 hectares cut of the said acquisition ;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute to the sufficiency of the amount of compensation offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a part-time Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi

[No. 19(20)78-CL(16)]

का० आ० 1621.—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व खान और ईंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3894 तारीख 22 दिसम्बर, 1962, जो कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन तैयार की गई थी, के अनुसरण में, कोईहारा, कुम्बारदारा (कुम्हारधारा), सिवई, भुचुगडीह, हुटुगदग और गौराबेरा, थाना रामगढ़, जिला हजारीबाग (बिहार) ग्रामों में 25.10 एकड़ (लगभग) या 1016.55 हेक्टेयर भूमि अर्जित की है,

और सिवई ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति (1) सोमर महतो जेतू महतो (3) मिथू महतो (4) मिकू महतो सभी सोधन महतो के पुत्र (5) चन्दर महतो पुत्र नीमा महतो (6) घूजा महतो पुत्र बनिज महतो ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन, उक्त अर्जन में से 12.74 एकड़ या 5.15 ½ हेक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकार के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास दावा किया है।

और उक्त अर्जन के लिए देय प्रतिकर की रकम, प्रस्थापित प्रतिकर की रकम की पर्याप्तता की बाबत विवाद होने के कारण करार द्वारा नियतन की जा सकी और इस प्रकार प्रस्थापित रकम हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकार की गई है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री चन्दर शेखर सिंह, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, रांची होंगे।

[सं० 19/20/78-सी० एल० (56)]

S. O. 1621.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel No. S.O. 3894, dated the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 2510 acres (approximately) or 1016.55 hectares in villages Koihara, Kumbaradara (Kumhardhara), Sewai, Bhuchungdih, Hutugdag and Gourabera, Thana Ramgarh, District Hazaribagh (Bihar);

And whereas (1) Somar Mahto, (2) Jethu Mahto, (3) Mithu Mahto, (4) Mitku Mahato all sons of Sodhan Mahto, (5) Chandar Mahto S/o Neema Mahto, (6) Ghuja Mahto S/o Banij Mahto of village Sewai, the person interested, has under section 13 of the said Act, preferred the competent authority for payment of compensation for an area of 12.74 acres or 5.15-1/2 hectares cut of the said acquisition;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition cou'd not be fixed by agreement there being a dispute to the sufficiency of the amount of compensation offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a part-time Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi.

[No. 19(20)78-CL(56)]

का० आ० 1622.—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व खान ईंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3894 तारीख 22 दिसम्बर, 1962, जो कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन तैयार की गई थी, के अनुसरण में, कोईहारा, कुम्बारदारा (कुम्हारधारा), सिवई, भुचुगडीह, हुटुगदग और गौराबेरा, थाना रामगढ़, जिला हजारी बाग (बिहार) ग्रामों में 2510 एकड़ (लगभग) या 1016.55 हेक्टेयर भूमि अर्जित की है ;

और सिवई ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति (1) धनपत मुण्डा (2) लालधन मुण्डा (3) जीबराम मुण्डा सभी रामदास मुण्डा के पुत्र (4) शिबनन्दन मंकी (5) महेन्द्र मंकी दोनों दीनू मुण्डा के पुत्र ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन, उक्त अर्जन में से 6.12 एकड़ या 2.48 हेक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास दावा किया है ;

और उक्त अर्जन के लिए देय प्रतिकर की रकम, प्रस्थापित प्रतिकर की रकम की पर्याप्तता की बाबत विवाद होने के कारण करार द्वारा नियत न की जा सकी और इस प्रकार प्रस्थापित रकम हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकार की गई है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, रांची होंगे।

[सं० 19/20/78-सी० एल० (55)]

S. O. 1622.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel No. S.O. 3894, dated the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 2510 acres (approximately) or 1016.55 hectares in villages Koihara, Kumbaradara (Kumhardhara), Sewai, Bhuchungdih, Hutugdag and Gourabera, Thana Ramgarh, District Hazaribagh (Bihar);

And whereas (1) Dhanpat Munda, (2) Laldhan Munda, (3) Jib Ram Munda all sons of Ramdas Munda, (4) Sibnandan Manki, (5) Mahendra Manki both sons of Dinu Munda of village Sewai, the person interested has, under section 13 of the said Act, preferred the competent authority for payment of compensation for an area of 6.12 acres or 2.48 hectares cut of the said acquisition;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute to the sufficiency of the amount of compensation offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest;

Now, therefore, in exercise of the powers conterred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a part-time Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi.

[No. 19(20)78-CL(55)]

का० आ० 1623.—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व खान और ईंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3894 तारीख 22 दिसम्बर, 1962, जो कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन तैयार की गई थी, के अनुसरण में, कोईहारा, कुम्बारदारा (कुम्हारधारा), सिवई, भुचुगडीह, हुटुगदग और गौराबेरा, थाना रामगढ़, जिला हजारी बाग (बिहार) ग्रामों में 2510 एकड़ (लगभग) या 1016.55 हेक्टेयर भूमि अर्जित की है,

और सिवई ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति भगवान दास साहू पुत्र मोती साहू ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन, उक्त अर्जन में से 0.72 एकड़ या 0.29 हेक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास दावा किया है ;

और उक्त अर्जन के लिए देय प्रतिकर की रकम, प्रस्थापित प्रतिकर की रकम की पर्याप्तता की बाबत विवाद होने के कारण करार द्वारा नियत न की जा सकी और इस प्रकार प्रस्थापित रकम हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकार की गई है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, रांची होंगे।

[सं० 19/20/78-सी० एल० (54)]

S. O. 1623.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel No. S.O. 3894, dated the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 2510 acres (approximately) or 1016.55 hectares in villages Koihara, Kumbaradara (Kumhardhara), Sewai, Bhuchungdih, Hutugdag and Gourabera, Thana Ramgarh, District Hazaribagh (Bihar);

And whereas Bhagwan Das Sahu son of Moti Sahu of village Sewai, the person interested has, under section 13 of the said Act, preferred the competent authority for payment of compensation for an area of 0.72 acres or 0.29 hectares out of the said acquisition ;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition cou'd not be fixed by agreement there being a dispute to the sufficiency of the amount of compensation offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a part-time Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi.

[No. 19(20)78-CL(54)]

का० आ० 1624.—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व खान और ईंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3894 तारीख 22 दिसम्बर, 1962, जो कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन तैयार की गई थी, के अनुभरण में, कोईहारा, कुम्बारदारा (कुम्हारधारा), सिवई, भुचुंगडीह, हुटुगवाग और गौराबेरा, थाना रामगढ़, जिला हजारीबाग (बिहार) ग्रामों में 2510 एकड़ (लगभग) या 1016.55 हेक्टेयर भूमि अर्जित की है ;

और सिवई ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति (1) पारस नाथ चौधरी पुत्र भोलानाथ चौधरी (2) गोबरधन चौधरी पुत्र हीरा लाल चौधरी (3) धुमुकनाथ चौधरी (4) ईश्वर चन्द चौधरी दोनों मंगालाल चौधरी के पुत्र (5) नगेंद्र नाथ चौधरी (6) सुरेन्द्र नाथ चौधरी दोनों गौरी शंकर चौधरी के पुत्र (7) लील रतन चौधरी (8) चरण चौधरी दोनों भोगीनाथ चौधरी के पुत्र (9) जुगल चौधरी (10) नन्कू नाथ चौधरी (11) रघुनाथ चौधरी सभी लोकनाथ चौधरी के पुत्र (12) भद्रानाथ चौधरी पुत्र काशीनाथ चौधरी (13) धनेश्वर चौधरी (14) नीलकंठ चौधरी (15) श्रीकांत चौधरी (16) सुधाकर चौधरी (17) विसनू चरन चौधरी (18) लुकेश्वर चौधरी सभी स्वर्गीय गिरजा नाथ चौधरी के पुत्र (19) श्रीमती बसन्ती देवी पत्नी गिरजा नाथ चौधरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन, उक्त अर्जन में से 4.94 1/6 एकड़ या 2.00 हेक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास दावा किया है ;

और उक्त अर्जन के लिए देय प्रतिकर की रकम, प्रस्थापित प्रतिकर की रकम की पर्याप्तता की बाबत विवाद होने के कारण करार द्वारा नियत न की जा सकी और इस प्रकार प्रस्थापित रकम हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकार की गई है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, रांची होंगे।

[सं० 19/20/78-सी० एल० (53)]

S. O. 1624.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel No. S.O. 3894, dated the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 2510 acres (approximately) or 1016.55 hectares in villages Koihara, Kumbaradara (Kumhardhara), Sewai, Bhuchungdih, Hutugdag and Gourabera, Thana Ramgarh, District Hazaribagh (Bihar);

And whereas (1) Parasnath Chowdhari S/o Bholanath Chowdhari, (2) Gobardhan Chowdhary S/o Hira Lal Chowdhary, (3) Thumuk Nath Chowdhary, (4) Ishwar Chand Chowdhary S/o Munga Lal Chowdhary, (5) Nagendra Nath Chowdhary, (6) Surendra Nath Chowdhary both S/o Gaurishankar Chawdhary, (7) Lil Ratan Chawdhary, (8) Charan Chawdhary both S/o Bhoginath Chawdhary, (9) Jugal Chawdhary, (10) Nanku Nath Chawdhary, (11) Raghunath Chawdhary all sons of Lok Nath Chawdhary, (12) Bhadra Nath Chowdhary S/o Kashi Nath Chowdhary, (13) Dhaneshwar Chawdhary, (14) Nil Kanth Chawdhary, (15) Shree Kant Chawdhary, (16) Sudhakar Chawdhary, (17) Bishnu Charan Chawdhary (18) Lukheshwar Chawdhary all S/o Late Girija Nath Chawdhary, (19) Most. Basanti Devi W/o Girija Nath Chawdhary of village Sewai, the person interested has, under section 13 of the said Act, preferred the competent authority for payment of compensation for an area of 4.94-1/6 acres or 2.00 hectares out of the said acquisition :

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition cou'd not be fixed by agreement there being a dispute to the sufficiency of the amount of compensation offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a part-time Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi.

[No. 19(20)78-CL(53)]

का० आ० 1625.—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व खान और ईंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3894 तारीख 22 दिसम्बर, 1962, जो कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन तैयार की गई थी, के अनुसरण में, कोईहारा, कुम्बारदारा (कुम्हारधारा), सिवई, भुचुंगडीह, हुटुगदाग और गौराबेरा, थाना रामगढ़, जिला हजारीबाग (बिहार) ग्रामों में 2510 एकड़ (लगभग) या 1016.55 हेक्टेयर भूमि अर्जित की है ; और सिवई ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति श्रीमती सत्यभामा कुमारी पत्नी जयनन्दन चौधरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के के अधीन, उक्त अर्जन में से 0.18½ एकड़ या 0.20 हेक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास दावा किया है

और उक्त अर्जन के लिए देय प्रतिकर की रकम, प्रस्थापित प्रतिकर की रकम की पर्याप्तता की बाबत विवाद होने के कारण करार द्वारा नियत न की जा सकी और इस प्रकार प्रस्थापित रकम हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकार की गई है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, रांची होंगे।

[सं० 19/20/78-सी० एल० (77)]

S. O. 1625.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel No. S.O. 3894, dated the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 2510 acres (approximately) or 1016.55 hectares in villages Koihara, Kumbaradara (Kumhardhara), Sewai, Bhuchungdih, Hutugdag and Gourabera, Thana Ramgarh, District Hazaribagh (Bihar);

And whereas Most. Satya Bhama Kumari W/o Jai Nandan Choudhury of village Sewai, the person interested has, under section 13 of the said Act, preferred the competent authority for payment of compensation for an area of 0.48-1/2 acres or 0.20 hectares out of the said acquisition :

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute to the sufficiency of the amount of compensation offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a part-time Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi.

[No. 19(20)78-CL(771)]

का० आ० 1626.—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व खान और ईंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3894 तारीख 22 दिसम्बर, 1962, जो कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन तैयार की गई थी, के अनुसरण में, कोईहारा, कुम्बारडारा (कुम्हारधारा), सिवई भुचुंगडीह, हुटुगदाग और गौराबेरा, थाना रामगढ़ जिला हजारीबाग (बिहार) ग्रामों में 2510 एकड़ (लगभग) या 1016.55 हेक्टेयर भूमि अर्जित की है ; और सिवई ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति श्रीमती बीबी बफातून निशा पत्नी शेख मकसूद ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन, उक्त अर्जन में से 1.50 एकड़ या 0.61 हेक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकर के संबंध के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास दावा किया है ;

और उक्त अर्जन के लिए देय प्रतिकर की रकम, प्रस्थापित प्रतिकर की रकम की पर्याप्तता की बाबत विवाद होने के कारण करार द्वारा नियतन की जा सकी और इस प्रकार प्रस्थापित रकम हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकार की गई है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, रांची होंगे ।

[सं० 19/20/78-सी० एल० (76)]

S. O. 1626.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel No. S.O. 3894, dated the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 2510 acres (approximately) or 1016.55 hectares in villages Koihara, Kumbaradara (Kumhardhara), Sewai, Bhuchungdih, Hutugdag and Gourabera, Thana Ramgarh, District Hazaribagh (Bihar);

And whereas Most. Bibi Bafatun Nisha W/o Sk. Maqusood of village Sewai, the person interested has, under section 13 of the said Act, preferred the competent authority for payment of compensation for an area of 1.50 acres or 0.61 hectares cut of the said acquisition ;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute to the sufficiency of the amount of compensation offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a part-time Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi.

[No. 19(20)78-CL(76)]

का० आ० 1627.—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व खान और ईंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3894 तारीख 22 दिसम्बर, 1962, जो कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन तैयार की गई थी, के अनुसरण में, कोईहारा, कुम्बारडारा (कुम्हारधारा), सिवई, भुचुंगडीह, हुटुगदाग और गौराबेरा, थाना रामगढ़, जिला हजारीबाग (बिहार) ग्रामों में 2510 एकड़ (लगभग) या 1016.55 हेक्टेयर भूमि अर्जित की है ;

और कोईहारा ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति (1) देवकी नन्दन चौधरी (2) ब्रज मोहन चौधरी (3) सूरज भूषण चौधरी सभी धर्मनाथ चौधरी के पुत्र (4) बालकृष्ण चौधरी पुत्र घनश्याम चौधरी (5) दिल नाथ चौधरी पुत्र जीवाधन चौधरी (6) भुवनेश्वर चौधरी (7) रामेश्वर चौधरी (8) हीरा लाल चौधरी सभी जयनन्दन चौधरी के पुत्र (9) गनेश चौधरी (10) नन्द लाल चौधरी दोनों जगेश्वर चौधरी के पुत्र (11) श्रीमती जमना पत्नी जगेश्वर चौधरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन, उक्त अर्जन में से 1.10 एकड़ या 0.44½ हेक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकर के संबंध के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास दावा किया है ;

और उक्त अर्जन के लिए देय प्रतिकर की रकम, प्रस्थापित प्रतिकर की रकम की पर्याप्तता की बाबत विवाद होने के कारण करार द्वारा नियतन की जा सकी और इस प्रकार प्रस्थापित रकम हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकार की गई है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, रांची होंगे ।

[सं० 19/20/78-सी० एल० (86)]

S. O. 1627.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel No. S.O. 3894, dated the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 2510 acres (approximately) or 1016.55 hectares in villages Koihara, Kumbaradara (Kumhardhara), Sewai, Bhuchungdih, Hutugdag and Gourabera, Thana Ramgarh, District Hazaribagh (Bihar);

And whereas (1) Deoki Nandan Choudhury, (2) Braj Mohan Choudhury, (3) Suraj Bhushan Choudhury all sons of Dharam Nath Choudhury, (4) Balkrishna Choudhury S/o Ghan Shyam Choudhury, (5) Dil Nath Choudhury S/o Jibadhan Choudhury, (6) Bhuneshwar Choudhury, (7) Rameshwar Choudhury, (8) Hiralal Choudhury all sons of Jainandan Choudhury, (9) Ganesh Choudhury, (10) Nand Lal Choudhury both sons of Jageshwar Choudhary, (11) Most. Jamuna W/o Jageshwar Choudhury of village Koihara, the person interested has, under section 13 of the said Act, preferred the competent authority for payment of compensation for an area of 1.10 acres or 0.44-1/2 hectares cut of the said acquisition;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute to the sufficiency of the amount of compensation offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a part-time Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi.

[No. 19(20)78-CL(86)]

का० आ० 1628.—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व खान और ईंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3894 तारीख 22 दिसम्बर, 1962, जो कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन तैयार की गई थी, के अनुसरण में, कोईहारा, कुम्बारदारा (कुम्हारधारा), सिवई, भुचुंगडीह, हुटुगदाग और गौराबेरा, थाना रामगढ़, जिला हजारीबाग (बिहार) ग्रामों में 2510 एकड़ (लगभग) या 1016.55 हेक्टेयर भूमि अर्जित की है ;

और कोईहारा ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति (1) श्रीमती फूगू पत्नी घासी मांझी (2) लाहू मांझी (3) मंगा मांझी दोनों सुकू मांगी के पुत्र ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन, उक्त अर्जन में से 1.37 एकड़ या 0.55 हेक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास दावा किया है ;

और उक्त अर्जन के लिए देय प्रतिकर की रकम प्रस्थापित प्रतिकर की रकम की पर्याप्तता की बाबत विवाद होने के कारण करार द्वारा नियत न की जा सकी और इस प्रकार प्रस्थापित रकम हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकार की गई है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, रांची होंगे।

[सं० 19/20/78-सी० एल० (20)

S.O. 1628.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel No. S.O. 3894, dated the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 2510 acres (approximately) or 1016.55 hectares in villages Koihara, Kumbaradara (Kumhardhara), Sewai, Bhuchungdih, Hutugdag and Gourabera, Thana Ramgarh, District Hazaribagh (Bihar);

And whereas (1) Most. Phugu W/o Ghase Manjhi, (2) Lahu Manjhi and (3) Manga Manjhi both sons of Suku Manjhi of village Koihara, the person interested has, under section 13 of the said Act, preferred the competent authority for payment of compensation for an area of 1.37 acres or 0.55 hectares out of the said acquisition;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute to the sufficiency of the amount of compensation offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a part-time Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi.

[No. 19(20)78-CL(20)]

का० आ० 1629.—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व खान और ईंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3894 तारीख 22 दिसम्बर, 1962, जो कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन तैयार की गई थी, के अनुसरण में, कोईहारा, कुम्बारदारा (कुम्हारधारा), सिवई, भुचुंगडीह, हुटुगदाग और गौराबेरा, थाना रामगढ़, जिला हजारीबाग (बिहार) ग्रामों में 2510 एकड़ (लगभग) या 1016.55 हेक्टेयर भूमि अर्जित की है ;

और भुचुंगडीह ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति (1) लील रतन चौधरी (2) चरन चौधरी दोनों भोगी नाथ चौधरी के पुत्र (3) जुगल किशोर चौधरी (4) ननकू चौधरी (5) रघुनाथ चौधरी सभी लोक नाथ चौधरी के पुत्र (6) गोबरधन चौधरी (7) परसनाथ चौधरी दोनों हरीलाल चौधरी के पुत्र (8) थूमूकनाथ चौधरी (9) ईश्वरधन चौधरी दोनों मंगालाल चौधरी के पुत्र (10) नगेन्द्र नाथ चौधरी (11) सुरेन्द्र नाथ चौधरी दोनों गोरी नाथ चौधरी के पुत्र (12) भद्रानाथ चौधरी पुत्र काशीनाथ चौधरी (13) दंडेश्वर चौधरी (14) नील कंठ चौधरी (15) श्रीकांत चौधरी (16) सुधाकर चौधरी (17) विशनू चरन चौधरी (18) लुकेश्वर चौधरी सभी गिरजा नाथ चौधरी के पुत्र (19) श्रीमती बसन्ती देवी पत्नी गिरजा नाथ चौधरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन, उक्त अर्जन में से 1.06 एकड़ 0.43 हेक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास दावा किया है ;

और उक्त अर्जन के लिए देय प्रतिकर की रकम, प्रस्थापित प्रतिकर की रकम की पर्याप्तता की बाबत विवाद होने के कारण करार द्वारा नियत न की जा सकी और इस प्रकार प्रस्थापित रकम हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकार की गई है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र, (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, रांची होंगे।

[सं० 19/20/78-सी० एल० (31)]

S.O. 1629.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel No. S.O. 3894, dated the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 2510 acres (approximately) or 1016.55 hectares in villages Koihara, Kumbaradara (Kumhardhara), Sewai, Bhuchungdih, Hutugdag and Gourabera, Thana Ramgarh, District Hazaribagh (Bihar);

And whereas (1) Lil Ratan Choudhury, (2) Charan Choudhury both sons of Bhoginath Choudhury, (3) Jugal Kishore Choudhury, (4) Nanku Choudhury, (5) Raghunath Choudhury S/o Loknath Choudhury, (6) Gobardhan Choudhury, (7) Parasnath Choudhury both sons of Harilal Choudhury, (8) Thumak Nath Choudhury, (9) Ishwardhan Choudhury S/o Mangalal Choudhury, (10) Nagendra Nath Choudhury, (11) Surendra Nath Choudhury S/o Gauri Nath Choudhury, (12) Bhadra Nath Choudhury S/o Kashinath Choudhury, (13) Dhandeshwar Choudhury, (14) Lilkanath Choudhury, (15) Srikanth Choudhury, (16) Sudhakar Choudhury, (17) Bishnu Charan Choudhury, (18) Lukeshwar Choudhury all sons of Girja Nath Choudhury, (19) Most Basanti Devi W/o Girja Nath Choudhury of village Bhuchungdih, the person interested has, under section 13 of the said Act, preferred the competent authority for payment of compensation for an area of 1.06 acres or 0.43 hectares out of the said acquisition;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute to the sufficiency of the amount of compensation offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a part-time Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi.

[No. 19(20)78-CL(31)]

का०आ० 1630.—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व खान और ईंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० 3894 तारीख 22 दिसम्बर, 1962, जो कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन तैयार की गई थी, के अनुसरण में, कोईहारा, कुम्बारडारा/(कुम्हारधारा) सिवई, भुचुंगडीह, हुटुगडाग और गौराबेरा, थाना रामगढ़, जिला हजारी बाग (बिहार) ग्रामों में 2510 एकड़ (लगभग) या 1016.55 हेक्टेयर भूमि अर्जित की है ; और भुचुंगडीह ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति (1) पांचू मेहतो (2) खेदान मेहतो दोनों सुखदेव मेहतो के पुत्र ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन, उक्त अर्जन में से 0.30 एकड़ या 0.12 हेक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास दावा किया है ; और उक्त अर्जन के लिए देय प्रतिकर की रकम, प्रस्थापित प्रतिकर की रकम की पर्याप्तता की बाबत विवाद होने के कारण करार द्वारा नियतन की जा सकी और इस प्रकार प्रस्थापित रकम हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकार की गई है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, रांची होंगे।

[सं० 19/20/78-सी० एल०(28)]

S. O. 1630.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel No. S.O. 3894, dated the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 2510 acres (approximately) or 1016.55 hectares in villages Koihara, Kumbaradara (Kumbardhara), Sewai, Bhuchungdih, Hutugdag and Gourabera, Thana Ramgarh, District Hazaribagh (Bihar);

And whereas (1) Panchu Mahto, (2) Khedan Mahto both sons of Sukhdeo Mahto of village Bhuchungdih, the person interested has, under section 13 of the said Act, preferred the competent authority for payment of compensation for an area of 0.30 acres or 0.12 hectares out of the said acquisition ;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute to the sufficiency of the amount of compensation offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a part-time Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi.

[No. 19(20)78-CL(28)]

का० आ० 1631.—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व खान और ईंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3894 तारीख 22 दिसम्बर, 1962, जो कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन तैयार की गई थी, के अनुसरण में, कोईहारा, कुम्बारडारा (कुम्हारधारा), सिवई, भुचुंगडीह, हुटुगडाग और गौराबेरा, थाना रामगढ़, जिला हजारीबाग (बिहार) ग्रामों में 2510 एकड़ (लगभग) या 1016.55 हेक्टेयर भूमि अर्जित की है ;

और भुचुंगडीह ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति (1) कालीदास मांझी (2) चैतू मांझी दोनों दुबराज मांझी के पुत्र (3) बीरबल मांझी (4) सिबन मांझी दोनों राम मांझी के पुत्र (5) सिकारी मांझी (6) मान सिंह मांझी दोनों छोटे मांझी के पुत्र (7) मोगोला मांझी पुत्र मातालू मांझी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन, उक्त अर्जन में से 9.69½ एकड़ या 3.92 हेक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास दावा किया है ;

और उक्त अर्जन के लिए देय प्रतिकर की रकम, प्रस्थापित प्रतिकर की रकम की पर्याप्तता की बाबत विवाद होने के कारण करार द्वारा नियतन की जा सकी और इस प्रकार प्रस्थापित रकम हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकार की गई है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, रांची होंगे।

[सं० 19/20/78-सी० एल०(30)]

S. O. 1631.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel No. S.O. 3894, dated the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 2510 acres (approximately) or 1016.55 hectares in villages Koihara, Kumbaradara (Kumbardhara), Sewai, Bhuchungdih, Hutugdag and Gourabera, Thana Ramgarh, District Hazaribagh (Bihar);

And whereas (1) Kalidas Manjhi, (2) Chaitu Manjhi both sons of Dubraj Manjhi, (3) Birbal Manjhi, (4) Siban Manjhi both sons of Ram Manjhi, (5) Sikari Manjhi, (6) Man Singh Manjhi both sons of Chhotu Manjhi, (7) Mog'a Manjhi S/o Matalo Manjhi of village Bhuchungdih, the person interested has, under section 13 of the said Act, preferred the competent authority for payment of compensation for an area of 9.69-1/2 acres or 3.92 hectares out of the said acquisition ;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute to the sufficiency of the amount of compensation offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a part-time Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi.

[No. 19(20)78-CL(30)]

का० आ० 1632.—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व खान और ईंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3894 तारीख 22 दिसम्बर, 1962, जो कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन तैयार की गई थी, के अनुसरण में, कोईहारा, कुम्बारडारा (कुम्हार धारा), सिवई, भुचुंगडीह, हुटुगडाग और गौराबेरा, थाना रामगढ़, जिला हजारीबाग (बिहार) ग्रामों में 2510 एकड़ (लगभग) या 1016.55 हेक्टेयर भूमि अर्जित की है ;

और भुचुंगडीह ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति (1) चरकू करमाली (2) हरधन करमाली (3) हेमदा करमाली सभी दयाल करमाली के पुत्र (4) बिरसा करमाली (5) लाल साय करमाली (6) बाबूराम करमाली (7) केवल करमाली (8) सुबोध करमाली सभी नानू करमाली के पुत्र (9) गोबरा करमाली (10) कारु करमाली (11) बोन्दा करमाली सभी सुनु करमाली के पुत्र (12) जगदीश करमाली पुत्र बनसीद करमाली (13) श्रीमती तनिया देवी पत्नी खेतू करमाली (14) मुनिया करमाली (15) धूनिया करमाली (16) कोका करमाली (17) फातूरी करमाली सभी बैजनाथ करमाली के पुत्र (18) तालू करमाली पुत्र जगलाल करमाली (19) अमरलाल करमाली (20) बालकू करमाली सभी गिरधारी करमाली के पुत्र (21) रामविलास करमाली पुत्र बाद्री करमाली (22) महा करमाली (23) पुनु करमाली सभी लछू करमाली के पुत्र (24) प्रयाग करमाली (25) बनवारी करमाली (26) नेपाल करमाली (27) विशनू करमाली (28) किशन करमाली सभी टेकू करमाली के पुत्र (29) रनजीत करमाली पुत्र अकलू करमाली (30) मोटन

करमाली पुत्र जानकी करमाली (31) हरिहर करमाली पुत्र गहन करमाली (32) धूजा करमाली (33) पचूआ करमाली सभी मनी करमाली के पुत्र (34) बरजू करमाली (35) गौरी करमाली सभी नेतू करमाली के पुत्र (36) बिहारी करमाली पुत्र मीबू करमाली के पुत्र ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन, उक्त अर्जन में से 4.30-1/2 एकड़ या 1.74 हेक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास दावा किया है ;

और उक्त अर्जन के लिए देय प्रतिकर की रकम, प्रस्थापित प्रतिकर की रकम की पर्याप्तता की बाबत विवाद होने के कारण करार द्वारा नियतन की जा सकी, और इस प्रकार प्रस्थापित रकम हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकार की गई है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, रांची होंगे ।

[सं० 19/20/78-सी० एल०(27)]

S. O. 1632.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel No. S.O. 3894, dated the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 2510 acres (approximately) or 1016.55 hectares in villages Koihara, Kumbaradara (Kumhardhara), Sewai, Bhuchungdih, Hutugdag and Gourabera, Thana Ramgarh, District Hazaribagh (Bihar);

And whereas (1) Charku Karmali, (2) Haradhan Karmali, (3) Hemda Karmali all sons of Dayal Karmali, (4) Birsa Karmali, (5) Lal Sai Karmali, (6) Baburam Karmali, (7) Kebal Karmali, (8) Subodh Karmali S/o Nanu Karmali, (9) Gobra Karmali, (10) Karu Karmali, (11) Bonda Karmali S/o Sunu Karmali, (12) Jagdish Karmali S/o Bansia Karmali, (13) Most Tania Devi W/o Khaitu Karmali, (14) Muniya Karmali, (15) Dhuniya Karmali, (16) Koka Karmali, (17) Phaturi Karmali S/o Baijnath Karmali, (18) Tulu Karmali S/o Jaglal Karmali, (19) Amaral Karmali, (20) Balku Karmali S/o Girdhari Karmali, (21) Ram Bilas Karmali S/o Badri Karmali, (22) Maha Karmali, (23) Phunu Karmali S/o Lachu Karmali, (24) Prayad Karmali, (25) Banwari Karmali, (26) Neptal Karmali, (27) Bishnu Karmali, (28) Kishun Karmali S/o Teku Karmali, (29) Ranjit Karmali S/o Aklu Karmali, (30) Motan Karmali S/o Janki Karmali, (31) Harihar Karmali S/o Gahan Karmali, (32) Ghuja Karmali, (33) Pachua Karmali S/o Manhi Karmali, (34) Barju Karmali, (35) Gauri Karmali S/o Netu Karmali, (36) Bihari Karmali S/o Sibu Karmali of village Bhuchungdih, the person interested has, under section 13 of the said Act, preferred the competent authority for payment of compensation for an area of 4.30-1/2 acres or 1.74 hectares cut of the said acquisition;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute to the sufficiency of the amount of compensation offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a part-time Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi.

[No. 19(20)78-CL(27)]

का० आ० 1633.— केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व खान और ईंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3894, तारीख 22 दिसम्बर, 1962, जो कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन तैयार की गई थी, के अनुसरण में, कोईहारा, कुम्बारडारा (कुम्हारधारा), सिवाई, भुचुंगडीह, हुटुगडाग और गौराबेरा, थाना रामगढ़, जिला हजारीबाग (बिहार) ग्रामों में 2510 एकड़ (लगभग) या 1016.55 हेक्टेयर भूमि अर्जित की है ;

और भुचुंगडीह ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति (1) करीम बक्स मियां (2) ईदू मियां दोनों मल्ली मियां के पुत्र (3) सेख चरका मियां पुत्र गोन्दाल मियां (4) हलीफन पुत्री साहबन मियां ने उक्त अधिनियम की की धारा 13 के अधीन, उक्त अर्जन में से 1.48 एकड़ या 0.60 हेक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास दावा किया है ;

और उक्त अर्जन के लिए देय प्रतिकर की रकम, प्रस्थापित प्रतिकर की रकम की पर्याप्ति की बाबत विवाद होने के कारण करार द्वारा नियतन की जा सकी और इस प्रकार प्रस्थापित रकम हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकार की गई है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश रांची होंगे ।

[सं० 19/20/78-सी०एल०(4)]

S. O. 1633.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel No. S.O. 3894, dated the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 2510 acres (approximately) or 1016.55 hectares in villages Koihara, Kumbaradara (Kumhardhara), Sewai, Bhuchungdih, Hutugdag and Gourabera, Thana Ramgarh, District Hazaribagh (Bihar);

And whereas (1) Karim Bux Mian, (2) Edu Mian both sons of Malli Mian, (3) Sk. Charka Mian S/o Gondal Mian, (4) Halifun D/o Sahban Mian of village Bhuchungdih, the person interested has, under section 13 of the said Act, preferred the competent authority for payment of compensation for an area of 1.48 acres or 0.60 hectares cut of the said acquisition;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute to the sufficiency of the amount of compensation offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a part-time Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi.

[No. 19(20)78-CL(4)]

का० आ० 1634.—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व खान और ईंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3894, तारीख 22 दिसम्बर, 1962, जो कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन तैयार की गई थी, के अनुसरण में, कोईहारा, कुम्बारडारा (कुम्हारधारा), सिवाई, भुचुंगडीह, हुटुगडाग और गौराबेरा, थाना रामगढ़, जिला हजारीबाग (बिहार) ग्रामों में 2510 एकड़ (लगभग) या 1016.55 हेक्टेयर भूमि अर्जित की है ;

और भुचुंगडीह ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति (1) श्रीमती झुमरी पत्नी जेतू मांझी (2) दाहू मांझी (3) हेमलाल मांझी दोनों जेतू मांझी के पुत्र (4) श्रीमती धीनी पत्नी बिसू मांझी (5) प्रबाती (6) सुमारी (7) सुखमनी सभी बिसू मांझी की पुत्रियां ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन, उक्त अर्जन में से 1.37-1/2 एकड़ या 0.56 हेक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास दावा किया है ;

और उक्त अर्जन के लिए देय प्रतिकर की रकम, प्रस्थापित प्रतिकर की रकम की पर्याप्ति की बाबत विवाद होने के कारण करार द्वारा नियतन की जा सकी और इस प्रकार प्रस्थापित रकम हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकार की गई है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण गठित करती है जिसमे श्री चन्द्र शेखर सिंह, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, रांची होंगे।

[सं० 19/20/78-सी० एल० (29)]

S. O. 1634.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel No. S.O. 3894, dated the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 2510 acres (approximately) or 1016.55 hectares in villages Koihara, Kumbaradara (Kumhardhara), Sewai, Bhuchungdih, Hutugdag and Gourabera, Thana Ramgarh, District Hazaribagh (Bihar);

And whereas Most Jhumri W/o Jetu Manjhi, (2) Dahu Manjhi, (3) Hemlal Manjhi both sons of Jatu Manjhi, (4) Most Dhini W/o Bishu Manjhi, (5) Parabati, (6) Sumari, (7) Sukhmani all daughters of Bishu Manjhi of village Bhuchungdih, the person interested has, under section 13 of the said Act, preferred the competent authority for payment of compensation for an area of 1.37-1/2 acres or 0.56 hectares cut of the said acquisition;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute to the sufficiency of the amount of compensation offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a part-time Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi.

[No. 19(20)78-CL(29)]

का० आ० 1635.—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व खान और ईंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3894, तारीख 22 दिसम्बर, 1962, जो कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन तैयार की गई थी, के अनुसरण में, कोईहारा, कुम्बारदारा (कुम्हारधारा), सिवई, भुचुंगडीह, हुटुगदाग और गौराबेरा, थाना रामगढ़, जिला हजारीबाग (बिहार) ग्रामों में 2510 एकड़ (लगभग) या 1016.55 हेक्टेयर भूमि अर्जित की है;

और भुचुंगडीह ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति (1) असरफ अली (2) कमरुद्दीन दोनों अरसाद अली के पुत्र ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन, उक्त अर्जन में से 10.17 एकड़ या 4.115 हेक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास दावा किया है;

और उक्त अर्जन के लिए देय प्रतिकर की रकम, प्रस्थापित प्रतिकर की रकम की पर्याप्तता की बाबत विवाद होने के कारण करार द्वारा नियतन की जा सकी और इस प्रकार प्रस्थापित रकम हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकार की गई है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, रांची होंगे।

[सं० 19/20/78-सी० एल० (6)]

S. O. 1635.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel No. S.O. 3894, dated the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 2510 acres (approximately) or 1016.55 hectares in villages Koihara, Kumbaradara (Kumhardhara), Sewai, Bhuchungdih, Hutugdag and Gourabera, Thana Ramgarh, District Hazaribagh (Bihar);

And whereas (1) Asharaf Ali, (2) Kamaruddin both sons of Arsad Ali of village Bhuchungdih, the person interested has, under section 13 of the said Act, preferred the competent authority for payment of compensation for an area of 10.17 acres or 4.115 hectares cut of the said acquisition;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute to the sufficiency of the amount of compensation offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a part-time Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi.

[No. 19(20)78-CL(6)]

का० आ० 1636.—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व खान और ईंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3894, तारीख 22 दिसम्बर, 1962, जो कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन तैयार की गई थी के अनुसरण में, कोईहारा, कुम्बारदारा (कुम्हारधारा), सिवई, भुचुंगडीह, हुटुगदाग और गौराबेरा, थाना रामगढ़, जिला हजारीबाग (बिहार) ग्रामों में 2510 एकड़ (लगभग) या 1016.55 हेक्टेयर भूमि अर्जित की है;

और भुचुंगडीह ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति (1) कुंजू केवट पुत्र रासो केवट (2) रेवत केवट पुत्र सोनवा केवट (3) श्रीमती कोले पत्नी बालकू केवट ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन, उक्त अर्जन में से 2.96-3/4 या 1.20 हेक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास दावा किया है;

और उक्त अर्जन के लिए देय प्रतिकर की रकम, प्रस्थापित प्रतिकर की रकम की पर्याप्तता की बाबत विवाद होने के कारण करार द्वारा नियतन की जा सकी और इस प्रकार प्रस्थापित रकम हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकार की गई है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, रांची होंगे।

[सं० 19/20/78-सी०एल०(5)]

S. O. 1636.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel No. S.O. 3894, dated the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 2510 acres (approximately) or 1016.55 hectares in villages Koihara, Kumbaradara (Kumhardhara), Sewai, Bhuchungdih, Hutugdag and Gourabera, Thana Ramgarh, District Hazaribagh (Bihar);

And whereas (1) Kunju Kewat S/o Raso Kewat, (2) Rewat Kewat S/o Sonwa Kewat, (3) Most Kolay W/o Balku Kewat of village Bhuchungdih, the person interested has, under section 13 of the said Act, preferred the competent authority for payment of compensation for an area of 2.96-3/4 acres or 1.20 hectares cut of the said acquisition;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute to the sufficiency of the amount of compensation offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a part-time Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi.

[No. 19(20)78-CL(5)]

का० आ० 1637.—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व खान और ईंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3894 तारीख 22 दिसम्बर, 1962, जो कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन तैयार की गई थी के अनुसरण में, कोईहारा, कुम्बारदारा (कुम्हारधारा), सिवई, भचुंगडीह हुटुगदाग और गौराबेरा, थाना रामगढ़, जिला हजारीबाग (बिहार) ग्राम में 2510 एकड़ (लगभग) या 1016.55 हेक्टेयर भूमि अर्जित की है

और भचुंगडीह ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति (1) किशनु दास साहू (2) नरायण साहू दोनों हरिनाथ साहू के पुत्र (3) श्रीमती सुशीला कुमारी पत्नी हरिनाथ साहू ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन, उक्त अर्जन में से 0.20 एकड़ या 0.08 हेक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास दावा किया है;

और उक्त अर्जन के लिए देय प्रतिकर की रकम, प्रस्थापित प्रतिकर की रकम की पर्याप्तता की बाबत विवाद होने के कारण करार द्वारा नियतन की जा सकी और इस प्रकार प्रस्थापित रकम हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकार की गई है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, रांची होंगे।

[सं० 19/20/78-सी०एल० (2)]

S. O. 1637.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel No. S.O. 3894, dated the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 2510 acres (approximately) or 1016.55 hectares in villages Koihara, Kumbaradara (Kumhardhara), Sewai, Bhuchungdih, Hutugdag and Gourabera, Thana Ramgarh, District Hazaribagh (Bihar);

And whereas (1) Kishnu Das Sahu, (2) Narain Sahu both sons of Harinath Sahu, (3) Most Sushila Kumari W/o Harinath Sahu of village Bhuchungdih, the person interested has, under section 13 of the said Act, preferred the competent authority for payment of compensation for an area of 0.20 acres or 0.08 hectares cut of the said acquisition;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute to the sufficiency of the amount of compensation offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a part time Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi.

[No. 19(20)78-CL(2)]

का० आ० 1638.—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व खान और ईंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3894 तारीख 22 दिसम्बर, 1962, जो कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन तैयार की गई थी के अनुसरण में कोईहारा, कुम्बारदारा (कुम्हारधारा), सिवई, भुचुंगडीह हुटुगदाग और गौराबेरा, थाना रामगढ़, जिला हजारीबाग (बिहार) ग्रामों में 2510 एकड़ (लगभग) या 1016.55 हेक्टेयर भूमि अर्जित की है;

और भुचुंगडीह ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति जोधन महतो पुत्र बुधु महतो उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन, उक्त अर्जन में से 0.52 एकड़ या 0.21 हेक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास दावा किया है,

और उक्त अर्जन के लिए देय प्रतिकर की रकम, प्रस्थापित प्रतिकर की रकम की पर्याप्तता की बाबत विवाद होने के कारण करार द्वारा नियतन की जा सकी और इस प्रकार प्रस्थापित रकम हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकार की गई है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, रांची होंगे।

[सं० 19/20/78-सी०एल० (49)]

S. O. 1638.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel No. S.O. 3894, dated the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 2510 acres (approximately) or 1016.55 hectares in villages Koihara, Kumbaradara (Kumhardhara), Sewai, Bhuchungdih, Hutugdag and Gourabera, Thana Ramgarh, District Hazaribagh (Bihar);

And whereas Jodhan Mahto son of Budhu Mahto of village Bhuchungdih, the person interested has, under section 13 of the said Act, preferred the competent authority for payment of compensation for an area of 0.52 acres or 0.21 hectares cut of the said acquisition;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute to the sufficiency of the amount of compensation offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a part-time Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi

[No. 19(20)78-CL(49)]

का० आ० 1639.—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व खान और ईंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3894 तारीख 22 दिसम्बर 1962, जो कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन तैयार की गई थी, के अनुसरण में, कोईहारा कुम्बारदारा (कुम्हारधारा), सिवई, भुचुंगडीह हुटुगदाग और गौराबेरा, थाना रामगढ़, जिला हजारीबाग (बिहार) ग्रामों में 2510 एकड़ (लगभग) या 1016.55 हेक्टेयर भूमि अर्जित की है;

और सिवई ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति (1) रमई मांझी पुत्र चौपा मांझी (2) बाबू लाल मांझी पुत्र बुद्धू मांझी (3) सोनाराम मांझी पुत्र लफरा मांझी (4) दाहाराम मांझी पुत्र सोहराई मांझी (5) श्रीमती सानामनी पत्नी अगनू मांझी (6) बीरा और पुतु दोनों पुत्री रूपना मांझी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन, उक्त अर्जन में से 2.11 एकड़ या 0.85 हेक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास दावा किया है;

और उक्त अर्जन के लिए देय प्रतिकर की रकम, प्रस्थापित प्रतिकर की रकम की पर्याप्तता की बाबत विवाद होने के कारण करार द्वारा नियतन की जा सकी और इस प्रकार प्रस्थापित रकम हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकार की गई है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, रांची होंगे।

[सं० 19/20/78-सी०एल० (62)]

S. O. 1639.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel No. S.O. 3894, dated the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 2510 acres (approximately) or 1016.55 hectares in villages Koihara, Kumbaradara (Kumbardhara), Sewai, Bhuchungdih, Hutugdag and Gourabera, Thana Ramgarh, District Hazaribagh (Bihar);

And whereas (1) Dasai Manjhi S/o Chopa Manjhi, (2) Babulal Manjhi S/o Budhu Manjhi, (3) Sona Ram Manjhi S/o Lafra Manjhi, (4) Daharam Manjhi S/o Sohrai Manjhi, (5) Most Sitamani W/o Agnu Manjhi, (6) Bira and Pundu both D/o Rupna Manjhi of village Sewai, the person interested has, under section 13 of the said Act, preferred the competent authority for payment of compensation for an area of 2.11 acres or 0.85 hectares cut of the said acquisition;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition cou'd not be fixed by agreement there being a dispute to the sufficiency of the amount of compensation offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a part-time Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi.

[No. 19(20)78-CL(62)]

का० आ० 1640.—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व खान और ईंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3894 तारीख 22 दिसम्बर, 1962, जो कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन तैयार की गई थी, के अनुसरण में, कोईहारा, कुम्बारदारा (कुम्हारधारा), सिवई, भुचुंगडीह हुटुगदाग और गौराबेरा, थाना रामगढ़, जिला हजारीबाग (बिहार) ग्रामों में 2510 एकड़ (लगभग) या 1016.55 हेक्टेयर भूमि अर्जित की है;

और सिवई ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति (1) ओदार मांझी (2) सहेदराम मांझी (3) चोपा मांझी सब महादेव मांझी के पुत्र (4) गुरुजी मांझी (5) पूरण मांझी (6) मोहन मांझी सब रूपन मांझी के पुत्र (7) श्रीमती अदरी पत्नी रूपन मांझी (8) लोंगा मांझी (9) सोहराई मांझी दोनों सुखराम मांझी के पुत्र (10) बाबू लाल मांझी (11) लुथारु मांझी (12) मंगा मांझी सब छोटू मांझी के पुत्र ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन, उक्त अर्जन में से 0.16 एकड़ या 0.06½ हेक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास दावा किया है;

और उक्त अर्जन के लिए देय प्रतिकर की रकम, प्रस्थापित प्रतिकर की रकम की पर्याप्तता की बाबत विवाद होने के कारण करार द्वारा नियतन की जा सकी और इस प्रकार प्रस्थापित रकम हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकार की गई है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, रांची होंगे

[सं० 19/20/78-सी०एल०(61)ii

S. O. 1640.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel No. S.O. 3894, dated the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 2510 acres (approximately) or 1016.55 hectares in villages Koihara, Kumbaradara (Kumhardhara), Sewai, Bhuchungdih, Hutugdag and Gourabera, Thana Ramgarh, District Hazaribagh (Bihar);

And whereas (1) Ohdar Manjhi, (2) Sahedram Manjhi, (3) Chopa Manjhi all S/o Mahadeo Manjhi, (4) Guruji Manjhi, (5) Puran Manjhi, (6) Mohan Manjhi all S/o Rupan Manjhi, (7) Most Adro W/o Rupan Manjhi, (8) Longa Manjhi, (9) Sohrai Manjhi both S/o Sukhram Manjhi, (10) Babu Lal Manjhi, (11) Lutharu Manjhi, (12) Manga Manjhi all S/o Ghoto Manjhi of village Sewai, the person interested has, under section 13 of the said Act, preferred the competent authority for payment of compensation for an area of 0.16 acress or 0 06½ hectares out of the said acquisition;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute to the sufficiency of the amount of compensation offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a part-time Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi.

[No. 19(20)78-CL(11)]

का० आ० 1641.—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व खान और ईंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3894 तारीख 22 दिसम्बर, 1962, जो कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन तैयार की गई थी, के अनुसरण में, कोईहारा, कुम्बारदारा (कुम्हारधारा), सिवई, भुचुंगडीह हुटुगदाग और गौराबेरा थाना रामगढ़, जिला हजारीबाग (बिहार) ग्रामों में 2510 एकड़ (लगभग) या 1016.55 हेक्टेयर भूमि अर्जित की है;

और सिवई ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति (1) श्रीमती फुगु पत्नी घांसी मांझी (2) लादू मांझी (3) मंगा मांझी दोनों सुकू मांझी के पुत्र (4) रातो पुत्री घांसी मांझी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन, उक्त अर्जन में से 11.83 एकड़ या 4.79 हेक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास दावा किया है;

और उक्त अर्जन के लिए देय प्रतिकर की रकम, प्रस्थापित प्रतिकर की रकम की पर्याप्तता की बाबत विवाद होने के कारण करार द्वारा नियतन की जा सकी और इस प्रकार प्रस्थापित रकम हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकार की गई है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, रांची होंगे।

[सं० 19/20/78-सी०एल० (61)]

S. O. 1641.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel No. S.O. 3894, dated the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 2510 acres (approximately) or 1016.55 hectares in villages Koihara, Kumbaradara (Kumhardhara), Sewai, Bhuchungdih, Hutugdag and Gourabera, Thana Ramgarh, District Hazaribagh (Bihar);

And whereas (1) Most Phugu W/o Ghansi Manjhi, (2) Latoo Manjhi, (3) Manga Manjhi both sons of Suku Manjhi, (4) Rato D/o Ghansi Manjhi, of village Sewai, the person interested has, under section 13 of the said Act, preferred the competent authority for payment of compensation for an area of 11.83 acres or 4.79 hectares cut of the said acquisition;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute to the sufficiency of the amount of compensation offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a part-time Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi.

[No. 19(20)78-CL(67)]

का० आ० 1642.—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व खान और ईंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3894 तारीख 22 दिसम्बर, 1962, जो कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन तैयार की गई थी, के अनुसरण में, कोईहारा, कुम्बारदारा (कुम्हारधारा), सिवई, भुचुंगडीह, हुटुगदग और गौराबेरा, थाना रामगढ़, जिला हजारीबाग (बिहार) ग्रामों में 2510 एकड़ (लगभग) या 1016.55 हेक्टेयर भूमि अर्जित की है ;

और कोईहारा ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति (1) गजेन्द्र नाथ मंकी (2) पुसा मंकी (3) चैता मंकी (4) सहजू मंकी (5) बिसेश्वर मंकी सभी दयाल पाहन के पुत्र (6) गुलिया पाहन (7) निबारन पाहन दोनों गनपत पाहन के पुत्र (8) गहना पाहन (9) बिरवा पाहन दोनों बालेश्वर पाहन के पुत्र (10) श्रीमती सादमी पत्नी तुलसी पाहन (11) मितू पाहन (12) सितू पाहन दोनों सुखी पाहन के पुत्र (13) लोकनाथ पाहन पुत्र लालधन पाहन (14) मोगवा पाहन (15) मोती पाहन दोनों लालधू पाहन के पुत्र (16) मितू पाहन (17) बिरवाई पाहन दोनों उदय पाहन के पुत्र ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन, उक्त अर्जन में से 0.51 एकड़ या 0.20 हेक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास दावा किया है ;

और उक्त अर्जन के लिए देय प्रतिकर की रकम, प्रस्थापित प्रतिकर की रकम की पर्याप्तता की बाबत विवाद होने के कारण करार द्वारा नियत न की जा सकी और इस प्रकार प्रस्थापित रकम हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकार की गई है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, रांची होंगे ।

[(सं० 19/20/78-सी० एल०(19)]

S. O. 1642.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel No. S.O. 3894, dated the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 2510 acres (approximately) or 1016.55 hectares in villages Koihara, Kumbaradara (Kumhardhara), Sewai, Bhuchungdih, Hutugdag and Gourabera, Thana Ramgarh, District Hazaribagh (Bihar) ;

And whereas (1) Gajendra Nath Manki (2) Pusa Manki (3) Chaita Manki (4) Sahju Manki (5) Bisheshwar Manki all sons of Dayal Pahan (6) Gulia Pahan (7) Nibaran Pahan both S/o Ganpat Pahan (8) Gahna Pahan (9) Birwa Pahan both S/o Baleshwar Pahan (10) Most Sadmi W/o Tulsi Pahan (11) Mithu Pahan (12) Sithu Pahan both sons of Sukhi Pahan (13) Loknath Pahan S/o. Laldhan Pahan (14) Mogwa Pahan (15) Moti Pahan both sons of Salku Pahan (16) Mithu Pahan (17) Birwai Pahan both S/o Uday Pahan of village Koihara, the person interested has, under section 13 of the said Act, preferred the competent authority for payment of compensation for an area of 0.51 acres or 0.2 hectares out of the said acquisition ;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute to the sufficiency of the amount of compensation offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a part-time Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi.

[No. 19(20)78-CL(19)]

का० आ० 1643.—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व खान और ईंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3894 तारीख 22 दिसम्बर 1962, जो कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन तैयार की गई थी, के अनुसरण में, कोईहारा, कुम्बारदारा (कुम्हारधारा), सिवई, भुचुंगडीह, हुटुगदग और गौराबेरा, थाना रामगढ़, जिला हजारीबाग (बिहार) ग्रामों में 2510 एकड़ (लगभग) या 1016.55 हेक्टेयर भूमि अर्जित की है ;

और कोईहारा ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति (1) मौह० अली पुत्र गुलाम गौस (2) इकबाल हुसैन पुत्र स्वर्गीय रमजान अली (3) गरीब साह (4) सनौल्ला दोनों अबू हुसैन के पुत्र (5) मौह० खलील पुत्र अब्दुल अजीज (6) बिस्मिल्ला पुत्र मौह० साफी (7) मौह० हबीब (8) मौह० सामी (9) मौह० कलीम (10) मौह० हासीब सभी अब्दुल अजीज के पुत्र ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन, उक्त अर्जन में से 2.74 एकड़ या 1.10 हेक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास दावा किया है ;

और उक्त अर्जन के लिए देय प्रतिकर की रकम, प्रस्थापित प्रतिकर की रकम की पर्याप्तता की बाबत विवाद होने के कारण करार द्वारा नियत न की जा सकी और इस प्रकार प्रस्थापित रकम हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकार की गई है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, रांची होंगे ।

[सं० 19/20/78-सी० एल०(87)]

S. O. 1643.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel No. S.O. 3894, dated the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 2510 acres (approximately) or 1016.55 hectares in villages Koihara, Kumbaradara (Kumhardhara), Sewai, Bhuchungdih, Hutugdag and Gourabera, Thana Ramgarh, District Hazaribagh (Bihar) ;

And whereas (1) Md. Ali S/o Gulam Gause (2) Ekbal Hussain S/o Late Ramjan Ali (3) Garib Sah (4) Sanaulla both son of Abu Hussain (5) Md. Khalil S/o Abdul Aziz (6) Bismilla S/o Md. Saffi (7) Md. Habib (8) Md. Sami (9) Md. Kalim (10) Md. Hasib all sons of Abdul Aziz of village Koihara, the person interested has, under section 13 of the said Act, preferred the competent authority for payment of compensation for an area of 2.74 acres or 1.10 hectares out of the said acquisition ;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute to the sufficiency of the amount of compensation offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a part-time Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi

[No. 19(20)78-CL(87)]

का० आ० 1644.—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व खान और ईंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3894 तारीख 22 दिसम्बर, 1962, जो कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन तैयार की गई

थी, के अनुसरण में, कोईहारा, कुम्बारधारा (कुम्हारधारा), सिवई, भुचुंगडीह, हुटुगदाग और गौराबेरा, थाना रामगढ़, जिला हजारीबाग (बिहार) ग्रामों में 2510 एकड़ (लगभग) या 1016.55 हेक्टेयर भूमि अर्जित की है ;

और कोई हारा ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति जयपाल मेहतो पुत्र भिखमंग मेहतो ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन, उक्त अर्जन में से 0.34 एकड़ या 0.13 हेक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास दावा किया है ;

और उक्त अर्जन के लिए देय प्रतिकर की रकम, प्रस्थापित प्रतिकर की रकम की पर्याप्तता की बाबत विवाद होने के कारण करार द्वारा नियत न की जा सकी और इस प्रकार प्रस्थापित रकम हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकार की गई है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, रांची होंगे ।

[सं० 19/20/78-सी० एल० (12)]

S. O. 1644.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel No. S.O. 3894, dated the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 2510 acres (approximately) or 1016.55 hectares in villages Koihara, Kumbaradara (Kumhardhara), Sewai, Bhuchungdih, Hutugdag and Gourabera, Thana Ramgarh, District Hazaribagh (Bihar) ;

And whereas Jaipal Mahto S/o Bhikhmang Mahto of village Koihara, the person interested has, under section 13 of the said Act, preferred the competent authority for payment of compensation for an area of 0.34 acres or 0.13 hectares out of the said acquisition ;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute to the sufficiency of the amount of compensation offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a part-time Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi.

[No. 19(20)78-CL(12)]

का० आ० 1645.—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व खान और ईंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3894 तारीख 22 दिसम्बर, 1962, जो कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन तैयार की गई थी, के अनुसरण में, कोईहारा, कुम्बारधारा (कुम्हारधारा), सिवई, भुचुंगडीह, हुटुगदाग और गौराबेरा, थाना रामगढ़, जिला हजारीबाग (बिहार) ग्रामों में 2510 एकड़ (लगभग) या 16.55 हेक्टेयर भूमि अर्जित की है ;

और कोईहारा ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति मौ० मुस्तफा पुत्र शेख मौ० नासीर खान ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन, उक्त अर्जन 2.22 एकड़ या 0.87 हेक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास दावा किया है ;

और उक्त अर्जन के लिए देय प्रतिकर की रकम, प्रस्थापित प्रतिकर की रकम की पर्याप्तता की बाबत विवाद होने के कारण करार द्वारा नियत न की जा सकी और इस प्रकार प्रस्थापित रकम हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकार की गई है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, रांची होंगे ।

[सं० 19/20/78-सी० एल० (14)]

S. O. 1645.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel No. S.O. 3894, dated the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 2510 acres (approximately) or 1016.55 hectares in villages Koihara, Kumbaradara (Kumhardhara), Sewai, Bhuchungdih, Hutugdag and Gourabera, Thana Ramgarh, District Hazaribagh (Bihar) ;

And whereas Md. Mustaffa S/o Sk. Md. Nasir Khan of village Koihara, the person interested has, under section 13 of the said Act, preferred the competent authority for payment of compensation for an area of 2.22 acres or 0.89 hectares out of the said acquisition ;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute to the sufficiency of the amount of compensation offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a part-time Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi.

[No. 19(20)78-CL(14)]

का. आ. 1646.—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व खान और ईंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 3894 तारीख 22 दिसम्बर, 1962, जो कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन तैयार की गई थी, के अनुसरण में, कोईहारा, कुम्बारदारा (कुम्हारधारा), सिवई, भुचुंगडीह, हुटुगदाग और गौराबेरा, थाना रामगढ़, जिला हजारीबाग (बिहार) ग्रामों में 2510 एकड़ (लगभग) या 1016.65 हेक्टेयर भूमि अर्जित की है ;

और कोईहारा ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति (1) गजिन्द्र नाथ मंकी (2) पुसा मंकी (3) चैता मंकी (4) सहजू मंकी (5) बिलेश्वर मंकी सभी दयाल पाहन के पुत्र (6) गुलिया पाहन (7) सिबरन पाहन दोनों धनपत पाहन के पुत्र (8) सैमा पाहन (9) चरकू पाहन दोनों जैबा पाहन के पुत्र (10) श्रीमती सदमी पत्नी तुलसी पाहन (11) गहना पाहन (12) बिरबा पाहन दोनों बालेश्वर पाहन के पुत्र ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन, उक्त अर्जन में से 7.94 एकड़ या 3.21 हेक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास दावा किया है ;

और उक्त अर्जन के लिए देय प्रतिकर की रकम, प्रस्थापित प्रतिकर की रकम की पर्याप्तता की बाबत विवाद होने के कारण करार द्वारा नियत न की जा सकी और इस प्रकार प्रस्थापित रकम हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकार की गई है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, रांची होंगे।

[सं० 19/20/78-सी० एल० (15)]

S.O. 1646.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel No. S.O. 3894, dated the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 2510 acres (approximately) or 1016.55 hectares in villages Koihara, Kumbaradara (Kumhardhara), Sewai, Bhuchungdih, Hutugdag and Gourabera, Thana Ramgarh, District Hazaribagh (Bihar);

And whereas (1) Gajindra Nath Manki (2) Pusa Manki (3) Chaita Manki (4) Sahju Manki (5) Bisheshwar Manki all sons of Dayal Pahan (6) Gulia Pahan (7) Nibaran Pahan both sons of Dhanpat Pahan (8) Saima Pahan (9) Charku Pahan both sons of Jiba Pahan (10) Most Sadmi W/o Tulsi Pahan (11) Gahna Pahan (12) Birwa Pahan both sons of Baleshwar Pahan of village Koihara, the person interested has, under section 13 of the said Act, preferred the competent authority for payment of compensation for an area of 7.94 acres or 3.21 hectares out of the said acquisition;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute to the sufficiency of the amount of compensation offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a part-time Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi.

[No. 19(20)78-CL(15)]

का० आ० 1647.—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व खान और ईंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3894 तारीख 22 दिसम्बर, 1962, जो कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन तैयार की गई थी, के अनुसरण में कोईहारा, कुम्बारदारा (कुम्हारधारा) सिवई, भुचुंगडीह, हुटुगदाग और गौराबेरा, थाना रामगढ़ जिला हजारीबाग (बिहार) ग्रामों में 2510 एकड़ (लगभग) या 1016.55 हेक्टेयर भूमि अर्जित की है;

और भुचुंगडीह ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति (1) श्रीमती सबर देवी पत्नी घना नाथ चौधरी (2) श्रीमती पातोदेवी पत्नी बहारन चौधरी (3) दीनानाथ चौधरी (4) पृथ्वीनाथ चौधरी (5) बाबू लाल चौधरी (6) प्रहलाद चौधरी सभी साबर चौधरी के पुत्र (7) मागू चौधरी पुत्र श्री मगलू चौधरी (8) बाबू चौधरी पुत्र चमन चौधरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन, उक्त अर्जन में से 0.46 एकड़ या 0.19 हेक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास दावा किया है;

और उक्त अर्जन के लिए देय प्रतिकर की रकम, प्रस्थापित प्रतिकर की रकम की पर्याप्तता की बाबत विवाद होने के कारण करार द्वारा नियतन की जा सकी और इस प्रकार प्रस्थापित रकम हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकार की गई है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण गठित करती है जिस श्री चन्द्र शेखर सिंह अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, रांची होंगे।

[सं० 19/20/78-सी० एल०(23)]

S.O. 1647.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel No. S. O. 3894, dated, the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands meansuring 2510 acres (approximately) or 1016.55 hectares in villages, Kulliara, Kumbaradara (Kumhardhara), Sewal, Bhachungdih, Hutgod Gourabera, Thana Ramgarh, District Hazaribagh (Bihar);

And whereas (1) Most Sabar Devi w/o Ghana Nath Choudhury (2) Most Pato Devi w/o Baharan Choudhury (3) Dinanath Choudhury (4) Prithvi Nath Choudhury (5) Babu Lal Choudhury (6) Prahalad Choudhury S/o. Sabur Choudhury (7) Magu Choudhury s/o Bhaglu Choudhury (8) Babu Choudhury s/o Chaman Choudhury of Village Bhuchungdih, the person interested has, under section 13 of the said Act, preferred the claim to the competent authority for payment of compensation for an area of 0.46 acres or 0.19 hectares out of the said acquisition;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute as to the sufficiency of the amount of compensation offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a part-time Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi.

[No. 19 (20)/78-CL (23)]

का० आ० 1648.—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व खान और ईंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3894 तारीख 22 दिसम्बर, 1962, जो कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन तैयार की गई थी, के अनुसरण में, कोईहारा, कुम्बारदारा (कुम्हारधारा) सिवई, भुचुंगडीह, हुटुगदास और गौराबेरा, थाना रामगढ़, जिला हजारीबाग (बिहार) ग्रामों में 2510 एकड़ (लगभग) या 1016.55 हेक्टेयर भूमि अर्जित की है;

और भुचुंगडीह ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति (1) मोह० अली पुत्र गुलाम गौस (2) इकबाल हुसैन पुत्र रमजान अली (3) गरीब साह (4) मनउल्लाह दोनों हसन भण्डारी के पुत्र (5) मोह० खलील पुत्र अजीज भण्डारी (6) बिसमिल्ला पुत्र मौह० सफी (7) मौह० हबीब (8) मौह० शामी (9) मौह० कलीम (10) मौह० हबीब सभी अब्दुल अजीज भण्डारी के पुत्र ने उक्त अधिनियम की धारा 14 के अधीन, उक्त अर्जन में से 0.17 एकड़ या 0.07 हेक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास दावा किया है;

और उक्त अर्जन के लिए देय प्रतिकर की रकम, प्रस्थापित प्रतिकर की रकम की पर्याप्तता की बाबत विवाद होने के कारण करार द्वारा नियतन की जा सकी और इस प्रकार प्रस्थापित रकम हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकार की गई है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, रांची होंगे।

[सं० 19/20/78-सी० एल०(7)]

S.O. 1648.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel No. S. O. 3894, dated the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 2510 acres (approximately) or 1016.55 hectares in villages Koihara, Kumaradara (Kumhardhara), Sewai, Bhuchungdih, Hutugdag and Gourabera, Thana Ramgarh, District Hazaribagh (Bihar);

And whereas (1) Md. Ali s/o Gulam Gause (2) Ekbal Hussain s/o Ramian Ali (3) Garib Shah (4) Sanaullah both sons of Hassan Bhandari (5) Md. Khalil s/o Aziz Bhandari (6) Bismillah s/o Md. Shafi (7) Md. Habib (8) Md. Shami (9) Md. Kalim (10) Md. Hasib all sons of Abdul Aziz Bhandari of Village Bhuchungdih, the person interested has, under section 13 of the said Act, preferred the competent authority of payment of compensation for an area of 0.17 acre or 0.07 hectares out of the said acquisition;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute to the sufficiency of the amount of compensation offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a part-time Tribunal consisting of Shri Chandra Sheqhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi.

[No. 19 (20) 78-CL (7)]

का० आ० 1649.—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व खान और ईंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3894 तारीख 22 दिसम्बर, 1962, जो कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन तैयार की गई थी, के अनुसरण में, कोईहारा, कुम्बारदारा (कुम्हारधारा), सिवई, भुचुंगडीह, हुटुगदास और गौराबेरा, थाना रामगढ़, जिला हजारीबाग (बिहार) ग्रामों में 2510 एकड़ (लगभग) या 1016.55 हेक्टेयर भूमि अर्जित की है ;

और कोईहारा ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति (1) जगतू पाहन (2) ठाकुर पाहन (3) केतका पाहन सभी रूपू पाहन के पुत्र (4) लते पाहन पुत्र भाकुर पाहन (5) अकलू पाहन (6) बरातिया पाहन (7) सुकरा पाहन सभी दिपू पाहन के पुत्र (8) भिखमंग पाहन (9) टेका पाहन दोनों खेना पाहन के पुत्र (10) श्रीमती पारबी पत्नी भैरो पाहन ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन, उक्त अर्जन में से 0.88 एकड़ या 0.36 हेक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास दावा किया है ;

और उक्त अर्जन के लिए देय प्रतिकर की रकम, प्रस्थापित प्रतिकर की रकम की पर्याप्तता की बाबत विवाद होने के कारण करार द्वारा नियत न की जा सकी और इस प्रकार प्रस्थापित रकम हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकार की गई है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, रांची होंगे।

[सं० 19/20/78—सी० एल०(60)]

S.O. 1649.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel No. S.O. 3894, dated the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 2510 acres (approximately) or 1016.55 hectares in villages Koihara, Kumbaradara (Kumhardhara), Sewai, Bhuchungdih, Hutugdag and Gourabera, Thana Ramgarh, District Hazaribagh (Bihar);

And whereas (1) Jagtu Pahan (2) Thakur Pahan (3) Ketka Pahan all sons of Rupu Pahan (4) Late Pahan S/o Bhakur Pahan (5) Aklu Pahan (6) Baratia Pahan (7) Sukra Pahan all S/o Dipu Pahan (8) Bhikhmang Pahan (9) Teka Pahan both as Ss/o Khaina Pahan (10) Most Parbi W/o Bhairo Pahan of village Koihara the person interested has, under section 13 of the said Act, preferred the competent authority for payment of compensation for an area of 0.88 acres or 0.36 hectares out of the said acquisition;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute to the sufficiency of the amount of compensation offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a part-time Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi.

[No. 19(20)78-CL(60)]

का० आ० 1650.—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व खान और ईंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3894 तारीख 22 दिसम्बर, 1962, जो कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन तैयार की गई थी, के अनुसरण में, कोईहारा, कुम्बारदास (कुम्हारधारा), सिवई, भुचुंगडीह, हुटुगदास और गौराबेरा, थाना रामगढ़, जिला हजारीबाग (बिहार) ग्रामों में 2510 एकड़ (लगभग) या 1016.55 हेक्टेयर भूमि अर्जित की है ;

और कोई हारा ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति (1) देवकी नन्दन चौधरी (2) ब्रज मोहन चौधरी (3) सूरज भूषण चौधरी सभी धर्म नाथ चौधरी के पुत्र (4) बाल कृष्ण चौधरी पुत्र घनश्याम चौधरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन, उक्त अर्जन में से 0.78 एकड़ या 0.31½ हेक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास दावा किया है ;

और उक्त अर्जन के लिए देय प्रतिकर की रकम, प्रस्थापित प्रतिकर की रकम की पर्याप्तता की बाबत विवाद होने के कारण करार द्वारा नियत न की जा सकी और इस प्रकार प्रस्थापित रकम हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकार की गई है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, रांची होंगे।

[सं० 19/20/78—सी० एल०(85)]

S.O. 1650.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel No. S.O. 3894, dated the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 2510 acres (approximately) or 1016.55 hectares in villages Koihara, Kumbaradara (Kumhardhara), Sewai, Bhuchungdih, Hutugdag and Gourabera, Thana Ramgarh, District Hazaribagh (Bihar);

And whereas (1) Deoki Nandan Choudhury (2) Braj Mohan Choudhury (3) Suraj Bhushan Choudhury all sons of Dharam Nath Choudhury (4) Bal Krishan Choudhury S/o Ghan Shyam Choudhury, of village Koihara, the person interested has, under section 13 of the said Act, preferred the competent authority for payment of compensation for an area of 0.78 acres or 0.31-1/2 hectares out of the said acquisition;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute to the sufficiency of the amount of compensation offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a part-time Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi.

[No. 19(20)78-CL(85)]

का० आ० 1651.—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व खान और ईंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3894 तारीख 22 दिसम्बर, 1962 जो कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन तैयार की गई थी, के अनुसरण में, कोईहारा, कुम्बारदारा (कुम्हारधारा), सिवई,

भुखुंगडीह, हुटुगदाग और गौराबेरा, थाना रामगढ़, जिला हजारीबाग (बिहार) ग्रामों में 2510 एकड़ (लगभग) या 1016.55 हेक्टेयर भूमि अर्जित की है ;

और भुखुंगडीह ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति (1) गोविन्द मेहतो (2) छोटू मेहतो दोनों प्रभू मेहतो के पुत्र (3) हरिदास मेहतो (4) मुंशी मेहतो (5) जगदीश मेहतो सभी लादू मेहतो के पुत्र (6) बिरसा मेहतो पुत्र रुपो मेहतो ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन, उक्त अर्जन में से 0.36 एकड़ या 0.145 हेक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास दावा किया है ;

और उक्त अर्जन के लिए देय प्रतिकर की रकम, प्रस्थापित प्रतिकर की रकम की पर्याप्तता की बाबत विवाद होने के कारण करार द्वारा नियतन की जा सकी और इस प्रकार प्रस्थापित रकम हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकार की गई है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, रांची होंगे।

[सं० 19/20/78-सी० एल०(21)]

S.O. 1651.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel No. S.O. 3894, dated the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 2510 acres (approximately) or 1016.55 hectares in villages Koihara, Kumbaradara (Kumhardhara), Sewai, Bhuchungdih, Hutugdag and Gourabera, Thana Ramgarh, District Hazaribagh (Bihar);

And whereas (1) Govind Mahto (2) Chhathu Mahto both sons of Prabhu Mahto (3) Haridas Mahto (4) Munshi Mahto (5) Jagdish Mahto all sons of Latu Mahto (6) Birsa Mahto S/o Rupu Mahto, of village Bhuchungdih, the person interested has, under section 13 of the said Act, preferred the claim to the competent authority for payment of compensation for an areas of 0.36 acres or 0.145 hectares out of the said acquisition ;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute to the sufficiency of the amount of compensation offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a part-time Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi.

[No. 19(20)78-CL(21)]

का० आ० 1652.—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व खान और इंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3894 तारीख 22 दिसम्बर, 1962, जो कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन तैयार की गई थी, के अनुसरण में, कोईहारा, कुम्बारदारा (कुम्हारधारा), सिवई, भुखुंगडीह, हुटुगदाग और गौराबेरा, थाना रामगढ़, जिला हजारीबाग (बिहार) ग्रामों में 2510 एकड़ (लगभग) या 1016.55 हेक्टेयर भूमि अर्जित की है ;

और कोईहारा ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति दिलनाथ चौधरी सुपुत्र जीबाधन चौधरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन, उक्त अर्जन में से 0.48 एकड़ या 0.19 हेक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास दावा किया है ;

और उक्त अर्जन के लिए देय प्रतिकर की रकम, प्रस्थापित प्रतिकर की रकम की पर्याप्तता की बाबत विवाद होने के कारण करार द्वारा नियतन की जा सकी और इस प्रकार प्रस्थापित रकम हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकार की गई है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, रांची होंगे।

[सं० 19/20/78-सी० एल०(50)]

S.O. 1652.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel No. S.O. 3894, dated the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 2510 acres (approximately) or 1016.55 hectares in villages Koihara, Kumbaradara (Kumhardhara), Sewai, Bhuchungdih, Hutugdag and Gourabera, Thana Ramgarh, District Hazaribagh (Bihar) ;

And whereas Dil Nath Choudhury S/o Jibadhan Choudhury of village Koihara, the person interested has, under section 13 of the said Act, preferred the competent authority for payment of compensation for an area of 0.48 acres or 0.19 hectares out of the said acquisition ;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute to the sufficiency of the amount of compensation offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a part-time Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi.

[No. 19(20)78-CL(50)]

का० आ० 1653.—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व खान और इंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3894 तारीख 22 दिसम्बर, 1962, जो कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन तैयार की गई थी, के अनुसरण में, कोईहारा, कुम्बारदारा (कुम्हारधारा), सिवई, भुखुंगडीह, हुटुगदाग और गौराबेरा, थाना रामगढ़, जिला हजारीबाग (बिहार) ग्रामों में 2510 एकड़ (लगभग) या 1016.55 हेक्टेयर भूमि अर्जित की है ;

और कोईहारा ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति सु. श्री सत्यभामा कुमारी पुत्री छोटू मंडल ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन, उक्त अर्जन में से 0.48 एकड़ या 0.19 हेक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास दावा किया है ;

और उक्त अर्जन के लिए देय प्रतिकर की रकम, प्रस्थापित प्रतिकर की रकम की पर्याप्तता की बाबत विवाद होने के कारण करार द्वारा नियतन की जा सकी और इस प्रकार प्रस्थापित रकम हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकार की गई है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, रांची होंगे।

[सं० 19/20/78-सी० एल०(51)]

S.O. 1653.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel No. S.O. 3894, dated the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 2510 acres (approximately) or 1016.55 hectares in villages Koihara, Kumbaradara

(Kumhardhara), Sewai, Bhuchungdih, Hutugdag and Gourabera, Thana Ramgarh, District Hazaribagh (Bihar) ;

And whereas Most Satya Bhama Kumari D/o Chotu Mandal of village Koihara, the person interested has, under section 13 of the said Act, preferred the competent authority for payment of compensation for an area of 0.48 acres or 0.19 hectares out of the said acquisition ;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute to the sufficiency of the amount of compensation offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a part-time Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi.

[No. 19(20)78-CL(51)]

का०आ० 1554.—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व खान और ईंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ०, 3894 तारीख 22 दिसम्बर, 1962, जो कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 1957 का 20 की धारा 9 के अधीन तैयार की गई थी, के अनुसरण में, कोईहारा, कुम्भारदार कुम्हारधारा सिवई, भुचुंगडीह, हुटुगदाद और गौराबैरा, थाना रामगढ़, जिला हजारीबाग बिहार ग्रामों में 2510 एकड़ लगभग या 1016.55 हेक्टेयर भूमि अर्जित की है ;

और कोईहारा ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति (1) रेवा लाल चौधरी (2) विश्वनाथ चौधरी (3) मोती लाल चौधरी सभी खेमलाल के पुत्र (4) मोहन चौधरी पुत्र गंगा नाथ चौधरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन उक्त अर्जन में से 5.63 एकड़ या 2.28 हेक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकर के संदाय के लिए समक्ष प्राधिकारी के पास लदावा किया है ;

और उक्त अर्जन के शिए देय प्रतिकर की रकम, प्रस्थापित प्रतिकर की रकम की पर्याप्तता की बाबत विवाद होने के कारण करार द्वारा नियतन की जा सकी और इस प्रकार प्रस्थापित रकम हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकार की गई है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र अर्जन और विकास अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, रांची होंगे ।

[सं० 19(20)78-सी० एस०(52)]

S.O. 1654.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel No. S.O. 3894, dated the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 2510 acres (approximately) or 1016.55 hectares in villages Koihara, Kumbaradara (Kumhardhara), Sewai, Bhuchungdih, Hutugdag and Gourabera, Thana Ramgarh, District Hazaribagh (Bihar) ;

And whereas (1) Rowa Lal Choudhury (2) Bishwa Nath Choudhury (3) Moti Lal Choudhury all sons of Khemlal Choudhury (4) Mohan Choudhury S/o Ganga Nath Choudhury of village Koihara, the person interested has, under section 13 of the said Act, preferred the competent authority for payment of compensation for an area of 5.63 acres or 2.28 hectares cut of the said acquisition ;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute to the sufficiency of the amount of compensation offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a part-time Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi.

[No. 19(20)78-CL(52)]

का० आ० 1655.—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व खान और ईंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3894 तारीख 22 दिसम्बर, 1962 जो कि कोयला वाले क्षेत्र अर्जन और विकास अधिनियम, 1957 1957 का 20 की धारा 9 के अधीन तैयार कि गई थी, के अनुसरण में, कोईहारा, कुम्भारदारा कुम्हारधारा सिवई, भुचुंगडीह, हुटुगदाग और गौराबेरा थाना रामगढ़ जिला हजारी बाग बिहार ग्रामों में 2510 एकड़ लगभग या 1016.55 हेक्टेयर भूमि अर्जित की है ;

और भुचुंगडीह ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति मंगा मांझी पुत्र सुक्कू मांझी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन, उक्त अर्जन में से 0.50 एकड़ या 0.20 हेक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकर के संदाय के लिए समक्ष प्राधिकारी के पास दावा किया है ;

और उक्त अर्जन के लिए देय प्रतिकर की रकम प्रस्थापित की रकम की पर्याप्तता की बाबत होने के कारण करार द्वारा नियतन की जा सकी और इस प्रकार प्रस्थापित रकम हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकार की गई है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र अर्जन और विकास अधिनियम 1957 की धारा 14 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण गठित है जिसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह उपर जिला और सेशन न्यायाधीश, रांची होंगे ।

[सं० 19(20)78-सी० एस०(35)]

S.O. 1655.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel No. S.O. 3894, dated the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 2510 acres (approximately) or 1016.55 hectares in villages Kolhara, Kumbaradara (Kumhardhara), Sewai, Bhuchungdih, Hutugdag and Gourabera, Thana Ramgarh, District Hazaribagh (Bihar) ;

And whereas Manga Manjhi S/o Suku Manjhi of village Bhuchungdih, the person interested has, under section 13 of the said Act, preferred the competent authority for payment of compensation for an area of 0.50 acres or 0.20 hectares out of the said acquisition ;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute to the sufficiency of the amount of compensation offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a part-time Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi.

[No. 19(20)78-CL(35)]

का०आ० 1656.—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व खान और ईंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3894 तारीख 22 दिसम्बर 1962, जो कि कोयला वाले क्षेत्र अर्जन और विकास अधिनियम, 1957 1957 का 20 की धारा 9 के अधीन तैयार की थी, के अनुसरण में, कोईहारा, कुम्भारदार कुम्हारधारा, सिवई, भुचुंगडीह, हुटुगदा और गौराबेरा थाना रामगढ़, जिला हजारीबाग बिहार ग्रामों में 2510 एकड़ लगभग या 1016.55 हेक्टेयर भूमि अर्जित की है ;

और भुचुंगडीह ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति मुतार महतो पुत्र मधु मेहतो ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन उक्त अर्जन में से 6.20 एकड़ या 2.51 हेक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास दावा किया है ;

और उक्त अर्जन के लिए देय प्रतिकर की रकम प्रस्थापित प्रतिकर की रकम की पर्याप्तता की बाबत विवाद होने के कारण करार द्वारा नियत न की जा सकी और इस प्रकार प्रतिस्थापित रकम हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकार की गई है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र अर्जन और विकास अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, रांची होंगे ।

[सं० 19/20/78—सी०—एल०(34)]

S.O. 1656.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel No. S.O. 3894, dated the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 2510 acres (approximately) or 1016.55 hectares in villages Koihara, Kumbaradara (Kumhardhara), Sewai, Bhuchungdih, Hutugdag and Gourabera, Thana Ramgarh, District Hazaribagh (Bihar) :

And whereas Mutar Mahto S/o Madhu Mahto of village Bhuchungdih, the person interested has, under section 13 of the said Act, preferred the competent authority for payment of compensation for an area of 6.20 acres or 2.51 hectares out of the said acquisition ;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute to the sufficiency of the amount of compensation offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a part-time Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi.

[No. 19(20)78-CL(34)]

का० आ० 1657.—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व खान और इंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3894 तारीख 22 दिसम्बर, 1962, जो कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन तैयार की गई थी, के अनुसरण में, कोईहारा, कुम्बारदारा (कुम्हारधारा), सिवई भुचुंगडीह, हुटुगदाग और गौराबेरा, थाना रामगढ़, जिला हजारीबाग (बिहार), ग्रामों में 2510 एकड़ (लगभग) या 1016.55 हेक्टेयर भूमि अर्जित की है ;

और भुचुंगडीह ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति (1) सोबरन मेहतो पुत्र रासो महतो और (2) श्रीमती सुमित्रा पत्नी गोबरधन मेहतो ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन, उक्त अर्जन में से 2.27 एकड़ या 0.92 हेक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास दावा किया है ;

और उक्त अर्जन के लिए देय प्रतिकर की रकम, प्रस्थापित प्रतिकर की रकम की पर्याप्तता की बाबत विवाद होने के कारण करार द्वारा नियत न की जा सकी और इस प्रकार प्रस्थापित रकम हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकार की गई है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, रांची होंगे ।

[सं० 19/20/(78)-सी० एल०(41)]

S.O. 1657.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel No. S. O. 3894, dated the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 2510-acres (approximately) or 1016.55 hectares in villages Koihara, Kumbaradara (Kumbardhara), Sewai, Bhuchungdih, Hutugdag and Gourabera, Thana Ramgarh, District Hazaribagh (Bihar) ;

And whereas (1) Sobran Mahto S/o Ratho Mahto and (2) Most. Sumitra W/o Gobardhan Mahto of village Bhuchungdih, the person interested has, under section 13 of the said Act, preferred the competent authority for payment of compensation for an area of 2.27 acres or 0.92 hectares out of the said acquisition ;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute to the sufficiency of the amount of compensation offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a part-time Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi.

[No. 19(20)78-CL(41)]

का० आ० 1658—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व खान और इंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3894 तारीख 22 दिसम्बर, 1962, जो कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन तैयार की गई थी, के अनुसरण में, कोईहारा, कुम्बारहारा (कुम्हारधारा), सिवई भुचुंगडीह, हुटुगदाग और गौराबेरा, थाना रामगढ़, जिला हजारीबाग (बिहार) ग्रामों में 2510 एकड़ (लगभग) या 1016.55 हेक्टेयर भूमि अर्जित की है ;

और भुचुंगडीह ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति (1) सलामुद्दीन (2) जियारुद्दीन (3) बसीरुद्दीन सभी कमालुद्दीन के पुत्र (4) लाल मोहम्मद (5) महीरुद्दीन दोनों सीनल अली के पुत्र (6) जमालुद्दीन (7) निजामुद्दीन दोनों अली बक्स के पुत्र (8) श्रीमती बसीरन (9) श्रीमती मसीहन (10) श्रीमती जलीमन सभी वलीमन की पुत्रियां) (11) रियाज अली (12) ताज मोहम्मद दोनों बाबूजन के पुत्र (13) छोटन मिया पुत्र बालक मियां ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन, उक्त अर्जन में से 8.32 एकड़ या 3.37 हेक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास दावा किया है ;

और उक्त अर्जन के लिए देय प्रतिकर की रकम, प्रस्थापित प्रतिकर की रकम की पर्याप्तता की बाबत विवाद होने के कारण करार द्वारा नियत न की जा सकी और इस प्रकार प्रस्थापित रकम हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकार की गई है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, रांची होंगे ।

[सं० 19 (20)/78—सी० एल०(40)]

S.O. 1658.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel No. S. O. 3894, dated the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 2510-acres (approximately) or 1016.55 hectares in villages Koihara, Kumbaradara (Kumbardhara), Sewai, Bhuchungdih, Hutugdag and Gourabera, Thana Ramgarh, District Hazaribagh (Bihar) ;

And whereas (1) Salamuddin, (2) Jiyaruddin, (3) Basiruddin all sons of Kamaluddin, (4) Lalmohammad, (5) Mahiruddin

both S/o Sinat Ali, (6) Jamaluddin, (7) Nejamuddin both S/o Ali Bux, (8) Most Basiran, (9) Most. Masihan, (10) Most Jalimun all D/o Bali Mian, (11) Reyaj Ali, (12) Taj Mohammed both S/o Babujan, (13) Chotan Mian S/o Balak Mian of village Bhuchungdih, the person interested has, under section 13 of the said Act, preferred the competent authority for payment of compensation for an area of 8.32 acres or 3.37 hectares cut of the said acquisition ;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute to the sufficiency of the amount of compensation offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a part-time Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi.

[No. 19(20)78-CL(40)]

का० आ० 1659.—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व खान और इंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3894 तारीख 22 दिसम्बर, 1962 जो कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन तैयार की गई थी, के अनुसरण में, कोईहारा, कुम्बारदारा (कुम्हारधारा), सिवई, भुचुंगडीह, हुटुगदाग और गौराबेरा, थाना रामगढ़, जिला हजारीबाग (बिहार ग्रामों में 2510 एकड़ (लगभग) या 10.16.55 हेक्टेयर भूमि अर्जित की है ;

और भुचुंगडीह ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति (1) अमृत मेहतो पुत्र बिश्वनाथ मेहतो (2) घनाराम मेहतो (3) प्रान मेहतो (4) मोहन मेहतो सभी सिबू मेहतो के पुत्र (5) कुंदन मेहतो (6) कार्तिक मेहतो (7) कंचन मेहतो सभी माधु मेहतो के पुत्र (8) लालू महतो (9) रहटू मेहतो दोनों मघु मेहतो (10) रामचन्द्र मेहतो पुत्र लीडन मेहतो (11) श्रीमती रुदनी पत्नी लीडन मेहतो (12) श्रीमती भागिया पत्नी जिबू मेहतो (13) सोमार मेहतो पुत्र सालिक (14) जितू मेहतो (15) मुकन मेहतो दोनों सिबलाल मेहतो के पुत्र (16) बलराम महतो पुत्र ललीत मेहतो के पुत्र (17) पंचू मेहतो (18) खेदन मेहतो दोनों सुखदेव मेहतो के पुत्र (19) कीतू मेहतो (20) जोधन मोहतो दोनों बुधु मेहतो के पुत्र (21) श्रीमती रेशो पत्नी बुधन मेहतो ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन, उक्त अर्जन में से 16.85 एकड़ या 6.82 हेक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास दावा किया है ;

और उक्त अर्जन के लिए देय प्रतिकर की रकम प्रस्थापित प्रतिकर की रकम की पर्याप्तता की बाबत विवाद होने के कारण करार द्वारा नियत न की जा सकी और इस प्रकार प्रस्थापित रकम हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकार की गई है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार कोयला वाले क्षेत्र अर्जन और विकास अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण करती है जिसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह अपर जिला और सेशन न्यायाधीश रांची होंगे ।

[सं० 19/(20)78-सी० एल०(39)]

S.O. 1659.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel No. S. O. 3894, dated the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 2510 acres (approximately) or 1016.55 hectares in villages Koihara, Kumbaradara (Kumbardhara), Sewai, Bhuchungdih, Hutugdag and Gourabera, Thana Ramgarh, District Hazaribagh (Bihar) ;

And whereas (1) Amrit Mahto S/o Biswanth Mahto, (2) Ghana Ram Mahto, (3) Paran Mahto, (4) Mohan Mahto all S/o Sibu Mahto, (5) Kandan Mahto, (6) Kartik Mahto, (7) Kanchan Mahto all S/o Madhu Mahto, (8) Lalu Mahto, (9) Rahtu Mahto both S/o Maghu Mahto, (10) Ram Charan Mahto S/o Ledan Mahto, (11) Most Rudni W/o Ledan Mahto, (12) Most Bhagia W/o Jibu Mahto, (13) Somar Mahto S/o Salik Mahto, (14) Jethu Mahto, (15) Mukun Mahto both sons of Siblal Mahto, (16) Balram Mahto S/o Lalit Mahto, (17) Panchu Mahto, (18) Khedan Mahto both S/o Sukhdeo Mahto, (19) Kitu Mahto, (20) Jodhan Mahto both S/o Budhu Mahto, (21) Most Rasho W/o Budhan Mahto of village Bhuchungdih, the person interested has, under section 13 of the said Act, preferred the competent authority for payment of compensation for an area of 16.85 acres or 6.82 hectares cut of the said acquisition ;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute to the sufficiency of the amount of compensation offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a part-time Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi.

[No. 19(20)78-CL(39)]

का०आ० 1660.—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व खान और ईंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० 3894 तारीख 22 दिसम्बर, 1962, जो कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन तैयार की गई थी, के अनुसरण में, कोईहारा, कुम्बारदारा (कुम्हारधारा), सिवई, भुचुंगडीह, (हुटुगदाग और गौराबेरा, थाना रामगढ़, जिला हजारीबाग (बिहार) ग्रामों में 2510 एकड़ (लगभग) या 1016.55 हेक्टेयर भूमि अर्जित की है :

और भुचुंगडीह ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति बीबी हमीदा खातून पत्नी मोह० गुलाम नबी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन, उक्त अर्जन में से 1.59 एकड़ या 0.64 हेक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास दावा किया है ;

और उक्त अर्जन के लिए देय प्रतिकर की रकम, प्रस्थापित प्रतिकर की रकम की पर्याप्तता की बाबत विवाद होने के कारण करार द्वारा नियत न की जा सकी और इस प्रकार प्रस्थापित हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकार की गई है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, रांची होंगे ।

[सं० 19(20)78-सी० एल०(8)]

S.O. 1660.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel No. S. O. 3894, dated the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 2510-acres (approximately) or 1016.55 hectares in villages Koihara, Kumbaradara (Kumbardhara), Sewai, Bhuchungdih, Hutugdag and Gourabera, Thana Ramgarh, District Hazaribagh (Bihar) ;

And whereas Bidi Hamida Khatoon W/o Md. Gulam Navi of village Bhuchungdih, the person interested has, under section 13 of the said Act, preferred the competent authority for payment of compensation for an area of 1.59 acres or 0.64 hectares cut of the said acquisition ;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute to the sufficiency of the amount of compensation offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a part-time Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi.

[No. 19(20)78-CL(8)]

का०आ० 1661—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व खान और ईंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० 3894 तारीख 22 दिसम्बर, 1962, जो कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन तैयार की गई थी, के अनुसरण में कोईहारा, कुम्बारदारा (कुम्हारधारा), सिवई, भुचुंगडीह, हुटुगदाग और गौराबेरा, थाना रामगढ़, जिला हजारीबाग (बिहार) ग्रामों में 2510 एकड़ (लगभग) या 1016.55 हेक्टेयर भूमि अर्जित की है ;

और भुचुंगडीह ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति (1) मलिक बहाजुद्दीन (2) समसुद्दीम दोनों मलिक मोहम्मद गौस के पुत्र ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन, उक्त अर्जन में से 0.40 एकड़ या 0.16 हेक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास दावा किया है ;

और उक्त अर्जन के लिए वेय प्रतिकर की रकम, स्थापित प्रतिकर की रकम की पर्याप्तता की बाबत विवाद होने के कारण करार द्वारा नियत न की जा सकी और इस प्रकार प्रस्थापित रकम हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकार की गई है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, रांची होंगे।

[सं० 19/10/78-सी०एल० 9]

S.O. 1661.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel No. S. O. 3894, dated the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 2510-acres (approximately) or 1016.55 hectares in villages Koihara, Kumbaradara (Kumbardhara), Sewai, Bhuchungdih, Hutugdag and Gourabera, Thana Ramgarh, District Hazaribagh (Bihar);

And whereas (1) Mullick Bahazuddin, (2) Samasuddin both sons of Mullick Mohamad Gause of village Bhuchungdih, the person interested has, under section 13 of the said Act, preferred the competent authority for payment of compensation for an area of 0.40 acres or 0.16 hectares out of the said acquisition;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute to the sufficiency of the amount of compensation offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a part-time Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi.

[No. 19(20)78-CL(9)]

का०आ० 1662—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व खान और ईंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० 3894 तारीख 22 दिसम्बर, 1962, जो कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन तैयार की गई थी, के अनुसरण में, कोईहारा, कुम्बारदारा (कुम्हारधारा), सिवई, भुचुंगडीह हुटुगदाग और गौराबेरा, थाना रामगढ़, जिला हजारीबाग (बिहार) ग्रामों में 2510 एकड़ (लगभग) या 1016.55 हेक्टेयर भूमि अर्जित की है ;

और सिवई ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति (1) शिकारी मांझी (2) दरबारी मांझी दोनों अकलू मांझी के पुत्र (3) कन्दन मांझी पुत्र बरका मांझी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन, उक्त अर्जन में से 0.31 एकड़ या 0.125 हेक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास दावा किया है ;

और उक्त अर्जन के लिए वेय प्रतिकर की रकम, प्रस्थापित प्रतिकर की रकम की पर्याप्तता की बाबत विवाद होने के कारण करार द्वारा नियत न की जा सकी और इस प्रकार प्रस्थापित रकम हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकरि की गई है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, रांची होंगे।

[सं० 19/20/78-सी०एल० (10)]

S.O. 1662.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel No. S. O. 3894, dated the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 2510-acres (approximately) or 1016.55 hectares in villages Koihara, Kumbaradara (Kumbardhara), Sewai, Bhuchungdih, Hutugdag and Gourabera, Thana Ramgarh, District Hazaribagh (Bihar);

And whereas (1) Sikari Manjhi, (2) Darbari Manjhi both sons of Aklu Manjhi, (3) Kandan Manjhi S/o Barka Manjhi of village Sewai, the person interested has, under section 13 of the said Act, preferred the competent authority for payment of compensation for an area of 0.31 acres or 0.125 hectares out of the said acquisition;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute to the sufficiency of the amount of compensation offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a part-time Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi.

[No. 19(20)78-CL(10)]

का०आ० 1663—केन्द्रीय सरकारने, भारत सरकार के भूतपूर्व खान और ईंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० 3894 तारीख 22 दिसम्बर, 1962, जो कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन तैयार की गई थी, के अनुसरण में, कोईहारा, कुम्बारदारा (कुम्हारधारा), सिवई, भुचुंगडीह, हुटुगदाग और गौराबेरा, थाना रामगढ़, जिला हजारीबाग (बिहार) ग्रामों में 2510 एकड़ (लगभग) या 1016.55 हेक्टेयर भूमि अर्जित की है ;

और भुचुंगडीह ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति (1) पचू मेहतो (2) खेदान मेहतो दोनों पुत्र सुखदेव मेहतो (3) श्रीमती रासो पत्नी बुद्धन मेहतो (4) जोधन मेहतो पुत्र बुद्धु मेहतो ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन, उक्त अर्जन में से 0.74 एकड़ या 0.30 हेक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास दावा किया है ;

और उक्त अर्जन के लिए वेय प्रतिकर की रकम, प्रस्थापित प्रतिकर की रकम की पर्याप्तता की बाबत विवाद होने के कारण करार द्वारा नियत न की जा सकी और इस प्रकार प्रस्थापित रकम हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकार की गई है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों

का प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह, ऊपर जिला और सेशन न्यायाधीश, रांची होंगे ।

[सं० 19/20/78-सी०एल० (48)]

S.O. 1663.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel No. S. O. 3894, dated the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 2510-acres (approximately) or 1016.55 hectares in villages Koihara, Kumbaradara (Kumbardhara), Sewai, Bhuchungdih, Hutugdag and Gourabera, Thana Ramgarh, District Hazaribagh (Bihar);

And whereas (1) Panchu Mahto, (2) Khedan Mahto both sons of Sukhdeo Mahto, (3) Most Raso W/o Budhan Manhto, (4) Jodhan Mahto S/o Budhu Mantho of village Bhuchungdih, the person interested has, under section 13 of the said Act, preferred the competent authority for payment of compensation for an area of 0.74 acres or 0.30 hectares out of the said acquisition;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute to the sufficiency of the amount of compensation offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a part-time Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi.

[No. 19(20)78-CL(48)]

का०आ० 1664.—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व खान और इंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० 3894 तारीख 22 दिसम्बर, 1962, जो कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन तैयार की गई थी, के अनुसरण में, कोईहारा, कुम्बारदारा (कुम्हारधारा), सिवई, भुचुंगडीह, हुटुगदाग और गौराबेरा, थाना रामगढ़, जिला हजारीबाग (बिहार) ग्रामों में 2510 एकड़ (लगभग) या 1016.55 हेक्टेयर भूमि अर्जित की है;

और हुटुगदाग ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति (1) तोमर मेहतो (2) राम चरन मेहतो दोनों सालिख मेहतो के पुत्र (3) श्रीमती रूधानी पत्नी लेदन मेहतो (4) श्रीमती भागों पत्नी जीबू मेहतो (5) जेतू मेहतो (6) मुकुन्द मेहतो दोनों ब्योलाल मेहतो के पुत्र (7) बलराम मेहतो पुत्र ललित मेहतो (8) किटू मेहतो (9) जोधन मेहतो दोनों बुद्धू मेहतो के पुत्र (10) पाचू मेहतो (11) खेदान मेहतो दोनों सुखदेव मेहतो के पुत्र (12) श्रीमती रासो पत्नी बुद्धन मेहतो ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन, उक्त अर्जन में से 1.09 एकड़ या 0.44 हेक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास दावा किया है;

और उक्त अर्जन के लिए देय प्रतिकर की रकम, प्रस्थापित प्रतिकर की रकम की पर्याप्तता की बाबत विवाद होने के कारण करार द्वारा नियत न की जा सकी और इस प्रकार प्रस्थापित रकम हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकार की गई है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह, ऊपर जिला और सेशन न्यायाधीश, रांची होंगे ।

[सं० 19/20-78-सी० एल० (24)]

S.O. 1664.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel No. S. O. 3894, dated the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 2510-acres (approximately) or 1016.55 hectares in villages Koihara, Kumbaradara (Kumbardhara), Sewai, Bhuchungdih, Hutugdag and Gourabera, Thana Ramgarh, District Hazaribagh (Bihar);

And whereas, (1) Somar Mahto, (1) Ram Charan Mahto both sons of Salikh Mahto, (3) Most Rudhani W/o Ledan Mahto, (4) Most Bhago W/o Jibu Mahto, (5) Jethu Mahto, (6) Makund Mahto both S/o Scolal Mahto, (7) Balram Mahto S/o Lalit Mahto, (8) Kitu Mahto, (9) Jodhan Mahto both S/o Budhu Mahto, (10) Pachu Mahto, (11) Khedan Mahto both S/o Sukhdeo Mahto, (12) Most Raso W/o Budhan Mahto of village Hutugdag, the person interested has, under section 13 of the said Act, preferred the claim to the competent authority for payment of compensation for an area of 1.09 acres or 0.44 hectares out of the said acquisition;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute to the sufficiency of the amount of compensation offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a part-time Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi.

[No. 19(20)/78-CL(24)]

का०आ० 1665.—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व खान और इंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० 3894 तारीख 22 दिसम्बर, 1962 जो कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन तैयार की गई थी, के अनुसरण में, कोईहारा, कुम्बारदारा (कुम्हारधारा), सिवई, भुचुंगडीह, हुटुगदाग और गौराबेरा, थाना रामगढ़, जिला हजारीबाग (बिहार) ग्रामों में 2510 एकड़ (लगभग) या 1016.55 हेक्टेयर भूमि अर्जित की है;

और भुचुंगडीह ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति (1) अमृत मेहतो पुत्र बिश्वा नाथ मेहतो (2) लालू मेहतो (3) रघु मेहतो दोनों मधु मेहतो के पुत्र (4) थाना राम मेहतो (5) परान मेहतो (6) मोहन मेहतो सभी सिसू मेहतो के पुत्र (7) कंचन मेहतो (8) कार्तिक मेहतो (9) कंचन मेहतो सभी मधु मेहतो के पुत्र ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन, उक्त अर्जन में से 1.69 एकड़ या 0.68 हेक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास दावा किया है;

और उक्त अर्जन के लिए देय प्रतिकर की रकम, प्रस्थापित प्रतिकर की रकम की पर्याप्तता की बाबत विवाद होने के कारण करार द्वारा नियत न की जा सकी और इस प्रकार प्रस्थापित रकम हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकार की गई है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह, ऊपर जिला और सेशन न्यायाधीश, रांची होंगे ।

[सं० 19/20/78-सी०एल० (22)]

S.O. 1665.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel No. S. O. 3894, dated the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 2510-acres (approximately) or 1016.55 hectares in villages Koihara, Kumbaradara (Kumbardhara), Sewai, Bhuchungdih, Hutugdag and Gourabera, Thana Ramgarh, District Hazaribagh (Bihar);

And whereas, (1) Amrit Mahto S/o Bishwanath Mahto, (2) Lalu Mahto, (3) Raghu Mahto both sons of Maghu

Mahto, (4) Ghana Ram Mahto, (5) Paran Mahto, (6) Mohan Mahto all sons of Sibu Mahto, (7) Kandan Mahto, (8) Kartik Mahto, (9) Kanchan Mahto all sons of Madhu Mahto of village Bhuchungdih, the person interested has, under section 13 of the said Act, preferred the competent authority for payment of compensation for an area of 1.69 acres or 0.68 hectares out of the said acquisition ;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute to the sufficiency of the amount of compensation offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a part-time Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi.

[No. 19(20)78-CL(22)]

का० आ० 1666.— केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व खान और ईंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3894 तारीख 22 दिसम्बर, 1962, जो कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन तैयार की गई थी, के अनुसरण में, कोईहारा, कुम्बारदारा (कुम्हार-धारा), सिवई, भुचुंगडीह, हुटुगदाग और गौराबेरा, थाना रामगढ़, जिला हजारीबाग (बिहार) ग्रामों में 2510 एकड़ (लगभग) या 1016.55 हेक्टेयर भूमि अर्जित की है ;

और भुचुंगडीह ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति (1) माहो करमावली (2) फूनू करमाली दोनों लाछू करमाली के पुत्र (3) राम बिलास करमाली पुत्र बद्री करमाली (4) अमर करमाली (5) बालकू करमाली दोनों गिरधारी करमाली के पुत्र ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन, उक्त अर्जन में से 0.56-1/2 एकड़ या 0.23 हेक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास दावा किया है ;

और उक्त अर्जन के लिए देय प्रतिकर की रकम, प्रस्थापित प्रतिकर की रकम की पर्याप्तता की बाबत विवाद होने के कारण करार द्वारा नियतन की जा सकी और इस प्रकार प्रस्थापित रकम हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकार की गई है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, रांची होंगे ।

[सं० 19/20/78-सी० एल०(26)]

S.O. 1666. Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel No. S. O. 3894, dated the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 2510-acres (approximately) or 1016.55 hectares in villages Koihara, Kumbaradara (Kumbardhara), Sewai, Bhuchungdih, Hutugdag and Gourabera, Thana Ramgarh, District Hazaribagh (Bihar) ;

And whereas, (1) Maho Karmali, (2) Phunu Karmali S/o Lachu Karmali, (3) Ram Bilas Karmali S/o Badri Karmali, (4) Amar Karmali, (5) Balku Karmali both sons of Girdhari Karmali of village Bhuchungdih, the person interested has, under section 13 of the said Act, preferred the competent authority for payment of compensation for an area of 0.5-1/2 acres or 0.23 hectares out of the said acquisition ;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute to the sufficiency of the amount of compensation offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a part-time Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi.

[No. 19(20)78-CL(26)]

का० आ० 1667.— केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व खान और ईंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3894 तारीख 22 दिसम्बर, 1962, जो कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन तैयार की गई थी, के अनुसरण में, कोईहारा, कुम्बारदारा (कुम्हार-धारा), सिवई, भुचुंगडीह, हुटुगदाग और गौराबेरा, थाना रामगढ़, जिला हजारीबाग (बिहार) ग्रामों में 2510 एकड़ (लगभग) या 1016.55 हेक्टेयर भूमि अर्जित की है ;

और कोईहारा ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति (1) मिठू पाहन (2) सिधू पाहन दोनों सिखू पाहन के पुत्र (3) लोकनाथ पाहन पुत्र लालधन पाहन (4) गजेन्द्र नाथ मंकी (5) पुसा मंकी (6) चैता मंकी (7) सहजू मंकी (8) बिशेश्वर मंकी सभी दयाल पाहन के पुत्र (9) गुलिया पाहन (10) निबारन पाहन दोनों धनपत पाहन के पुत्र (11) गहना पाहन (12) पिरूआ पाहन दोनों बलेश राम पाहन के पुत्र (13) श्रीमती सादमी पत्नी तुलसी पाहन (14) नागेश्वर पाहन (15) टिपा पाहन दोनों तुलसी पाहन के पुत्र (16) ननकू मंकी (17) बालकू मंकी दोनों विश्वनाथ पाहन के पुत्र (18) सैनाथ पाहन (19) चरका पाहन दोनों जिबा पाहन के पुत्र (20) मोगवा पाहन (21) मितिया पाहन दोनों सलखू पाहन के पुत्र (22) मिठू पाहन (23) बिरबाई पाहन दोनों उदय पाहन के पुत्र ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन, उक्त अर्जन में से 6.97 एकड़ या 2.82 हेक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकर के संदाय के लिए समक्ष प्राधिकारी के पास दावा किया है ;

और उक्त अर्जन के लिए देय प्रतिकर की रकम, प्रस्थापित प्रतिकर की रकम की पर्याप्तता की बाबत विवाद होने के कारण करार द्वारा नियतन की जा सकी और इस प्रकार प्रस्थापित रकम हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकार की गई है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, रांची होंगे ।

[सं० 19/20/78-सी० एल०(84)]

S.O. 1667.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel No. S. O. 3894, dated the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 2510-acres (approximately) or 1016.55 hectares in villages Koihara, Kumbaradara (Kumbardhara), Sewai, Bhuchungdih, Hutugdag and Gourabera, Thana Ramgarh, District Hazaribagh (Bihar) ;

And whereas, (1)Mithu Pahan, (2) Sithu Pahan both S/o Sikhu Pahan, (3) Loknath Pahan S/o Laldhan Pahan, (4) Gajendra Nath Manki,,(5) Pusa Manki, (6) Chaita Manki, (7) Sahaju Manki, (8) Bisheshwar Manki all S/o Dayal Pahan, (9) Gulia Pahan, (10) Nibaran Pahan both S/o Dhanpat Pahan, (11) Gahana Pahan, (12) Biruwa Pahan both S/o Balesh Ram Pahan, (13) Most Sadmi W/o Tulsi Pahan, (14) Nageshwar Pahan, (15) Tipa Pahan both S/o Tulsi Pahan, (16) Nanku Manki, (17) Balku Manki both S/o Bishwanath Pahan, (18) Sainth Pahan, (19) Charka Pahan both S/o Jiba Pahan, (20) Mogwa Pahan, (21) Mitia Pahan both S/o Salkhu Pahan, (22) Mithu Pahan, (23) Birwai Pahan both S/o Uday Pahan of village Koihara, the person interested has, under section 13 of the said Act, preferred the competent authority for payment of compensation for and area of 6.97 acres or 2.82 hectares out of the said acquisition ;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute to the sufficiency of the amount of compensation offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a part-time Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi.

[No. 19(20)78-CL(84)]

का० आ० 1668.— केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व खान और ईंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3894 तारीख 22 दिसम्बर, 1962, जो कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन तैयार की गई थी, के अनुसरण में, कोईहारा, कुम्बारदारा (कुम्हारधारा), सिवई, भुचुंगडीह, हुटुगदाग और गौराबेरा, थाना रामगढ़, जिला हजारीबाग (बिहार) ग्रामों में 2510 एकड़ (लगभग) या 1016.55 हेक्टेयर भूमि अर्जित की है ;

और भुचुंगडीह ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति (1) चन्दो मांझी पुत्र अतवा मांझी (2) बुधू मांझी पुत्र सुक्खू मांझी (3) बरहवा मांझी (4) लूथू मांझी (5) ठाकुर मांझी सभी घाना मांझी के पुत्र (6) सोनवा मांझी पुत्र मासो मांझी (7) श्रीमती रूपमनी पत्नी दासो मांझी (8) खिरिया करमा मांझी की पुत्री ने या उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन, उक्त अर्जन में से 6.51 एकड़ 2.63 हेक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास दावा किया है ;

और उक्त अर्जन के लिए देय प्रतिकर की रकम, प्रस्थापित प्रतिकर की रकम की पर्याप्तता की बाबत विवाद होने के कारण करार द्वारा नियतन की जा सकी और इस प्रकार प्रस्थापित रकम हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकार की गई है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, रांची होंगे।

[सं० 19/20/78-सी० एल०(25)]

S.O. 1668.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel No. S. O. 3894, dated the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 2510-acres (approximately) or 1016.55 hectares in villages Koihara, Kumbaradara (Kumbardhara), Sewai, Bhuchungdih, Hutugdag and Gourabera, Thana Ramgarh, District Hazaribagh (Bihar);

And whereas, (1) Chando Manjhi S/o Atwa Manjhi, (2) Budhu Manjhi son of Sukhu Manjhi, (3) Barhwa Manjhi, (4) Luthu Manjhi, (5) Thakur Manjhi all sons of Chuna Manjhi, (6) Sonwa Manjhi S/o Baso Manjhi, (7) Most Rupmani W/o Daso Manjhi, (8) Khiriya D/o Karma Manjhi of village Bhuchungdih, the person interested, has under section 13 of the said Act, preferred the competent authority for payment of compensation for an area of 6.51 acres or 2.63 hectares out of the said acquisition ;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute to the sufficiency of the amount of compensation offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a part-time Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi.

[No. 19(20)78-CL(25)]

का० आ० 1669.— केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व खान और ईंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3894 तारीख 22 दिसम्बर, 1962, जो कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन तैयार की गई थी, के अनुसरण में, कोईहारा, कुम्बारदारा (कुम्हारधारा), सिवई, भुचुंगडीह, हुटुगदाग और गौराबेरा, थाना रामगढ़, जिला हजारीबाग (बिहार) ग्रामों में 2510 एकड़ (लगभग) या 1016.55 हेक्टेयर भूमि अर्जित की है ;

और सिवई ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति (1) राम लगन साओ (2) बलराम साओ दोनों गिरिधारी साओं के पुत्र (3) बहरहन साओ (4) बंसी साओ दोनों जादू साओ के पुत्र ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन, उक्त अर्जन में से 1.71 एकड़ या 0.69 हेक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास दावा किया है ;

और उक्त अर्जन के लिए देय प्रतिकर की रकम, प्रस्थापित प्रतिकर की रकम की पर्याप्तता की बाबत विवाद होने के कारण करार द्वारा नियतन की जा सकी और इस प्रकार प्रस्थापित रकम हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकार की गई है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, रांची होंगे।

[सं 19/20/78-सी० एल०(83)]

S.O. 1669.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel No. S.O. 3894, dated the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 2510 acres (approximately) or 1016.55 hectares in villages Koihara Kumbaradara (Kumbardhara), Sewai, Bhuchungdih, Hutugdag and Gourabera, Thana Ramgarh, District Hazaribagh (Bihar);

And whereas, (1) Ram Lagan Sao, (2) Balram Sao both S/o Gigidhari Sao, (3) Barhan Sao, (4) Bansi Sao both S/o Jadi Sao of village Sewai, the person interested has, under section 13 of the said Act, preferred the competent authority for payment of compensation for an area of 1.71 acres or 0.69 hectares out of the said acquisition;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute to the sufficiency of the amount of compensation offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a part-time Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi.

[No. 19(20)78-CL(83)]

का० आ० 1670.— केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व खान और ईंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3894 तारीख 22 दिसम्बर, 1962, जो कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन तैयार की गई थी, के अनुसरण में, कोईहारा, कुम्बारदारा (कुम्हारधारा), सिवई, भुचुंगडीह, हुटुगदाग और गौराबेरा, थाना रामगढ़, जिला हजारीबाग (बिहार) ग्रामों में 2510 एकड़ (लगभग) या 1016.55 हेक्टेयर भूमि अर्जित की है ;

और सिवई ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति सोना राम मेहतो पुत्र काद मेहतो ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन, उक्त अर्जन में से 6.12 एकड़ या 2.48 हेक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास दावा किया है ;

और उक्त अर्जन के लिए देय प्रतिकर की रकम, प्रस्थापित प्रतिकर की रकम की पर्याप्तता की बाबत विवाद होने के कारण करार द्वारा नियतन की जा सकी और इस प्रकार प्रस्थापित रकम हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकार की गई है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, रांची होंगे।

[सं० 19/20/78-सी० एल०(82)]

S.O. 1970.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel No. S. O. 3894, dated the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 2510-acres (approximately) or 1016.55 hectares in villages Koihara, Kumbaradara (Kumbardhara), Sewai, Bhuchungdih, Hutugdag and Gourabera, Thana Ramgarh, District Hazaribagh (Bihar);

And whereas Sona Ram Mahto S/o Karu Mahto of village Sewai, the person interested has, under section 13 of the said Act, preferred the competent authority for payment of compensation for an area of 16.2 acres or 2.48 hectares out of the said acquisition ;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute to the sufficiency of the amount of compensation offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a part-time Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi.

[No. 19(20)78-CL(82)]

का० आ० 1671.— केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व खान और ईंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3894 तारीख 22 दिसम्बर, 1962, जो कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन तैयार की गई थी, के अनुसरण में, कोईहारा, कुम्बारदारा (कुम्हारधारा), सिवई, भुचुंगडीह, हुटुगडाग और गौराबेरा, थाना रामगढ़, जिला हजारीबाग (बिहार) ग्रामों में 2510 एकड़ (लगभग) या 1016.55 हेक्टेयर भूमि अर्जित की है ;

और भुचुंगडीह ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति (1) शिवदास साहू (2) बुधन साहू (3) बिजो साहू (4) लक्खी नारायण साहू (5) नीटू साहू (6) राधारमण साहू सभी भवानी साहू के पुत्र ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन, उक्त अर्जन में से 0.67 एकड़ या 0.27 हेक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास दावा किया है ;

और उक्त अर्जन के लिए देय प्रतिकर की रकम, प्रस्थापित प्रतिकर की रकम की पर्याप्तता की बाबत विवाद होने के कारण करार द्वारा नियतन की जा सकी और इस प्रकार स्थापित रकम हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकार की गई है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, रांची होंगे।

[सं० 19/20/78-सी० एल०(46)]

S.O. 1671.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel No. S. O. 3894, dated the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 2510-acres (approximately) or 1016.55 hectares in villages Koihara, Kumbaradara (Kumbardhara), Sewai, Bhuchungdih, Hutugdag and Gourabera, Thana Ramgarh, District Hazaribagh (Bihar);

And whereas, (1) Shivdas Sahu, (2) Budhan Sahu, (3) Dljo Sahu, (4) Lakhi Narain Sahu, (5) Nito Sahu, (6) Radha Raman Sahu all sons of Bhawani Sahu of village Bhuchungdih, the person interested has, under section 13 of the said Act, preferred the competent authority for payment of compensation for an area of 0.67 acres or 0.27 hectares out of the said acquisition ;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute to the sufficiency of the amount of compensation offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a part-time Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi.

[No. 19(20)78-CL(46)]

का० आ० 1672.—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व खान और ईंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3894 तारीख 22 दिसम्बर, 1962, जो कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन तैयार की गई थी, के अनुसरण में, कोईहारा, कुम्बारदारा (कुम्हारधारा), सिवई, भुचुंगडीह, हुटुगडाग और गौराबेरा, थाना रामगढ़, जिला हजारीबाग (बिहार) ग्रामों में 2510 एकड़ (लगभग) या 1016.55 हेक्टेयर भूमि अर्जित की है;

और सिवई ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति (1) महाबीर साहू पुत्र मोहन साहू (2) चरकू साहू पुत्र जीत राम साहू ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन, उक्त अर्जन में से 2.37 एकड़ या 0.96 हेक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास दावा किया है;

और उक्त अर्जन के लिए देय प्रतिकर की रकम, प्रस्थापित प्रतिकर की रकम की पर्याप्तता की बाबत विवाद होने के कारण करार द्वारा नियतन की जा सकी और इस प्रकार प्रस्थापित रकम हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकार की गई है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, रांची होंगे।

[सं० 19/20/78-सी०एल०(81)]

S.O. 1672.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel No. S. O. 3894, dated the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 2510-acres (approximately) or 1016.55 hectares in villages Koihara, Kumbaradara (Kumbardhara), Sewai, Bhuchungdih, Hutugdag and Gourabera, Thana Ramgarh, District Hazaribagh (Bihar);

And whereas, (1) Mahabir Sahu S/o Mohan Sahu, (2) Charku Sahu S/o Jit Ram Sahu of village Sewai, the person interested has, under section 13 of the said Act, preferred the competent authority for payment of compensation for an area of 2.37 acres or 0.96 hectares out of the said acquisition ;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute to the sufficiency of the amount of compensation offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a part-time Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi.

[No. 19(20)78-CL(81)]

का० आ० 1673.—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व खान और ईंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3894 तारीख 22 दिसम्बर, 1962, जो कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन तैयार की गई थी, के अनुसरण में, कोईहारा, कुम्बारदारा (कुम्हारधारा), सिवई, भुचुंगडीह, हुटुगदाग और गोराबेरा, थाना रामगढ़, जिला हजारीबाग (बिहार) ग्रामों में 2510 एकड़ (लगभग) या 1016.55 हेक्टेयर भूमि अर्जित की है;

और भुचुंगडीह ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति (1) केटू मेहतो (2) जोधन मेहतो दोनों बुधन मेहतो के पुत्र (3) श्रीमती रासो पत्नी बुधू मेहतो (4) पंचू मेहतो (5) खेदान मेहतो दोनों सुखदेव मेहतो के पुत्र ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन, उक्त अर्जन में से 0.40 एकड़ या 0.16 हेक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास दावा किया है;

और उक्त अर्जन के लिये देय प्रतिकर की रकम, प्रस्थापित प्रतिकर की रकम की पर्याप्तता की बाबत विवाद होने के कारण करार द्वारा नियत न की जा सकी और इस प्रकार प्रस्थापित रकम हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकार की गई है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, रांची होंगे।

[सं० 19/20/78-सी०एल०(45)]

S.O. 1673.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel No. S. O. 3894, dated the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 2510-acres (approximately) or 1016.55 hectares in villages Koihara, Kumbaradara (Kumbardhara), Sewai, Bhuchungdih, Hutugdag and Gourabera, Thana Ramgarh, District Hazaribagh (Bihar);

And whereas, (1) Ketu Mahto, (2) Jodhan Mahto both sons of Budhan Mahto, (3) Most Raso W/ Budhan Mahto, (4) Panchu Mahto, (5) Khedan Mahto both sons of Sukhdeo Mahto of village Bhuchungdih, the person interested has, under section 13 of the said Act, preferred the competent authority for payment of compensation for an area of 0.40 acres or 0.16 hectares out of the said acquisition ;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute to the sufficiency of the amount of compensation offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a part-time Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi.

[No. 19(20)78-CL(45)]

का० आ० 1674.—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व खान और ईंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3894 तारीख 22 दिसम्बर, 1962, जो कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन तैयार की गई थी, के अनुसरण में, कोईहारा, कुम्बारदारा (कुम्हारधारा), सिवई, भुचुंगडीह, हुटुगदाग और गोराबेरा थाना रामगढ़, जिला हजारीबाग (बिहार) ग्रामों में 2510 एकड़ (लगभग) या 1016.55 हेक्टेयर भूमि अर्जित की है;

और कोईहारा ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति (1) मगवा (2) मटिया दोनों सलखू पाहन के पुत्र (3) माहू पाहन (4) बिरसाई पाहन दोनों उदय पाहन के पुत्र (5) मिठू पाहन (6) सिपू पाहन दोनों सुखी पाहन के पुत्र (7) लोकन पाहन पुत्र लाल धन पाहन (8) श्रीमती पन्डको पत्नी लाल धन पाहन ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन, उक्त अर्जन में से 10.36 एकड़ या 4.19 हेक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास दावा किया है;

और उक्त अर्जन के लिए देय प्रतिकर की रकम, प्रस्थापित प्रतिकर की रकम की पर्याप्तता की बाबत विवाद होने के कारण करार द्वारा नियत न की जा सकी और इस प्रकार प्रस्थापित रकम हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकार की गई है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण गठित करती जिसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, रांची होंगे।

[सं० 19/20/78-सी०एल०(13)]

S.O. 1674.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel No. S. O. 3894, dated the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 2510-acres (approximately) or 1016.55 hectares in villages Koihara, Kumbaradara (Kumbardhara), Sewai, Bhuchungdih, Hutugdag and Gourabera, Thana Ramgarh, District Hazaribagh (Bihar);

And whereas, (1) Magwa, (2) Matia both sons of Salkhu Pahan,(3) Mahu Pahan, (4) Birsai Pahan both sons of Udaya Pahan, (5) Mithu Pahan, (6) Sithu Pahan both sons of Sukhi Pahan, (7) Lokan Pahan S/o Lal Dhan Pahan, (8) Most Pandko W/o Lal Dhan Pahan of village Koihara, the person interested has, under section 13 of the said Act, pereferred the competent authority for payment of compensation for an area of 10.36 acres or 4.19 hectares out of the said acquisition ;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute to the sufficiency of the amount of compensation offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1947, the Central Government hereby constitutes a part-time Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi.

[No. 19(20)78-CL(13)]

का० आ० 1675.—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व खान और ईंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3894 तारीख 22 दिसम्बर, 1962, जो कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन तैयार की गई थी, के अनुसरण में, कोईहारा, कुम्बारदारा (कुम्हारधारा), सिवई, भुचुंगडीह, हुटुगदाग और गोराबेरा, थाना रामगढ़, जिला हजारीबाग (बिहार) ग्रामों में 2510 एकड़ (लगभग) या 1016.55 हेक्टेयर भूमि अर्जित की है;

और भुचुंगडीह ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति श्रीमती असीबन पत्नी शेख रमजान ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन, उक्त अर्जन में से 0.12 एकड़ या 0.05 हेक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास दावा किया है;

और उक्त अर्जन के लिए देय प्रतिकर की रकम, प्रस्थापित प्रतिकर की रकम की पर्याप्तता की बाबत विवाद होने के कारण करार द्वारा नियत न की जा सकी और इस प्रकार प्रस्थापित रकम हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकार की गई है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, रांची होंगे।

[सं० 19/20/78-सी०एल० (38)]

S.O. 1675.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel No. S. O. 3894, dated the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 2510 acres (approximately) or 1016.55 hectares in villages Koihara, Kumbaradara (Kumbardhara), Sewai, Bhuchungdih, Hutugdag and Gourabera, Thana Ramgarh, District Hazaribagh (Bihar);

And, whereas Most. Masidan W/o Sd. Ramjan of village Bhuchungdih, the person interested has, under section 13 of the said Act, preferred the competent authority for payment of compensation for an area of 0.12 acres or 0.05 hectares out of the said acquisition;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute to the sufficiency of the amount of compensation offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a part-time Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi.

[No. 19(20)78-CL(38)]

का० आ० 1676.—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व खान और इंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3894 तारीख 22 दिसम्बर, 1962, जो कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन तैयार की गई थी, के अनुसरण में, कोईहारा, कुम्बारदारा (कुम्हारधारा), सिवई, भुचुंगडीह, हुटुगडाग और गौराबेरा, थाना रामगढ़, जिला हजारीबाग (बिहार) ग्रामों में 2510 एकड़ (लगभग) या 1016.55 हेक्टेयर भूमि अर्जित की है;

और भुचुंगडीह ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति (1) बंधु मेहतो पुत्र भादो मेहतो (2) बोधी मेहतो पुत्र दयाल मेहतो (3) लोलू मेहतो पुत्र बिसू मेहतो (4) अर्जुन मेहतो पुत्र सीताराम मेहतो ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन, उक्त अर्जन में से 21.99-1/6 एकड़ या 8.90 हेक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास दावा किया है;

और उक्त अर्जन के लिए देय प्रतिकर की रकम, प्रस्थापित प्रतिकर की रकम की पर्याप्तता की बाबत विवाद होने के कारण करार द्वारा नियतन की जा सकी और इस प्रकार प्रस्थापित रकम हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकार की गई है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, रांची होंगे।

[सं० 19/20/78-सी०एल० (37)]

S.O. 1676.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel No. S. O. 3894, dated the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 2510 acres (approximately) or 1016.55 hectares in villages Koihara, Kumbaradara (Kumbardhara), Sewai, Bhuchungdih, Hutugdag and Gourabera, Thana Ramgarh, District Hazaribagh (Bihar);

And whereas, (1) Bandhu Mahto S/o Bhado Mahto, (2) Bodhi Mahto S/o Dayal Mahto, (3) Lilu Mahto S/o Bishu Mahto, (4) Arjun Mahto S/o Sitaram Mahto of village Bhuchungdih, the person interested has, under section 13 of the said Act, preferred the competent authority for payment of compensation for an area of 21.99-1/6 acres or 8.90 hectares out of the said acquisition;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute to the sufficiency of the amount of compensation offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a part-time Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi.

[No. 19(20)78-CL(37)]

का० आ० 1677.—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व खान और इंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3894 तारीख 22 दिसम्बर, 1962, जो कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन तैयार की गई थी, के अनुसरण में, कोईहारा, कुम्बारदारा (कुम्हारधारा), सिवई, भुचुंगडीह, हुटुगडाग और गौराबेरा, थाना रामगढ़, जिला हजारीबाग (बिहार) ग्रामों में 2510 एकड़ (लगभग) या 1016.55 हेक्टेयर भूमि अर्जित की है;

और भुचुंगडीह ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति पित मेहतो पुत्र खेदू मेहतो ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन, उक्त अर्जन में से 7.30-5/6 एकड़ या 2.96 हेक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास दावा किया है;

और उक्त अर्जन के लिए देय प्रतिकर की रकम, प्रस्थापित प्रतिकर की रकम की पर्याप्तता की बाबत विवाद होने के कारण करार द्वारा नियतन की जा सकी और इस प्रकार प्रस्थापित रकम हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकार की गई है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण गठित करती है जिसमें जिसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, रांची होंगे।

[सं० 19/20/78-सी०एल० (36)]

S.O. 1677.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel No. S.O. 3894, dated the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 2510 acres (approximately) or 1016.55 hectares in villages Koihara, Kumbaradara (Kumhardhara), Sewai, Bhuchungdih, Hutugdag and Gourabera, Thana Ramgarh, District Hazaribagh (Bihar);

And whereas (1) Bipat Mahto S/o. Khedu Mahto, of village Bhuchungdih, the person interested has, under section 13 of the said Act, preferred the competent authority for payment of compensation for an area of 7.30-5/6 acres or 2.96 hectares out of the said acquisition;

And whereas the amount of compensation paybale for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute to the sufficiency of the amount of compention offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a part-time Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi.

[No. 19(20)/78-CL (36)]

का० आ० 1678:—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व खान और ईंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3894 तारीख 22 दिसम्बर, 1962, जो कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन तैयार की गई थी, के अनुसरण में, कोईहारा, कुम्भारडारा (कुम्हारधारा), सिवई, भुचुंगडीह, हुटुगडाग और गौराबेरा, थाना रामगढ़, जिला हजारी बाग (बिहार) ग्रामों में 5210 एकड़ (लगभग) या 1016.55 हैक्टेयर भूमि अर्जित की है।

और भुचुंगडीह ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति (1) शेख अशरफ अली (2) कमरुद्दीन दोनों शेख अरशाद अली के पुत्र ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन, उक्त अर्जन में से 7.14 एकड़ या 2.89 हैक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकर के संदाय के लिए समक्ष प्राधिकारी के पास दावा किया है।

और उक्त अर्जन के लिए देय प्रतिकर की रकम, प्रस्थापित प्रतिकर की रकम की पर्याप्तता की बाबत विवाद होने के कारण करार द्वारा नियत न की जा सकी और इस प्रकार प्रस्थापित रकम हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकार की गई है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, रांची होंगे।

[सं० 19/20/78-सी०एल० (32)]

S.O. 1678.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel No. S.O. 3894, dated the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 2510 acres (approximately) or 1016.55 hectares in villages Kojhara, Kumbaradara (Kumhardhara), Sewai, Bhuchungdih, Hutugdag and Gourabera, Thana Ramgarh, District Hazaribagh (Bihar) ;

And whereas (1) SK. Ashraf Ali (2) Kamaruddin both sons of Sk. Arsad Ali, of village Bhuchungdih, the person interested has, under section 13 of the said Act, preferred the competent authority for payment of compensation for an area of 7.14 acres or 2.89 hectares out of the said acquisition :

And whereas the amount of compensation payable for the the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute to the sufficiency of the amount of compensation offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a part-time Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi.

[No. 19(20)/78-CL (32)]

का० आ० 1679:—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व खान और ईंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3894 तारीख 22 दिसम्बर, 1962 जो कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन तैयार की गई थी, के अनुसरण में, कोईहारा, कुम्बारडारा (कुम्हारधारा), सिवई, भुचुंगडीह, हुटुगडाग और गौराबेरा, थाना रामगढ़, जिला हजारी बाग (बिहार) ग्रामों में 2510 एकड़ (लगभग) या 1016.55 हैक्टेयर भूमि अर्जित की है ;

और सिवई ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति (1) गनेश चौधरी (2) नन्द लाल चौधरी दोनों जगेश्वर चौधरी के पुत्र (3) श्रीमती जनुन्दा चौधरी पत्नी स्वर्गीय जगेश्वर चौधरी (4) भुवनेश्वर चौधरी (5) रामेश्वर चौधरी (6) हीरा लाल चौधरी सभी जयनन्दन चौधरी के पुत्र ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन उक्त अर्जन में से 4.72 एकड़ या 1.91 हैक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकर के संदाय के लिए समक्ष प्राधिकारी के पास दावा किया है ;

और उक्त अर्जन के लिए देय प्रतिकर की रकम, प्रस्थापित प्रतिकर की रकम की पर्याप्तता की बाबत विवाद होने के कारण करार द्वारा नियत न की जा सकी और इस प्रकार प्रस्थापित रकम हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकार की गई है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, रांची होंगे।

[सं० 19/20/78-सी०एल० (79)]

S.O. 1679.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel No. S.O. 3894, dated the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 2510 acres (approximately) or 1016.55 hectares in villages Kojhara, Kumbaradara (Kumhardhara), Sewai, Bhuchungdih, Hutugdag and Gourabera, Thana Ramgarh, District Hazaribagh (Bihar) ;

And whereas, (1) Ganesh Choudhry (2) Nand Lal Choudhury both sons of Jageshwar Choudhury (3) Most Janunda Choudhury W/o. Late Jageshwar Choudhury (4) Bhuneshwar Choudhury (5) Rameshwar Choudhury (6) Hira Lal Choudhury all sons of Jainandan Choudhury, of village Sewal, the person interested has, under section 13 of the said Act, preferred the competent authority for payment of compensation for an area of 4.72 acres or 1.91 hectares out of the acquisition ;

And whereas the amount of compensation paybale for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute to the sufficiency of the amount of compention offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a part-time Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi.

[No. 19(20)/78-CL (79)]

का० आ० 1680.—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व खान और ईंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3894 तारीख 22 दिसम्बर, 1962, जो कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन तैयार की गई थी, के अनुसरण में, कोईहारा, कुम्बारडारा (कुम्हारधारा), सिवई, भुचुंगडीह, हुटुगडाग और गौराबेरा, थाना रामगढ़, जिला हजारीबाग (बिहार) ग्रामों में 25.10 एकड़ (लगभग) या 1016.55 हेक्टेयर भूमि अर्जित की है,

और कोईहारा ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति श्रीमती बिलासो कुमारी पत्नी सुखदेव राय ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन, उक्त अर्जन में से 3.76 एकड़ या 1.52 हेक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास दावा किया है ;

और उक्त अर्जन के लिए देय प्रतिकर की रकम, प्रस्थापित प्रतिकर की रकम की पर्याप्तता की बाबत विवाद होने के कारण करार द्वारा नियत न की जा सकी और इस प्रकार प्रस्थापित रकम हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकार की गई है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, राँची होंगे ।

[सं० 19/20/78-सी० एल० (17)]

S.O. 1680.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel No. S.O. 3894, dated the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 2510 acres (approximately) or 1016.55 hectares in villages Koihara, Kumbaradara (Kumhardhara), Sewai, Bhuchungdih, Hutugdag and Gourabera, Thana Ramgarh, District Hazaribagh (Bihar) ;

And whereas Most Bilaso Kumari W/o. Sukhdeo Rai of village Koihara, the person interested has, under section 13 of the said Act, preferred the competent authority for payment of compensation for an area of 3.76 acres or 1.52 hectares out of the said acquisition ;

And whereas the amount of compensation paybale for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute to the sufficiency of the amount of compention offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a part-time Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi.

[No. 19(20)/78-CL (17)]

का० आ० 1681.—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व खान और ईंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3894 तारीख 22 दिसम्बर, 1962 जो कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन तैयार की गई थी, के अनुसरण में, कोईहारा, कुम्बारडारा (कुम्हारधारा), सिवई, भुचुंगडीह, हुटुगदाग और गौराबेरा, थाना रामगढ़ जिला हजारीबाग (बिहार) ग्रामों में 2510 एकड़ (लगभग) या 1016.55 हेक्टेयर भूमि अर्जित की है।

और भुचुंगडीह ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति श्रीमती सावित्री पत्नी मधु साहू ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन, उक्त अर्जन में से 1.93½ एकड़ या 0.78 हेक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास दावा किया है;

और उक्त अर्जन के लिए देय प्रतिकर की रकम, प्रस्थापित प्रतिकर की रकम की पर्याप्तता की बाबत विवाद होने के कारण करार द्वारा नियतन की जा सकी और इस प्रकार प्रस्थापित रकम हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकार की गई है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, राँची होंगे।

[सं० 19/20/78-सी० एल० (43)]

S.O. 1681.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel No. S.O. 3894, dated the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 2510 acres (approximately) or 1016.55 hectares in villages Koihara, Kumbaradara (Kumhardhara), Sewai, Bhuchungdih, Hutugdag and Gourabera, Thana Ramgarh, District Hazaribagh (Bihar) ;

And whereas Most Savitiri W/o. Madhu Sahu of village Bhuchungdih, the person interested has, under section 13 of the saiad Act, preferred the competent authority for payment of compensation for an area of 1.93½ acres or 0.78 hectares out of the said acquisition ;

And whereas the amount of compensation paybale for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute to the sufficiency of the amount of compention offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a part-time Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi.

[No. 19(20)/78-CL (43)]

का० आ० 1682.—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व खान और ईंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3894 तारीख 22 दिसम्बर, 1962, जो कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन तैयार की गई थी, के अनुसरण में, कोईहारा, कुम्बारडारा (कुम्हारधारा), सिवई, भुचुंगडीह, हुटुगदाग और गौराबेरा, थाना रामगढ़, जिला हजारीबाग (बिहार) ग्रामों में 2510 एकड़ (लगभग) या 1016.55 हेक्टेयर भूमि अर्जित की है।

और भुचुंगडीह ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति (1) तिलक महतो (2) कमल महतो (3) श्यामलाल महतो (4) सुखलाल महतो सभी रामचरन महतो के पुत्र ने उक्त अधिनियम, की धारा 13 के अधीन, उक्त अर्जन में से 2.61 एकड़ या 1.056 हेक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास दावा किया है।

और उक्त अर्जन के लिए देय प्रतिकर की रकम, प्रस्थापित प्रतिकर की रकम की पर्याप्तता की बाबत विवाद होने के कारण करार द्वारा नियत न की जा सकी और इस प्रकार प्रस्थापित रकम हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकार की गई है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, राँची होंगे।

[सं० 19/20/78-सी०एल० (42)]

S.O. 1682.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel No. S.O. 3894, dated the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 2510 acres (approximately) or 1016.55 hectares in villages Koihara, Kumbaradara (Kumhardhara), Sewai, Bhuchungdih, Hutugdag and Gourabera, Thana Ramgarh, District Hazaribagh (Bihar) ;

And whereas (1) Tilak Mahto (2) Kamal Mahto (3) Shyamlal Mahto (4) Sukhlal Mahto all sons of Ram Charan Mahto of village Bhuchungdih, the person interested has, under section 13 of the said Act, preferred the competent authority for payment of compensation for an area of 2.61 acres or 1.056 hectares out of the said acquisition ;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement there

being a dispute to the sufficiency of the amount of compention offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a part-time Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi.

[No. 19(20)/78-CL (42)]

का० आ० 1683.—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व खान और ईंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3894 तारीख 22 दिसम्बर, 1962, जो कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन तैयार की गई थी, के अनुसरण में, कोईहारा, कुम्बारदारा (कुम्हारधारा), सिवई, भुचुंगडीह, हुटुगवाग और गौराबेरा, थाना रामगढ़, जिला हजारीबाग (बिहार) ग्रामों में 2510 एकड़ (लगभग) या 1016.55 हेक्टेयर भूमि अर्जित की है।

और भुचुंगडीह ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति ब्रजलाल मेहतो पुत्र नागो मेहतो ने उक्त अधिनियम, की धारा 13 के अधीन, उक्त अर्जन में से 4.84 एकड़ या 1.95 हेक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास दावा किया है ।

और उक्त अर्जन के लिए देय प्रतिकर की रकम, प्रस्थापित प्रतिकर की रकम की पर्याप्तता की बाबत विवाद होने के कारण करार द्वारा नियतन की जा सकी और इस प्रकार प्रस्थापित रकम हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकार की गई है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, रांची होंगे।

[सं० 19/20/78-सी-एल० (33)]

S.O. 1683.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel No. S.O. 3894, dated the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 2510 acres (approximately) or 1016.55 hectares in villages Koihara, Kumbaradara (Kumhardhara), Sewai, Bhuchungdih, Hutugdag and Gourabera, Thana Ramgarh, District Hazaribagh (Bihar) ;

And whereas Braj Lal Mahto S/o. Nago Mahto of village Bhuchungdih, the person interested has, under section 13 of the said Act, preferred the competent authority for payment of compensation for an area of 4.84 acres or 1.95 hectares out of the said acquisition ;

And whereas the amount of compensation paybale for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute to the sufficiency of the amount of compention offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a part-time Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi.

[No. 19(20)/78-CL (33)]

का०आ० 1684.—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व खान और ईंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 3894, तारीख 22 दिसम्बर 1962, जो कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन तैयार की गई थी, के अनुसरण में, कोईहारा, कुम्बारदारा (कुम्हारधारा), सिवई, भुचुंगडीह, हुटुगवाग और गौराबेरा, थाना रामगढ़, जिला हजारीबाग (बिहार) ग्रामों में 2510 एकड़ (लगभग) या 1016.55 हेक्टेयर भूमि अर्जित की है;

और कोईहारा ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति श्रीमती पुनिया पत्नी गाजो भगत ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन, उक्त अर्जन में से 0.14 एकड़ या 0.05 हेक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास दावा किया है;

और उक्त अर्जन के लिए देय प्रतिकर की रकम, प्रस्थापित प्रतिकर की रकम की पर्याप्तता की बाबत विवाद होने के कारण करार द्वारा नियतन की जा सकी और इस प्रकार प्रस्थापित रकम हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकार की गई है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, रांची होंगे।

[सं० 19/20/78-सी०एल० (18)]

S.O. 1684.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel No. S.O. 3894, dated the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 2510 acres (approximately) or 1016.55 hectares in villages Koihara, Kumbaradara (Kumhardhara), Sewai, Bhuchungdih, Hutugdag and Gourabera, Thana Ramgarh, District Hazaribagh (Bihar) ;

And whereas Most Punia W/o Gajo Bhagat of village Koihara, the person interested has, under section 13 of the said Act, preferred the competent authority for payment of compensation for an area of 0.14 acres or 0.05 hectares out of the said acquisition ;

And whereas the amount of compensation paybale for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute to the sufficiency of the amount of compention offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a part-time Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi.

[No. 19(20)/78-CL (18)]

का०आ० 1685.—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व खान और ईंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० 3894, तारीख 22 दिसम्बर, 1962, जो कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन तैयार की गई थी, के अनुसरण में, कोईहारा, कुम्बारदारा (कुम्हारधारा), सिवई, भुचुंगडीह, हुटुगवाग और गौराबेरा, थाना रामगढ़, जिला हजारीबाग (बिहार) ग्रामों में 2510 एकड़ (लगभग) या 1016.55 हेक्टेयर भूमि अर्जित की है;

और भचुंगडीह ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति (1) जया मांझी (2) बिरसई मांझी (3) चरन मांझी सभी फागू मांझी के पुत्र (4) भगवान दास मांझी पुत्र बीरा मांझी (5) बुधू मांझी पुत्र विजय मांझी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन, उक्त अर्जन में से 4.65 एकड़ या 1.88 हेक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास दावा किया है;

और उक्त अर्जन के लिए देय प्रतिकर की रकम, प्रस्थापित प्रतिकर की रकम की पर्याप्तता की बाबत विवाद होने के कारण करार द्वारा

नियतन की जा सकी और इस प्रकार प्रस्थापित रकम हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकार की गई है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, रांची होंगे ।

[सं० 19/20/78-सी०एल० (44)]

S.O. 1685.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel No. S.O. 3894, dated the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 2510 acres (approximately) or 1016.55 hectares in villages Koihara, Kumbaradara (Kumhardhara), Sewai, Bhuchungdih, Hutugdag and Gourabera, Thana Ramgarh, District Hazaribagh (Bihar) ;

And whereas (1) Jaya Manjihi (2) Binsai Manjihi (3) Charan Manjhi all sons of Phagu Manjhi (4) Bhagwan Das Manjhi S/o. Khaira Manjhi (5) Budhu Manjhi S/o. Bijai Manjhi of village Bhuchungdih, the person interested has, under section 13 of the said Act, preferred the competent authority for payment of compensation for an area of 4.65 acres or 1.88 hectares out of the said acquisition :

And whereas the amount of compensation paybale for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute to the sufficiency of the amount of compention offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a part-time Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi.

[No. 19(20)/78-CL (44)]

का०आ० 1686.—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व खान और ईंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० 3894, तारीख 22 दिसम्बर 1962, जो कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन तैयार की गई थी, के अनुसरण में, कोईहारा, कुम्बारदारा (कुम्हारधारा), सिवई, भुचुंगडीह, हुटुगडाग और गौराबेरा, थाना रामगढ़, जिला हजारीबाग (बिहार) ग्रामों में 2510 एकड़ (लगभग) या 1016.55 हेक्टेयर भूमि अर्जित की है;

और भुचुंगडीह ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति (1) मलिक शमसुद्दीन (2) मलिक वाहजुद्दीन (3) मलिक मंजूर सभी मलिक मौहम्मद गौस के पुत्र ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन, उक्त अर्जन में से 1.32½ एकड़ या 0.537 हेक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास दावा किया है;

और उक्त अर्जन के लिए देय प्रतिकर की रकम, प्रस्थापित प्रतिकर की रकम की पर्याप्तता की बाबत विवाद होने के कारण करार द्वारा नियतन की जा सकी और इस प्रकार प्रस्थापित रकम हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकार की गई है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, रांची होंगे ।

[सं० 19/20/78-सी० एल० (3)]

112 GI/79—11

S.O. 1686.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel No. S.O. 3894, dated the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 2510 acres (approximately) or 1016.55 hectares in villages Koihara, Kumbaradara (Kumhardhara), Sewai, Bhuchungdih, Hutugdag and Gourabera, Thana Ramgarh, District Hazaribagh (Bihar) ;

And whereas (1) Mullick Shamshuddin (2) Mullick Wahazuddin (3) Mullick Manjur all sons of Mullick Mohhamed Gause of village Bhuchungdih, the person interested has, under section 13 of the said Act, preferred the competent authority for payment of compensation for an area of 1.32½ acres or 0.537 hectares out of the said acquisition ;

And whereas the amount of compensation paybale for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute to the sufficiency of the amount of compention offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a part-time Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi.

[No. 19(20)/78-CL (3)]

का०आ० 1687.—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व खान और ईंधन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० 3894, तारीख 22 दिसम्बर, 1962, जो कि कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 के अधीन तैयार की गई थी, के अनुसरण में, कोईहारा, कुम्बारदारा (कुम्हारधारा), सिवई, भुचुंगडीह, हुटुगडाग और गौराबेरा, थाना रामगढ़, जिला हजारीबाग (बिहार) ग्रामों में 2510 एकड़ (लगभग) या 1016.55 हेक्टेयर भूमि अर्जित की है;

और सिवई ग्राम के हितबद्ध व्यक्ति (1) बैदनाथ चौधरी (2) छत्रानाथ चौधरी (3) थानेश्वर चौधरी सभी हुकम चौधरी के पुत्र ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन उक्त अर्जन में से 1.36½ एकड़ या 0.54 हेक्टेयर क्षेत्र के प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास दावा किया है ;

और उक्त अर्जन के लिए देय प्रतिकर की रकम, प्रस्थापित प्रतिकर की रकम की पर्याप्तता की बाबत विवाद होने के कारण करार द्वारा नियतन की जा सकी और इस प्रकार प्रस्थापित रकम हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद सहित स्वीकार की गई है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अंशकालिक अधिकरण गठित करती है जिसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह, अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, रांची होंगे ।

[सं० 19/20/78-सी०एल० (80)]

एस० आर० ए० रिजवी, निदेशक

S.O. 1687.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Mines and Fuel No. S.O. 3894, dated the 22nd December, 1962 made under section 9 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 2510 acres (approximately) or 1016.55 hectares in villages Koihara, Kumbaradara (Kumhardhara), Sewai, Bhuchungdih, Hutugdag and Gourabera, Thana Ramgarh, District Hazaribagh (Bihar) ;

And whereas (1) Baidnath Choudhury (2) Chhatranath Choudhury (3) Thaneshwar Choudhury all sons of Hukum Choudhury of village Sewai, the person interested has, under section 13 of the said Act, preferred the competent authority for payment of compensation for an area of 1.36½ acres or 0.55 hectares out of the said acquisition ;

And whereas the amount of compensation paybale for the said acquisition could not be fixed by agreement there being a dispute to the sufficiency of the amount of compention offered and the amount so offered has been accepted by person interested under protest ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, the Central Government hereby constitutes a part-time Tribunal consisting of Shri Chandra Shekhar Singh, Additional District and Sessions Judge, Ranchi.

[No. 19(20)/78-CL (80)]
S. R. A. RIZVI, Director

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 1979

का०आ० 1688.—पब्लिक प्रैमिसेज (एविक्शन आफ अनअथोराइज्ड ओकूपेन्टस) एक्ट, 1971 (40 आफ 1971) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं० एस० ओ० 1696, दिनांक 21 मई, 1975 में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :—

उक्त अधिसूचना की सारणी में कालम (2) के सामने दी गई प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, यथा :—

"भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड से संबंधित अथवा उसके द्वारा लीज पर ली गई और दिल्ली के संघ शासित प्रदेश में स्थित सभी सम्पत्तियां, निम्नलिखित को शामिल करते हुए :—

अशोक होटल, 50-बी, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली; जनपथ होटल, जनपथ, नई दिल्ली; लोधी होटल, लाला लाजपत राय मार्ग, नई दिल्ली; होटल रणजीत, महाराजा रणजीत सिंह रोड, नई दिल्ली; अकबर होटल, चाणक्य पुरी, नई दिल्ली; कुतुब रेस्तरा, कुतब दिल्ली प्लाट सं० 119, नारायणा इण्डस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली; कुतुब होटल श्री अरविन्द मार्ग, नई दिल्ली; विंडसर प्लेस होटल, 17 अशोक रोड, नई दिल्ली और अशोक यात्री निवास, 19, अशोक रोड, नई दिल्ली ।"

[संख्या यू-11015/6/78-पी०एस०यू० (पर्यटन)]
बानू राम अग्रवाल, उप सचिव

MINISTRY OF TOURISM & CIVIL AVIATION

New Delhi, the 20th February, 1979

S.O. 1688.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Tourism and Civil Aviation No. S.O. 1696 dated the 31st May, 1975, namely :—

In the Table to the said notification, for the entries under column (2), the following entries shall be substituted, namely :—

"All properties belonging to or taken on lease by the India Tourism Development Corporation Limited and situated in the Union Territory of Delhi, including the following :—

Ashoka Hotel, 50-B, Chanakyapuri, New Delhi; Janpath Hotel, Janpath, New Delhi; Lodi Hotel, Lala Lajpat Rai Marg, New Delhi; Hotel Ranjit, Maharaja Ranjit Singh Road, New Delhi; Akbar Hotel, Chanakyapuri, New Delhi; Qutab Restaurant, Qutab, Delhi, Plot No. 119, Naraina Industrial Estate, New Delhi; Qutab Hotel, Off Sri Aurobindo Marg, New Delhi; Windsor Place Hotel, 17, Ashoka Road, New Delhi and Ashok Yatri Niwas, 19, Ashoka Road, New Delhi."

[No. U-11015/6/78-PSU (Tourism)]
BANU RAM AGGARWAL, Deputy Secy.

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय

(पुनर्वास विभाग)

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 1979

का०आ० 1689.—पुनर्वास विभाग (बन्दोबस्त खण्ड) के सहायक बन्दोबस्त अधिकारी श्री टी० आर० चौना को निवर्तन आयुक्त के पहुंचने पर 31 मार्च, 1979 के अपरान्ह से सेवा निवृत कर दिया गया है ।

[सं० 8(54)/ए०आर०जी०/64-खण्डII]
दीनानाथ अमीजा, संयुक्त निदेशक

MINISTRY OF SUPPLY & REHABILITATION

(Department of Rehabilitation)

New Delhi, the 30th April, 1979

S.O. 1689.—On attaining the age of superannuation Shri T. R. Chona Assistant Settlement Officer in the Department of Rehabilitation (Settlement Wing) retired from service with effect from the afternoon of 31-3-1979.

[No. 8(54)/ARG/64-Vol. II]
D. N. ASIJA, Jt. Director.

श्रम मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 1979

का० आ० 1690.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक, अहमदाबाद के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री आर० सी० हमरानी होंगे, जिनका मुख्यालय अहमदाबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

"क्या भारतीय रिजर्व बैंक अहमदाबाद के प्रबन्धतंत्र द्वारा श्री एम०एस० मंसूरी, टिक्का मजदूर, की सेवाओं को 18-10-76 से समाप्त करना न्यायोचित है ? यदि, नहीं तो सम्बन्धित श्रमिक किस अनुतोष का हकदार है ?"

[संख्या एल-12012/63/78-डी०2ए]

MINISTRY OF LABOUR

ORDER

New Delhi, the 9th April, 1979

S.O. 1690.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Reserve Bank of India, Ahmedabad and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed ;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of

the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri R. C. Israni shall be the Presiding Officer, with headquarters at Ahmedabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the management of Reserve Bank of India, Ahmedabad is justified in terminating the services of Shri M. M. Mansuri, Tikka Mazdoor, with effect from 18-10-1976 ? If not, to what relief is the workman concerned entitled ?"

[No. L-12012/63/78-D. II. A.]

आदेश

का०आ० 1691.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में भारतीय स्टेट बैंक, हैदराबाद के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री जी० सदाशिव रेड्डी होंगे, जिनका मुख्यालय हैदराबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

"क्या भारतीय स्टेट बैंक (क्षेत्रीय प्रबन्धक-3 हैदराबाद) के प्रबन्धतंत्र द्वारा श्री के० खलन्दर, भूतपूर्व चौकीदार, उरावकोंडा शाखा, की सेवाओं को 14-9-1976 से समाप्त करना न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ।

[सं० एल–12012/40/78–डी० 2 ए०]

एस० के० मुखर्जी, अवर सचिव

ORDER

S.O. 1691.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of State Bank of India, Hyderabad and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed ;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri G. Sadasiva Reddy shall be the Presiding Officer, with headquarters at Hyderabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Is the management of State Bank of India (Regional Manager-III, Hyderabad) justified in terminating the services of Shri K. Khalandar ex-watchman at Uravakonda Branch from 14-9-1976 ? If not, to what relief is the workman entitled ?"

[No. L-12012/40/78-D. II. A.]

S. K. MUKERJEE, Under Secy.

नई दिल्ली, 7 मई, 1979

का०आ० 1692.—केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (ii) के उपबन्धों के अनुसरण में, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 3471 दिनांक 17 नवम्बर, 1978 द्वारा लोहा अयस्क खनन उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 18 नवम्बर, 1978 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया गया था ;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (ii) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 18 मई, 1979 से छः मास की और कालावधि के लिए उपयोगी सेवा घोषित करती है ;

[सं० एस० 11017/8/79/डी० 1(ए)]

New Delhi, the 7th May, 1979

S.O. 1692—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required, had in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. 3471 dated the 17th November, 1978 the iron ore mining industry to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a period of six months from the 18th November, 1978 ;

And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a further period of six months from the 18th May, 1979.

[No. S. 11017/8/79/D. I(A)]

का०आ० 1693.—केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक रोजगार (स्थाई आदेश) अधिनियम, 1946 (1946 का अधिनियम 20) की धारा 2 के खण्ड (ग) के अनुसरण में, सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय) भुवनेश्वर को केन्द्रीय सरकार या रेलवे प्रशासन के नियंत्रणाधीन औद्योगिक प्रतिष्ठानों या उड़ीसा राज्य में किसी खान के संबन्ध में उक्त अधिनियम के अधीन प्रमाणक अधिकारी के सभी कार्य करने के लिए नियुक्त करती है ।

[संख्या० एस० 12013/7/79/डी 1ए]

एल० के० नारायणन, डेस्क अधिकारी

S.O. 1693.—In pursuance of clause (c) of Section 2 of the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946 (Act 20 of 1946), the Central Government hereby appoints the Assistant Labour Commissioner (Central) Bhubaneshwar, also to perform all the functions of a Certifying Officer under the said Act, in relation to industrial establishments under the control of the Central Government or a Railway administration or in a mine in the State of Orissa.

[No. S. 12013/7/79/D. I(A)]

L. K. NARAYANAN, Desk Officer

नई दिल्ली, 7 मई, 1979

का०आ० 1694.—खान अधिनियम (1952 का 35) की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार श्री रविन्द्र शर्मा को मुख्य खान निरीक्षक के अधीन खान निरीक्षक के रूप में नियुक्त करती है ।

[फा० सं० ए–12025/1/77/एम० 1]

मीना गुप्ता, अवर सचिव

New Delhi, the 7th May, 1979

S.O. 1694.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952), the Central Government hereby appoints Shri Ravindra Sharma as Inspector of Mines subordinate to the Chief Inspector of Mines.

[F. No. A-12025/1/77-M. I.]
MEENA GUPTA, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 9 मई, 1979

का०आ० 1695.—वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, मुख्यालय नागपुर के प्रबन्धतंत्र और उनके कर्मकारों के बीच, जिनका प्रतिनिधित्व महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रीय कोयला खदान कामगार संघ (इंटक) करती है, एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और उक्त प्रबन्धतंत्र और कर्मकारों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10क की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में एक लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को उसमें वर्णित व्यक्ति के माध्यस्थम् के लिए निर्देशित करने का करार कर लिया है और उक्त माध्यस्थम करार की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10-क की उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उक्त माध्यस्थम करार को, जो उसे 24 मार्च, 1979 को मिला था, एतद्द्वारा प्रकाशित करती है।

करार

(औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10-क के अधीन)

पक्षकारों के नाम :

नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले: 1. श्री आर० के० मेहता, कार्मिक प्रबन्धक (आई०आर) और श्री बी०बी० गडकरी, वैस्टर्न कोलफील्ड्स लि०, मुख्यालय एड्वोकेट बाबर्स भवन, सिविल लाईन्स, नागपुर.

कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले: 1. श्री पी० के० तालुकदार, मंत्री, एम० पी० आर० के० के० के० संघ (इंटक) ब्रांच मुख्यालय नागपुर और श्री एम०एम० गरिदकर, महामंत्री, वैस्टर्न कोल फील्डस लि० एम्पलाइज एसोसिएशन (बी० एम०एस०) मुख्यालय ब्रांच नागपुर।

पक्षकारों के बीच निम्नलिखित विवाद को श्री डब्ल्यू०के० मालमेलकर, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र सरकार, नागपुर पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक अधिकरण, के माध्यस्थम के लिए निर्देशित करने का करार किया गया है।

1. विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त विषयःकोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के परिणामस्वरूप वैस्टर्न कोल फील्ड्स लि० के कर्मचारियों द्वारा, खानों में खपाए जाने के बाद, प्राप्त किए गए अतिरिक्त आर्थिक लाभों पर विचार करते हुए और कलकत्ता/नागपुर में भूतपूर्व कोयला कंपनियों के लिए गए कर्मचारियों को मजदूरी बोर्ड के वेतनमानों में फिट करने के मामले में अपनाए गए सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए, क्या सी०एम०ए०एल०/डब्ल्यू०सी०एल० नागपुर द्वारा निम्नलिखित कर्मचारियों के संबंध में 1-5-1973 से वेतन निर्धारित करने का प्रस्ताव न्यायोचित है ? यदि नहीं तो वे किस अनुतोष के हकदार है ?

1. श्री पी० डी० मेवाडे,
2. श्री आर० एन० आचार्य
3. श्री एस० डी० बापत,
4. श्री एस० आर० चौरासिया
5. श्री वी० जी० ओजरकर
6. श्री जी० के० पाठक
7. श्री डब्ल्यू० जी० जोशी
8. श्री एस० एस० व्यास
9. श्री एन० डी० पुरोहित
10. श्री एम० आर० नम्दगिरिकर
11. श्री बी०बी० आरध्ये
12. श्री के० आर० मनोरंजन
13. श्री जोसफ़ विक्टर

(2) विवाद के पक्षकारों का विवरण, जिसमें अंतर्वलित स्थापन या उपक्रम का नाम और पता भी सम्मिलित है। — 1. नियोजकों के :—अध्यक्ष-व-प्रबन्धक निदेशक, वैस्टर्न कोलफील्ड्स लि० (मुख्यालय) टैम्पल रोड सिविल लाईन्स नागपुर—440001

कर्मकारों के :— 1. महामंत्री वैस्टर्न कोलफील्ड्स लि० एम्पलाइज एसोसिएशन (बी०एम०एस०) अरूण भवन, टैम्पल बाजार रोड, सीताबुल्डी, नागपुर।

2. मंत्री, महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रीय कोयला खदान कामगार संघ (इंटक) महाल, नागपुर

(3) प्रभावित उपक्रम में नियोजित कर्मकारों की कुल संख्या लगभग 500

(4) विवाद द्वारा प्रभावित या संभाव्यतः प्रभावित होने वाले कर्मकारों की प्राक्कलित संख्या 13

हम यह करार भी करते हैं कि मध्यस्थ का विनिश्चय हम पर आबद्धकर होगा।

समुचित सरकार द्वारा इस करार के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की ता० से मध्यस्थ अपना पंचाट छः मास की कालावधि या इतने और समय के भीतर जो हमारे बीच पारस्परिक लिखित करार द्वारा बढ़ाया जाय, देगा। यदि पूर्व वर्णित कालावधि के भीतर पंचाट नहीं दिया जाता तो माध्यस्थम के लिए निर्देश स्वतः रद्द हो जायेगा और हम नए माध्यस्थम के लिए बातचीत करने को स्वतंत्र होंगे ॥

पक्षकारों के हस्ताक्षर

नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले	कर्मकारों का प्रनिधित्व करने वाले
ह०/—(आर०के० मेहता)	ह०/—(पी०के० तालुकदार)
ह०/—(बी०एम० गडकरी)	ह०/—(एम०एम० गिरदकर)

साक्षी

1. ह०/—(एन०के० बोरकर)
2. ह०/—(पी०के० निर्मल)
नागपुर

तारीख : 16 मार्च, 1979

[सं० एल० 18013/1/79 डी० 4(बी)]
शशि भूषण, डेस्क अधिकारी

ORDER

New Delhi, the 9th May, 1979

S.O. 1695.—Whereas an Industrial dispute exists between the management of Western Coalfields Limited, Rd. Qr. Nagpur and their workmen represented by Maharashtra Pradesh Rashtriya Koyla Khadan Kamgar Sangh (INTUC);

And whereas the said management and their workmen have by a written agreement in pursuance of the provisions of sub-section (1) of Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) agreed to refer the said dispute to arbitration of the person mentioned therein and a copy of the said arbitration agreement has been forwarded to the Central Government;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (3) of Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby publishes the said arbitration agreement which was received by it on the 24th March, 1979.

AGREEMENT

(Under Section 10-A of the Industrial Disputes Act, 1947)

BETWEEN

Name of the Parties : Shri R. K. Mehta, Personnel Manager (IR) with Shri B. B. Godkari, Western Coalfields Ltd., Head Quarter, Adv. Bobde's Building, Civil Lines Nagpur.

Representing Workmen : Shri P. K. Talukdar, Secretary, M. P. R. K. K. K. Sangh (INTUC), branch Hd. Qr. Nagpur, with Shri M. M. Giradkar, Gen-Secretary Western Coalfileds Ltd. Employees Association (BMS), Hd. Qr. branch Nagpur.

It is hereby agreed between the parties to refer the following dispute to the Arbitration of Shri W. K. Almelkar, member, Industrial Court, Govt. of Maharashtra, Nagpur, Presiding Officer, Industrial Tribunal.

(i) Having regard to the additional monetary benefit secured by the employees of Western Coalfields Ltd. Nagpur after their absorption consequent upon nationalisation of Coal mines and keeping in view the principles adpoted in the matter of fitment of taken-over employees of erstwhile Coal companies at Calcutta/Nagpur in the Wage Board scales of pay, whether the offer made by CMAL/CCL, Nagpur for fixation of pay with effect from 1-5-1973 in respect of the employees named below is justified ? If not, what relief they are entitled to ?

(1) Shri P. D. Shevade.

(2) Shri R. M. Acharya.

(3) Shri S. D. Bapat

(4) Shri S. R. Chourasia

(5) Shri V. G. Ozarkar

(6) Shri G. K. Pathak

(7) Shri W. G. Joshi

(8) Shri S. S. Vyas

(9) Shri N. D. Purohit

(10) Shri N. R. Nandagirikar

(11) Shri B. V. Ardhye

(12) Shri K. R. Manoranjan

(13) Shri Joseph Victor

(ii) Details of the parties to the dispute including the names and address of establishment or undertaking involved.

For Employers : Chairman-cum-Managing Director, Western Coalfields Ltd., (Hd. Qr.) Temple Road, Civil Lines, Nagpur-440001.

For Workmen :—(1) Genl. Secretary, Western Coalfields Ltd. Employees' Association (BMS), Arun Bhavan, Temple Bazar Road, Sitabuilding, Nagpur.

(2) The Secretary, Maharashtra Pradesh Rashtriya Koyla Khadan Kamgar Sangh (INTUC), Mahal, Nagpur.

(iii) Total number of workmen employed in the undertaking affected :—Approximately 500.

(iv) Estimated No. of workmen affected or likely to be affected by the dispute :—13 in number.

We further agree that the decisions of the Arbitrator is binding on us.

The arbitrator shall make his award within a period of Six months from the date of publication of this agreement in the official Gazette by the appropriate Government or within such further time as is extended by mutual agreement between us in writing. In case award is not made within the period aforementioned, the reference to arbitration shall stand automatically cancelled and we shall be free to negotiate for fresh arbitration.

(FOR EMPLOYER)

Sd/- (R. K. Mehta)

Sd/- (B. S. Gadkari)

(FOR WORKMEN)

Sd/- (P. K. Talukdar)

Sd/- (M. M. Giradkar)

WITNESSES :

(1) Sd/- (N. K. Borkar)

(2) Sd/- (P. K. Nirmal)

Nagpur

Dt. 16th March, 1979.

[No. L-18013(1)/79-D IV(B)]

SHASHI BHUSHAN, Desk Officer

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054 1979